

3.1 पर्यावरण मंजूरी तथा मंजूरी के पश्चात् मॉनीटरिंग

बोर्ड से स्थापना हेतु अनिवार्य सहमति तथा परिचालन के लिए सहमति प्राप्त किए बिना परियोजनाओं के परिचालन, परियोजना प्राधिकारियों द्वारा शर्तों, जिसमें परिवेशी वायु, परिवेशी शोर तथा भूमि जल के परीक्षण करने शामिल हैं, की अनुपालना न करने तथा पर्यावरणीय निर्धारणों की मॉनीटरिंग तथा प्रवर्तन की कमी के उदाहरण थे, जिसने पर्यावरणीय नियंत्रणों के लक्ष्य को दुर्बल बना दिया।

3.1.1 प्रस्तावना

पर्यावरण प्रभाव निर्धारण का उद्देश्य संभावित पर्यावरण समस्याओं तथा मामलों का परियोजना की आयोजना तथा डिजाइन के चरण पर पूर्व अनुमान लगाना तथा संबोधित करना था। जनवरी 1994 में, पर्यावरण मंत्रालय, वन तथा जलवायु परिवर्तन (एम.ओ.ई.एफ. एंड सी.सी.) ने निश्चित विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी (ई.सी.) को अनिवार्य कर दिया। आगे, पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना (सितंबर 2006) के माध्यम से, एम.ओ.ई.एफ. एंड सी.सी. ने श्रेणी 'ए' और 'बी' के अंतर्गत आने वाली 39 विभिन्न गतिविधियों से समायुक्त आठ सैक्टरों¹ के लिए ई.सी. अनिवार्य कर दिया। केंद्रीय मंत्रालय और राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) ने श्रेणी 'ए' और 'बी' परियोजनाओं के लिए ई.सी.ज जारी करते हैं।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच.एस.पी.सी.बी.) एक सांविधिक प्राधिकरण है जिसे हरियाणा राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्यावरण कानूनों तथा नियमों के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। आगे, विभिन्न परियोजनाओं के लिए एम.ओ.ई.एफ. एंड सी.सी. के तकनीकी ई.आई.ए. मार्गनिदेश मैनुअल में प्रावधान है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्रेणी 'ए' और 'बी' परियोजनाओं के संबंध में सहमति शर्तों में ई.आई.ए. मंजूरी शर्तों को शामिल करेंगे तथा साथ में इसे मॉनीटर और लागू करेंगे।

एच.एस.पी.सी.बी. के कार्यचालन और पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित सांविधिक प्रावधानों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा की गई। 1,009 परियोजनाओं में से कुल 26 (773 'ए' श्रेणी परियोजनाओं में से 17 और 236 'बी' श्रेणी परियोजनाओं में से 9), जिन्हें 2008-12 के दौरान एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी./एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा ई.सी. प्रदान किए गए, रैंडम सैंपलिंग से

¹ (i) प्राकृतिक संसाधनों को खनन द्वारा निकालना और विद्युत सृजन; (ii) प्राइमरी प्रोसेसिंग; (iii) सामग्री उत्पादन; (iv) सामग्री प्रोसेसिंग; (v) विनिर्माण/फैब्रीकेशन; (vi) सेवा क्षेत्र; (vii) भौतिक मूलभूत संरचना; तथा (viii) भवन/निर्माण परियोजनाएं।

नमूना-जांच के लिए चयन किए गए थे। लेखापरीक्षा ने ई.सी.² की शर्तों और ई.आई.ए. रिपोर्ट में की गई प्रतिबद्धताओं की अनुपालना के सत्यापन के लिए एच.एस.पी.सी.बी. के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ नवंबर 2015 से अगस्त 2016 के दौरान 26 परियोजनाओं के स्थलों की भौतिक रूप से जांच भी की।

3.1.2 स्थापना हेतु सहमति तथा परिचालन हेतु सहमति के बिना परिचालन

स्थापना हेतु सहमति (सी.टी.ई.) और परिचालन हेतु सहमति (सी.टी.ओ.) जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-25 और वायु (प्रदूषण के रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 के अधीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त करनी अपेक्षित हैं।

एच.एस.पी.सी.बी./परियोजना प्राधिकारियों (पी.एज) के क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा तथा चयन की गई 26 परियोजनाओं के भौतिक सत्यापन ने प्रकट किया कि छः परियोजनाएं एच.एस.पी.सी.बी. से पूर्व वैध सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किए बिना परिचालन कर रही थी। आगे, एच.एस.पी.सी.बी., बहादुरगढ़ के क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट किया कि इन छः परियोजनाओं में से रोहतक में एक लीड प्रोसेसिंग परियोजना जनवरी 2008 में एच.एस.पी.सी.बी. द्वारा सील कर दी गई थी। तथापि, जनवरी 2016 में भौतिक सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि परियोजना सील तोड़ने के बाद सी.टी.ई./सी.टी.ओ. से बिना परिचालन कर रही थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, क्षेत्रीय कार्यालय बहादुरगढ़ ने अभियोजन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया (जनवरी 2016)।

इसी प्रकार, जींद में एक परियोजना को वैध सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त न करने के कारण जनवरी 2009 में एच.एस.पी.सी.बी. द्वारा बंद करने के आदेश दिए गए थे। तथापि, अगस्त 2016 में भौतिक सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि परियोजना बिना सी.टी.ओ./सी.टी.ई. प्राप्त किए किसी अन्य नाम से परिचालित थी।

एच.एस.वी.सी.वी. ने यह सुनिश्चित करने हेतु, कि सी.एज. सी.टी.ई./सी.टी.ओ./ई.सी. प्राप्त किए बिना परिचालन नहीं कर रहे थे, न तो कोई सर्वेक्षण किया और न ही कोई मानीटरिंग यंत्रावली बनाई।

एच.एस.पी.सी.बी. ने बताया (नवंबर 2016) कि पांच चूककर्ता परियोजनाओं के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस/अभियोजन के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी थी।

3.1.3 ई.सी. अनुपालन के सत्यापन की कमी

ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 के अनुच्छेद 2 के अनुसार, अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुछ परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य हैं। आगे, विभिन्न परियोजनाओं के लिए एम.ओ.ई.एफ. और सी.सी. के तकनीकी ई.आई.ए. मार्गनिर्देश मैनुअल में प्रावधान है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्रेणी 'ए' और 'बी' परियोजनाओं के संबंध में ई.आई.ए. मंजूरी शर्तों को सहमति शर्तों में शामिल करेंगे तथा साथ में उनको मॉनीटर और लागू करेंगे।

² भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, जनवरी 1994 के अनुपालन में कुछ परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पूर्व पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि ई.सी. शर्तों की एक समयबद्ध पद्धति में अनुपालना के सामयिक निरीक्षण के लिए एच.एस.पी.सी.बी. में कोई औपचारिक संस्थागत प्रणाली नहीं थी।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि एक मॉनीटरिंग यंत्रावली स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रक्रिया अधीन था।

3.1.4 ई.सी./ई.आई.ए. की शर्तों की अनुपालना न किया जाना

(ए) प्रदूषण नियंत्रण की शर्तों की अनुपालना न करना

ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर 2006 के अनुच्छेद-2 के अनुसार, कुछ परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य (ई.सी.) है। ई.सी. की सूचना देते समय प्रदूषण तथा पर्यावरण पर परियोजनाओं के विपरीत प्रभाव पर नियंत्रण हेतु ई.सी.ज और ई.आई.ए.ज में कुछ शर्तें रखी गई थी। अभिलेखों की संवीक्षा तथा स्थलों के भौतिक सत्यापन ने प्रकट किया कि ये शर्तें परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पूरी नहीं की जा रही थी जैसा नीचे तालिका: 3.1 में दिया गया है:

तालिका 3.1: प्रदूषण नियंत्रण की शर्तों की अनुपालना दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	व्यक्तिगत परियोजनाओं में उल्लिखित ई.सी./ई.आई.ए. की शर्तें	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
(i)	हानिकारक वेस्ट सामग्री की हैंडलिंग में उल्लंघन	
	परियोजना प्राधिकारियों द्वारा हानिकारक वेस्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग एवं एक सीमा से दूसरी सीमा में ले जाना (ट्रांसबाऊंड्री संचलन) नियम, 2008 के अंतर्गत हानिकारक वेस्ट के संग्रहण, स्टोरेज और निपटान के लिए अधिकार प्राप्त करने अपेक्षित थे।	10 परियोजनाएं डी.जी. सैटज से हानिकारक वेस्ट सृजित कर रही थी। तथापि, पी.एज ने हानिकारक वेस्ट के निपटान के लिए एच.एस.पी.सी.बी. से अधिकार प्राप्त नहीं किया था जिसकी अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए हानिकारक वेस्ट का उचित ढंग से निपटान किया गया था।
(ii)	ग्रीन बेल्ट्स के विकास में कमी	
	परियोजना क्षेत्र के 15 और 33 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित क्षेत्र को आवृत्त करने वाली परियोजना/प्लॉट के चारों ओर आस-पास अधिमानतः स्थानीय प्रजातियों से पर्याप्त चौड़ाई और सघनता की ग्रीन बेल्ट्स विकसित की जानी थी।	छः परियोजनाओं ने परियोजना क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट्स विकसित नहीं की थी यद्यपि क्षेत्र चिन्हित किए गए थे। जबकि अन्य परियोजना ने एक ग्रीन बेल्ट विकसित की थी, वह ई.आई.ए. रिपोर्ट में की गई वचनबद्धता के अनुसार राख के गड्ढे के आसपास विकसित नहीं की गई (अगस्त 2016) इस प्रकार ग्रीन बेल्टज की अनुपस्थिति के कारण प्रदूषण रोका नहीं जा सका।
(iii)	ई.टी.पी.ज/एस.टी.पी.ज का प्रतिष्ठापन न करना	
	परियोजना क्षेत्रों में सीवरेज/निस्सार के उपचार के लिए ई.टी.पी.ज/एस.टी.पी.ज/सेप्टिक टैंक/सॉकपिट प्रदान किए जाने अपेक्षित थे। 26 चयनित परियोजनाओं में से ई.टी.पी.ज/एस.टी.पी.ज/सेप्टिक टैंक/सॉक पिटज 17 परियोजनाओं द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने अपेक्षित थे।	इन परियोजनाओं के स्थलों के भौतिक सत्यापन ने प्रकट किया कि चार पी.एज द्वारा ई.टी.पी.ज/एस.टी.पी.ज/सेप्टिक टैंक/सॉकपिट्स प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे। इन उपायों की अनुपस्थिति में परियोजना क्षेत्रों में जल प्रदूषण नियंत्रित नहीं किया जा सका।

(iv)	बरसाती जल हारवेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण न करना	
	रूफ रन-ऑफ और तल रन ऑफ के लिए, प्रस्तुत योजना के अनुसार, वर्षा जल हारवेस्टिंग संरचनाओं (आर.डब्ल्यू.एच.) का निर्माण किया जाना था। तल रन ऑफ को रिचार्ज करने से पहले लटकते हुए द्रवों और ग्रीस हटाने के लिए सेडीमेंटेशन टैंक के द्वारा पूर्व-उपचार किया जाना चाहिए। 26 चयनित परियोजनाओं में से 23 परियोजनाओं पर यह शर्त लागू थी।	छः परियोजनाओं ने आर.डब्ल्यू.एच. प्रणाली के लिए सही प्रबंध नहीं किया था। आगे, एक अन्य मामले में, आर.डब्ल्यू.एच. पिट्स का निर्माण किया गया था परंतु तेल और ग्रीस रोकने की प्रणाली निर्मित नहीं की गई थी। इन उपायों को न अपनाने से जल प्रदूषण का खतरा रहता है।
(v)	विस्फोटक सामग्री की हैडलिंग	
	डी.जी. सेट्स के परिचालन के लिए अपेक्षित डीजल भूमिगत टैंक में जमा किया जाएगा और यदि अपेक्षित हो, विस्फोटकों के मुख्य नियंत्रक से मंजूरी ली जाएगी। 11 परियोजनाओं के संबंध में यह शर्त लागू थी।	आठ परियोजनाओं ने विस्फोटक सामग्री की हैडलिंग के लिए संबंधित प्राधिकारियों से मंजूरी नहीं ली गई थी जिसकी अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकी कि क्या विस्फोटक सामग्री का सही भण्डार किया जा रहा था।
(vi)	अनुमति के बिना भूमि जल का प्रयोग	
	नमूना-जांच की गई 26 परियोजनाओं में से 12 के संबंध में भूमि जल निकालने के लिए भूमि जल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त करना अनिवार्य था।	चार पी.एज ने सी.जी.डब्ल्यू.बी. से अनुमति प्राप्त नहीं की थी जिसकी अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि भूमि जल मानदंडों के अनुसार निकाला जा रहा था।
(vii)	आपातकालीन तत्परता योजनाओं (ई.पी.पी.) के कार्यान्वयन में कमी	
	पी.एज द्वारा, वे अग्निशमकों, सुरक्षा वस्त्रों और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों सहित परियोजना स्थल के जोखिमों का अनुमान लगाकर एक आपातकालीन तत्परता योजना (ई.पी.पी.) तैयार और कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित था।	नगर निगम, रोहतक ने अग्निशमन उपकरण प्रस्थापित नहीं किया था और इसके कर्मचारियों को आपातकाल के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान नहीं किए गए थे। आगे, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने अग्निशमन के लिए चार जीपों की आवश्यकता के विरुद्ध केवल दो जीपें प्रदान की थी। अतः ये परियोजनाएं आपातकाल में परियोजना स्थलों में जोखिम को आवृत्त नहीं कर रही थी।
(viii)	टॉप सॉयल का अप्रयोग	
	रेवाड़ी और धारूहेड़ा में स्थित दो परियोजनाओं द्वारा चिन्हित स्थलों पर ऊपरी मिट्टी को जमा करना अपेक्षित था। भूमि सुधार और वृक्षारोपण के लिए उसका प्रयोग करने के लिए स्टोर किया जाना अपेक्षित था।	टॉप सॉयल अप्रयुक्त पड़ी थी और रेवाड़ी स्थित परियोजना पर इसके स्टोरेज के लिए उपयुक्त स्थल चिन्हित नहीं किया गया था। इसी प्रकार, धारूहेड़ा में एक पी.ए. ने निर्माण क्रियाओं के दौरान खुदाई की गई मिट्टी साथ वाले प्लांट में फेंक दी थी। इन उल्लंघनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण होता है।
(ix)	ई.सी. प्राप्त करने के बाद कार्यक्षेत्र में परिवर्तन	
	ई.सी. की शर्तों के अनुसार, परियोजना के कार्यक्षेत्र में किसी परिवर्तन/परिवर्तनों की स्थिति में, परियोजना के लिए एम.ओ.ई.एफ. एंड सी.सी., जी.ओ.आई. से नया अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित होगा।	एक बिल्डर ने स्टिल्ट की बजाय क्लब हाऊस और भूतल का निर्माण किया था जिसका प्रावधान परियोजना में नहीं किया गया था। लेकिन पी.ए. ने न तो कोई अनुमति ली थी और न ही संशोधित ई.सी. प्राप्त करने के लिए एम.ओ.ई.एफ. एंड सी.सी. को नए अनुमोदन के लिए आवेदन दिया था।

(x)	'थर्मल विद्युत परियोजना' के मामले में उत्पादित फ्लाई एश का उपयोग न करना	
	फ्लाई एश को सूखे रूप में संग्रहित किया जाना चाहिए तथा भंडारण करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। आगे, भारत सरकार की अधिसूचना (नवंबर 2009) के अनुसार उत्पादित फ्लाई एश का परियोजनाओं के चालू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर कम से कम 50 प्रतिशत उपयोग किया जाना चाहिए, 70 प्रतिशत दो वर्षों के भीतर 90 प्रतिशत तीन वर्षों के भीतर तथा 100 प्रतिशत चार वर्षों के भीतर।	एक परियोजना 2012-13 में चालू की गई थी परंतु फ्लाई एश की उपयोगिता मानदंडों के अनुसार नहीं थी; तीसरे और चौथे वर्षों अर्थात् 2014-15 से 2015-16 के दौरान कमी 11 और 22 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी। पी.ए. ने बताया (मई 2016) कि वे लोकनिर्माण विभाग के कर्मचारियों को मिलेंगे तथा उन्हें सड़क निर्माण कार्य के लिए फ्लाई एश निशुल्क लेने हेतु अनुरोध करेगा। तथ्य रह जाता है कि फ्लाई एश का निपटान नहीं किया गया जिसके कारण प्रदूषण होता है।

ई.सी. और ई.आई.ए. शर्तों की उपर्युक्त अननुपालना को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकी कि ई.सी. जारी करने के बाद प्रदूषण और इसके पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव को कैसे नियंत्रित किया जा रहा था।

(बी) पर्यावरण प्रभाव मॉनीटरिंग पहलुओं की अनुपालना न करना

विशिष्ट परियोजनाओं के ई.सी.ज और ई.आई.ए.ज में रिटर्नज विज्ञापन तथा लोक जागरूकता के रूप में पर्यावरण पर परियोजनाओं के विपरीत प्रभाव को मॉनीटर करने के लिए प्रावधान थे। नवंबर 2015 से अगस्त 2016 के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा और परियोजना स्थलों के भौतिक सत्यापन ने प्रकट किया कि ये प्रावधान परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पूर्ण नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव की मॉनीटरिंग की कमी थी जैसा नीचे तालिका 3.2 में दिया गया है।

तालिका 3.2: पर्यावरण प्रभाव मॉनीटरिंग पहलुओं की अननुपालना दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	विशिष्ट परियोजनाओं में उल्लिखित ई.सी./ई.आई.ए. की शर्तें	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
(i)	परिवेशी वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग स्टेशनज के प्रतिस्थापन में कमी	
	पी.ए.ज द्वारा पर्याप्त संख्या में परिवेशी वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग स्टेशनज (ए.ए.क्यू.एम.एस.) की प्रतिस्थापना की जानी अपेक्षित थी।	चार परियोजनाओं ने ए.ए.क्यू.एम.एस. प्रतिस्थापित नहीं किए थे यद्यपि परियोजनाएं परिचालन में थी। ए.ए.क्यू.एम.एस की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि क्षेत्र में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानदंडों के भीतर थी।
(ii)	विभिन्न पर्यावरणीय परीक्षण करने में कमी	
	पी.ए.ज द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय मानदंडों को मॉनीटर करने के लिए शोर, वायु एवं भूमि जल के परीक्षण किए जाने अपेक्षित थे।	पांच, तीन, तीन, चार और दो परियोजनाओं ने क्रमशः वायु गुणवत्ता, चिमनी से उत्सर्जन, भूमिजल, बहिःप्राव और परिवेशी शोर के परीक्षण नहीं किए थे। परीक्षणों की अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकी कि इन परियोजनाओं द्वारा पर्यावरणीय मापदंड मैनटेन किए गए थे।

(iii)	वार्षिक 'पर्यावरण आडिट रिपोर्ट' / 'पर्यावरण विवरणी' का प्रस्तुत न किया जाना	
	वार्षिक पर्यावरण आडिट रिपोर्ट / पर्यावरण विवरणी (ई.ए.आर./ई.एस.) पी.एज द्वारा फार्म वी में प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जानी थी। यह शर्त नमूना-जांच की गई परियोजनाओं में से तीन पर लागू थी।	तीन में से एक परियोजना ने पर्यावरण विवरणी तैयार तथा संबंधित प्राधिकारियों को प्रस्तुत नहीं की।
(iv)	प्राइवेट एजेंसियों/थर्ड पार्टीज द्वारा पर्यावरणीय पैरामीटरज की मॉनीटरिंग	
	एम.ओ.ई.एफ./पी.पी.सी.बी. प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय एकीकृत बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं से पर्यावरणीय परीक्षण करवाए जाने अपेक्षित थे।	चार परियोजनाओं ने पर्यावरण मानदंडों के कोई भी परीक्षण नहीं किए थे। आकस्मिक जांच और अपनी एकीकृत प्रयोगशालाओं के माध्यम से अपने स्तर पर नमूनों के परीक्षण प्रणाली भी एच.एस.पी.सी.बी. द्वारा स्थापित नहीं की थी। इसके अभाव में प्रयोगशालाओं द्वारा पक्षपाती सूचना यदि कोई हो, को पता नहीं लगाया जा सका।
(v)	पर्याप्त मानवशक्ति वाले पृथक पर्यावरण कक्ष की स्थापना न करना	
	पी.एज द्वारा विभिन्न पर्यावरण संबंधी क्रियाओं को करने के लिए उपयुक्त स्टाफ वाला एक पृथक पर्यावरण प्रबंधन कक्ष (ई.एम.सी.) स्थापित किया जाना था।	ई.आई.ए. रिपोर्ट में वचनबद्धताएं करने या ई.सी. पत्रों में शर्तों के बावजूद 8 पी.एज द्वारा पर्याप्त मानवशक्ति के साथ पृथक पर्यावरण कक्ष स्थापित नहीं किया गया था। इस प्रकार, परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरण प्रभाव की मॉनीटरिंग की कमी थी।
(vi)	छ:माही अनुपालना रिपोर्टों का अप्रस्तुतिकरण	
	पी.एज द्वारा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (बी श्रेणी परियोजनाओं के मामलों में) तथा पर्यावरण मंत्रालय वन तथा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रीय कार्यालय, को प्रत्येक कलेंडर वर्ष की 1 जून और 1 दिसंबर को अर्द्ध-वार्षिक अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था।	सात परियोजनाओं ने संबंधित प्राधिकारियों को अर्द्ध-वार्षिक अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। आगे, प्रत्येक परियोजना द्वारा 10 रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता के विरुद्ध 2011-16 के दौरान चार परियोजनाओं के मामले में इस अवधि के दौरान प्रत्येक परियोजना द्वारा केवल एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकार, मॉनीटरिंग यंत्रावली का अनुसरण नहीं किया गया था।

इस प्रकार, पर्यावरण पर परियोजनाओं के संभावित विपरीत प्रभाव की मॉनीटरिंग अपर्याप्त थी।

3.1.5 अनुमत सीमा के बाहर वायु, तल जल, भूमि जल और शोर के लिए पर्यावरणीय मानदंड

एच.एस.पी.सी.बी. ने वायु, उपचार के बाद निःस्राव भूमि जल और शोर से संबंधी पर्यावरणीय मानदंड निर्धारित किए थे। नमूना-जांच ने प्रकट किया कि (1) झारली (झज्जर) और गुरुग्राम में स्थित दो परियोजनाओं में वायु प्रदूषण उच्चतर था। (2) शाहबाद में एक परियोजना के संबंध में भूमि जल का भारीपन अनुमत सीमा से बाहर था और (3) गुरुग्राम में एस.टी.पी. से निःस्राव की गुणवत्ता अनुमत सीमा के भीतर नहीं थी। इस प्रकार, प्रदूषण मानक सीमाओं के भीतर नहीं थी जिसने पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डाला।

एच.एस.पी.सी.बी. ने बताया (नवंबर 2016) कि पर्यावरण मानदंडों को नियमित रूप से मॉनीटर किया जा रहा था और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा रही थी। तथापि, उपर्युक्त उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध की गई विशिष्ट कार्रवाई सूचित नहीं की गई थी।

3.1.6 निष्कर्ष

इस प्रकार, पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित शर्तों की अनुपालना की मॉनीटरिंग और लागूकरण में सुधार के लिए काफी संभावना थी। परियोजना प्राधिकारियों के शर्तों की अनुपालना न करने के उदाहरण अभी भी थे जिसमें परिवेशी वायु, परिवेशी शोर और भूमि जल के परीक्षण करवाना शामिल थे।

मामला सितंबर 2016 में सरकार को भेजा गया था; इसके उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसंबर 2016)।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग

3.2 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन

विभाग ने न तो खाद्य व्यापार संस्थाओं को पहचानने के लिए सर्वेक्षण किया और न ही खाद्य व्यापार संस्थाओं का डाटाबेस अनुरक्षित किया। खाद्य प्रयोगशालाएं खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित नहीं थी। अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की अनुपालना स्वास्थ्य को संकट में डालती है क्योंकि खाद्य की गुणवत्ता आश्वासित नहीं की जाती।

3.2.1 प्रस्तावना

खाद्य वस्तुओं के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय को नियमित करने तथा मानवीय खपत के लिए सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार (भा.स.) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफ.एस.एस.) अधिनियम, 2006 बनाया (अगस्त 2006) और उसके अंतर्गत 5 अगस्त 2011 से प्रभावी नियम और विनियम बनाए (मई 2011)।

हरियाणा में, एफ.एस.एस. अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जनवरी 2011 में स्वास्थ्य विभाग में से स्वतंत्र विभाग के रूप में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग बनाया गया। विभाग के अध्यक्ष आयुक्त हैं और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है। राज्य के चण्डीगढ़ तथा करनाल में दो खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थित हैं। राज्य सरकार ने लाईसेंसिंग प्राधिकारी के कार्य निष्पादित करने के लिए प्रत्येक जिले के सिविल सर्जनों को मनोनीत अधिकारी (डी.ओ.) के रूप में तथा सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (एफ.एस.ओज) को खाद्य व्यापार परिचालकों (एफ.बी.ओज) के लिए पंजीकरण प्राधिकारियों के रूप में अधिसूचित कर दिया (सितंबर 2011)।

अधिनियम के कार्यान्वयन की कुशलता और प्रभावकारिता का अनुमान लगाने के विचार से 2011-16 की अवधि के लिए आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रबंध, चण्डीगढ़ और करनाल स्थित खाद्य प्रयोगशालाओं और राज्य में 21 जिलों में से चार³ में डी.ओज और एफ.एस.ओज के अभिलेखों की नमूना-जांच करते हुए लेखापरीक्षा की गई। नमूना-जांच के लिए जिलों का चयन प्रोबेबिलिटी प्रोपर्शनेट टू साईज विदाऊट रिप्लेसमेंट मैथड (पी.पी.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) द्वारा किया गया।

3.2.2 लाईसेंसिंग और पंजीकरण

3.2.2.1 सर्वेक्षण न किया जाना और खाद्य व्यापार परिचालकों का पंजीकरण न करना

³ अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम तथा सोनीपत।

अधिनियम की क्लॉज 30(2) (बी) में प्रावधान है कि विभाग खाद्य के विभिन्न पदार्थों के लिए खाद्य प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित मानकों की ऐसी इकाइयों द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए राज्य में खाद्य के विनिर्माण और प्रोसेसिंग में लगी औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण करेगा। आगे, एफ.एस.एस. विनियम 2011 विनियम 2.1.1 और 2.1.2 (खाद्य व्यवसाय का के लाईसेंसिंग और पंजीकरण) निर्धारित करते हैं कि ₹ 12 लाख से कम वार्षिक टर्नओवर वाले सभी एफ.बी.ओज स्वयं को पंजीकरण प्राधिकारी के पास पंजीकृत करवाएंगे। इसी प्रकार, एफ.बी.ओज जिनकी वार्षिक टर्नओवर ₹ 12 लाख से अधिक है, लाईसेंसिंग प्राधिकारी से लाईसेंस प्राप्त करेंगे। इस प्रकार, खाद्य व्यापार चलाने के लिए प्रत्येक एफ.बी.ओ. द्वारा स्वयं को या तो पंजीकृत करवाया जाना या लाईसेंस प्राप्त करना अपेक्षित था।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानदंड प्राधिकार (एफ.एस.एस.ए.आई.) ने बल दिया (जुलाई 2012) कि एफ.बी.ओज की लाईसेंसिंग एवं पंजीकरण अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए केंद्र बिंदु था। यह भी अनुमान लगाया गया कि मध्यम आकार के राज्यों (जनसंख्या 2.5 से 4 करोड़) के लिए संगृहीत की जाने वाली लाईसेंस फीस एक वर्ष में ₹ 50-75 करोड़ के लगभग होगी।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट कि कि न तो कोई सर्वेक्षण किया गया न ही राज्य में एफ.बी.ओज की कुल संख्या के संबंध में विभाग के पास कोई डाटाबेस उपलब्ध था। तथापि, राज्य में मार्च 2016 तक 9913 आवेदनों में से 6,784 लाईसेंस और 20,017 आवेदनों में से 14,413 पंजीकरण प्रदान किए गए थे और पंजीकरण एवं लाईसेंस फीस के कारण औसत वार्षिक राजस्व संग्रहण ₹ 0.85⁴ करोड़ था जो एफ.एस.एस.ए.आई. के अनुमान का केवल 2 प्रतिशत था। किसी सर्वेक्षण या डाटाबेस की अनुपस्थिति में लाईसेंसों/पंजीकरणों के बिना एफ.बी.ओज द्वारा व्यापार चलाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि एफ.बी.ओज के सर्वेक्षण और पंजीकरण एफ.एस.ओज, डी.ओज और वाहन/जीप और इंटरनेट सुविधा वाले लैपटॉप जैसी मूलभूत संरचना की भारी कमी के कारण नहीं किए जा सके।

3.2.2.2 लाईसेंसों का जारी न करना

खाद्य सुरक्षा एवं मानदंड (लाईसेंसिंग और पंजीकरण) खाद्य व्यापारों की विनियम 2011 के विनियम 2.1.4 के अनुसार, लाईसेंस, आवेदन आई.डी.⁵ संख्या के जारी करने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित लाईसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे। आगे, विनियम 2.1.6 प्रावधान करता है कि आवेदक अपना व्यापार शुरू कर सकता है यदि लाईसेंस 60 दिनों के भीतर जारी नहीं किया जाता या आवेदक संबंधित लाईसेंसिंग प्राधिकारी से अपर्याप्तता बारे कोई सूचना प्राप्त नहीं करता।

नमूना-जांच किए चार जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि मई 2016 को दो⁶ जिलों के 451 एफ.बी.ओज के लाईसेंस जारी करने के लिए आवेदन लंबित थे यद्यपि उनके आवेदन-पत्र जनवरी 2014 और मार्च 2016 के मध्य प्राप्त हो गए थे। विभाग ने एफ.बी.ओज द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की अपूर्णता की न कोई सूचना जारी की थी और न ही 60 दिनों की निर्धारित अवधि के अंदर लाईसेंस जारी किए थे। निर्धारित अवधि के बाद विलंब एक मास और

⁴ 2011-16 के दौरान ₹ 4.25 करोड़ संगृहीत किए गए, एक वर्ष के लिए औसत ₹ 0.85 करोड़ बनता है।

⁵ पहचान संख्या एफ.बी.ओज को पूर्ण आवेदन-पत्र की प्राप्ति पर दी जाती है।

⁶ गुरुग्राम: 406 तथा सोनीपत: 45.

26 मास के मध्य श्रृंखलित था। लाईसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा आवेदन की अपूर्णता की सूचना की अनुपस्थिति में, प्रस्तुत आवेदन में अपूर्णता वाले एफ.बी.ओज भी अपना व्यापार चलाने के योग्य बन गए। इस प्रकार, अयोग्य एफ.बी.ओज द्वारा खाद्य व्यापार चलाने की संभावना का पता नहीं लगाया जा सकता जो गुणवत्ता आश्वासन के लिए जोखिम प्रकट करते हैं।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि लाईसेंसों का जारी न करना और कुछ चूकें मानवशक्ति और डी.ओज/एफ.एस.ओज की ओर से मूलभूत संरचना की कमी के कारण थी।

3.2.3 मूलभूत संरचना की उपलब्धता

3.2.3.1 खाद्य प्रयोगशालाओं में अपर्याप्त मूलभूत संरचना सुविधाएं

अधिनियम की धारा 20 और 21 में प्रावधान है कि किसी खाद्य पदार्थ में, विनियमों द्वारा जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी सहनशील सीमा से अधिक कोई संदूषकता, जीवविष या हार्मोन या भारी धातु, कीटनाशी, जीवनाशी, पशु औषधि अवशेष, प्रतिजीवी अवशेष, विलायक अवशेष, औषधीय सक्रियत्व, सूक्ष्म जीवी संख्या नहीं होगी। आधुनिक सुविधाओं से युक्त खाद्य प्रयोगशालाएं व्यापारियों, वितरकों और खाद्य पदार्थों के विनिर्माताओं को उनके उत्पादों का परीक्षण करवाने के लिए सुविधाएं प्रदान करने के साथ अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संगठनों के प्रवर्तन के लिए अनिवार्य हैं।

हरियाणा खाद्य प्रयोगशाला, चण्डीगढ़ और जिला खाद्य प्रयोगशाला, करनाल के अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्न प्रकट किया:

(i) प्रयोगशालाओं में कीटनाशी अवशेषों, माईकोटाक्सिनज धात्विक सम्मिश्रण एंटीबायोटिक अवशेष और खाद्य सम्मिश्रणों की विश्लेषण परीक्षण करने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। यह परीक्षण न तो सरकारी प्रयोगशाला में करवाए जा रहे थे न ही मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से करवाए गए। लोक विश्लेषक ने ये परीक्षण करने के लिए ₹ 6.99 करोड़ मूल्य के मुख्य परिष्कृत उपकरणों की खरीद के लिए विभाग के आयुक्त को एक प्रस्ताव भेजा (सितंबर 2015) परंतु प्रस्ताव अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया था (अक्टूबर 2016)।

(ii) जुलाई 2005 और जनवरी 2006 के मध्य प्रयोगशाला को आपूरित ₹ 43.14 लाख के उपकरण जैसे कीटनाशी अवशेषों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी मॉडल ट्रेस जी.सी. (अल्ट्रा) और गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी मॉडल ट्रेस जी.सी. 2010 और खाद्यों के अमीनो एसिडज़, कार्बोहाइड्रेट्स, कीटनाशी एंटीऑक्सीडेंट्स के परीक्षण के लिए प्रयुक्त उच्च निष्पादन क्रोमैटोग्राफी हरियाणा खाद्य प्रयोगशाला में गत चार से सात वर्षों से उपकरण चालू हालत में नहीं थे। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि मरम्मत के लिए संबंधित फर्मों को संदर्भित करने के अतिरिक्त इन उपकरणों की मरम्मत के लिए कोई प्रभावी प्रयास नहीं किए गए (जून 2016)।

(iii) मार्च 2005 में ₹ 5.98⁷ लाख की लागत पर खरीदा गया माईक्रोवेव ड्राईजैस्टिव सिस्टम मार्स-एस चण्डीगढ़ स्थित प्रयोगशाला में संयोजित उपकरण की अनुपलब्धता के कारण प्रयोग में नहीं था। प्रणाली का मुख्य प्रयोजन एटमिक समावेशन, प्रेरक रूप से संयोजित प्लाज्मा एमिशन स्पैक्ट्रोस्कोपी, गैस या लिक्विड क्रोमैटोग्राफी द्वारा विश्लेषण के लिए सैपल तैयार करना था।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि खाद्य प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए मामला भारत सरकार को प्रयोगशाला के उन्नयन की अनुमानित लागत का 75 प्रतिशत प्रदान करने हेतु भेजा जा चुका है और राज्य सरकार शेष 25 प्रतिशत हिस्सा प्रदान करने के लिए सहमत हो गई थी।

3.2.3.2 खाद्य नमूनों के सुरक्षित भंडारण के लिए एफ.एस.ओज/डी.ओज के पास मूलभूत संरचना और उपकरणों की अनुपलब्धता

अधिनियम की धारा-47 में प्रावधान है कि जब एफ.एस.ओ. विश्लेषण के लिए खाद्य सामग्री का नमूना लेता है, वह विश्लेषण के लिए एक भाग विश्लेषक और तीन भाग नामित अधिकारी को इन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए भेजेगा। यदि खाद्य विश्लेषक से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट्स में भिन्नता पाई जाती है तो डी.ओ. अपनी कस्टडी में रखे नमूने का एक भाग विश्लेषण के लिए उल्लिखित प्रयोगशाला में भेज देगा। खाद्य नमूने, जो अवमानक, निम्न ब्रांड के या असुरक्षित पाए जाते हैं और उनका निर्णय लंबित है, न्यायालय या भविष्य में निर्णायक प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना अपेक्षित हो, को सुरक्षित अवस्था में भंडार करने की आवश्यकता है।

नमूना-जांच किए गए जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभाग ने अगस्त 2011 से मार्च 2016 के मध्य विश्लेषण के लिए 2,868 खाद्य नमूने इकट्ठा किए। इनमें से 351 नमूने असुरक्षित/अवमानक/मिस ब्रांडिड के पाए गए जिनमें 140 मामले गत 1 से 4 वर्षों से निर्णय/अभियोजन के लिए लंबित थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग में खाद्य नमूनों के सुरक्षित भंडारण के लिए सही मूलभूत संरचना उपलब्ध नहीं थी क्योंकि नमूने भंडार कक्ष में आलमारी में पड़े थे। भंडारण सुविधा की अनुपस्थिति में नमूनों की स्थिति खराब हो सकती है और विभाग न्यायालय के मामलों की प्रक्रिया प्रभावी रूप से करने में समर्थ नहीं होगा।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि नमूनों के सुरक्षित भंडारण के लिए प्रत्येक जिले में एक रेफ्रिजरेटर और एक ए.सी. उपलब्ध करवाया जाएगा।

3.2.4 निरीक्षण, सैपलिंग एवं अभियोजन

3.2.4.1 पंजीकृत संस्थाओं का निरीक्षण

खाद्य सुरक्षा और मानदंड (खाद्य व्यापार का लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 के विनियम 2.1.1 (6) में प्रावधान है कि पंजीकरण प्राधिकारी या कोई अधिकारी या एजेंसी पंजीकृत संस्थाओं का वर्ष में कम से कम एक बार खाद्य सुरक्षा निरीक्षण करेगा। एफ.एस.एस. नियम, 2011 के नियम 2.1.3 (4) (iii) (ए) में प्रावधान है कि एफ.एस.ओ. उसे सौंपे गए क्षेत्र के भीतर एक खाद्य पदार्थ के विनिर्माण, संचालन, पैकिंग अथवा विक्रय के लिए लाइसेंसप्राप्त सभी खाद्य स्थापनाओं का डी.ओ. द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार प्रायः निरीक्षण करेगा।

⁷ ₹ 46 प्रति डालर की दर पर 13,000 डालर।

नमूना-जांच किए गए चार जिलों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि मार्च 2016 तक एफ.बी.ओज को 4,484 लाईसेंस और 7,291 पंजीकरण उनके द्वारा हैंडल किए गए विभिन्न उत्पादों के लिए जारी किए गए थे परंतु लाईसेंस और पंजीकरण की प्रदानगी के बाद एफ.एस.ओज या किसी प्राधिकृत अधिकारी/एजेसी द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि एफ.बी.ओज का निरीक्षण मानवशक्ति और मूलभूत संरचना के अभाव के कारण नहीं किया जा सका।

3.2.4.2 नमूनों के संग्रहण के लिए लक्ष्यों की अप्राप्ति

अधिनियम की धारा-38 में प्रावधान है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफ.एस.ओज) किसी भी खाद्य या पदार्थ के नमूने लेगा जो उसे विक्रय के लिए अभिप्रेत या मानवीय खपत के लिए बेचा गया प्रतीत हो। विभाग ने परीक्षण के लिए प्रत्येक जिले के एफ.एस.ओ. द्वारा प्रतिमास 30 नमूनों के संग्रहण के लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे।

यह देखा गया कि 34,020⁸ नमूनों के संग्रहण की आवश्यकता के विरुद्ध, अगस्त 2011 से मार्च 2016 के दौरान केवल 9,332 नमूने इकट्ठे किए गए और परीक्षित किए गए, जिनमें से 1,184 नमूने असुरक्षित/अवमानक/मिसब्रांडेड के पाए गए। इस प्रकार, राज्य में नमूनों के संग्रहण में कमी 73 प्रतिशत थी जबकि उसी अवधि के दौरान चयनित 4⁹ जिलों में कमी 42 प्रतिशत और 71 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

विभाग ने नमूनों के संग्रहण में कमी का आरोप मानवशक्ति की कमी और वाहनों की अनुपलब्धता पर लगाया (अक्टूबर 2016)।

3.2.4.3 अवमानक मिसब्रांडेड नमूनों के दोषियों के विरुद्ध निर्णयादेश न किया जाना

एफ.एस.एस. नियमों के नियम 2.4.2(5 एवं 6) और 2.4.6 के अनुसार, खाद्य विश्लेषक रिपोर्ट की चार प्रतियां संबंधित डी.ओ. को भेजेगा जो दो प्रतियां आगामी कार्रवाई के लिए रखेगा तथा एक प्रति एफ.एस.ओ. और एक प्रति एफ.बी.ओ. को भेजेगा जिससे नमूना लिया गया था। यदि खाद्य विश्लेषक के परिणामों के विरुद्ध एफ.बी.ओ. द्वारा अपील प्रस्तुत की जाती है, डी.ओ. मामले को निर्दिष्ट प्रयोगशाला को भेज देगा। आगे, नियम 3.1.1 में प्रावधान है कि यदि एफ.बी.ओ. द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है या निर्दिष्ट प्रयोगशाला के परिणाम खाद्य विश्लेषकों की पुष्टि करते हैं तो डी.ओ. जांच करेगा कि क्या उल्लंघना कैंद या केवल जुर्मनि के दंडयोग्य है। यदि डी.ओ. निर्णय लेता है कि उल्लंघना केवल जुर्मनि के दंडयोग्य है तो वह, निर्णयादेश के लिए एक आवेदन निर्णयादेश अधिकारी (ए.ओ.) को प्रस्तुत करने के लिए एफ.एस.ओ. को प्रेरित एवं प्राधिकृत करेगा।

नमूना-जांच किए गए चार जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 351 विफल नमूनों में से 32 एफ.बी.ओज के विरुद्ध अभियोग चलाया गया, 227 एफ.बी.ओ. को निर्णयादेश दिए गए 28 एफ.बी.ओज के विरुद्ध निर्णयादेश प्रक्रियाधीन था और 64¹⁰ एफ.बी.ओज के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। चूंकि इन 64 मामलों में एफ.बी.ओज द्वारा डी.ओज को कोई अपील

⁸ 30 नमूने x 54 मास x 21 जिले: 34,020.

⁹ अंबाला (53 प्रतिशत), फरीदाबाद (53 प्रतिशत), गुरूग्राम (42 प्रतिशत) तथा सोनीपत (71 प्रतिशत)। प्रत्येक जिले का लक्ष्य 1,620 था।

¹⁰ अंबाला: 13, गुरूग्राम: 28 तथा सोनीपत: 23.

प्रस्तुत नहीं की गई, वे निर्णयादेश के दायी थे। परंतु ये मामले नमूना लेने के 12 से 53 मास बीत जाने के बावजूद ए.ओज के पास नहीं भेजे गए थे।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि सभी डी.ओज और एफ.एस.ओज को निर्धारित समय के भीतर दोषियों के विरुद्ध निर्णयादेश आवेदन दायर करने के निदेश जारी किए गए जिसमें विफल होने पर उन्हें उत्तरदायी माना जाएगा और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

3.2.4.4 मामलों के निर्णयादेश में विलंब

एफ.एस.एस. नियम 2011 के नियम 3.1.1 (4) और (9) में प्रावधान है कि एफ.एस.ओ. से निर्णयादेश के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, ए.ओ. जांच कार्यवाही आरंभ करेंगे और पहली सुनवाई की तिथि से 90 दिनों के भीतर अंतिम आदेश पारित करेगा। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि मार्च 2016 को 42 मामले पहली सुनवाई की तिथि से 90 दिनों के बाद भी 3¹¹ ए.ओज के पास अंतिम निर्णय के लिए लंबित थे।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि ए.ओज को निर्धारित अवधि के भीतर मामलों के निपटान करने हेतु अनुरोध किया गया था।

3.2.5 मानवशक्ति की उपलब्धता

एफ.एस.एस. नियम 2011 के नियम 2.1.2.1 (1) और 2.1.3 में प्रावधान है कि डी.ओज और एफ.एस.ओज पूर्णकालिक अधिकारी होंगे। पांच वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी, कोई नियमित डी.ओज अभी तक तैनात नहीं किए गए थे और अतिरिक्त प्रभार संबंधित सिविल सर्जनों को दिया गया था।

26 श्रेणियों के स्टाफ के 211 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 107 व्यक्ति तैनात थे और 104 पद (49 प्रतिशत) रिक्त थे। एफ.एस.ओज के 22 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 12 तैनात थे जिसमें से केवल 8 कार्य कर रहे थे और 4 एफ.एस.ओज निलंबन अधीन थे। मूल स्तर पर लाईसेंसिंग, पंजीकरण और सैंपलिंग का प्रबंध करने के लिए अभिप्रेत डी.ओज और एफ.एस.ओज के मुख्य संवर्ग में कमी ने अधिनियम, नियमों और विनियमों के विभिन्न प्रावधानों के लागूकरण पर विपरीत प्रभाव डाला।

3.2.6 सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां

सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) तथा जागरूकता अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मूल आधार है। जुलाई 2012 में आयोजित केंद्रीय सलाहकारसमिति की 8वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा, विभाग द्वारा संग्रहित लाईसेंस एवं पंजीकरण फीस का कम से कम 75 प्रतिशत आई.ई.सी. क्रियाएं करने के लिए रखा जाना चाहिए जिसमें (i) आई.ई.सी. गतिविधि स्थानीय भाषा विज्ञापन, एफ.एम. में जिंगल्ज (ii) 24 x 7 खाद्य सुरक्षा हेल्पलाईन, और (iii) स्थानीय भाषा में खाद्य सुरक्षा के लिए वेबपेज तैयार करना शामिल होना चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभाग ने 2011-16 के दौरान ₹ 4.25 करोड़ लाईसेंस एवं पंजीकरण फीस संग्रहित की और इस राशि का 75 प्रतिशत (₹ 3.19 करोड़) आई.ई.सी. गतिविधियां करने के लिए रखा जाना था। परंतु खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने आई.ई.सी. गतिविधियों के लिए निधियों की मांग नहीं की थी। आगे, आई.ई.सी. गतिविधियों के लिए कोई

¹¹

अंबाला: 5, गुरुग्राम: 33 तथा सोनीपत: 4.

योजनाएं तैयार नहीं की गई थी। इस प्रकार, आई.ई.सी. गतिविधियों की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और केंद्रीय परामर्श समिति के निर्णय का कार्यान्वयन नहीं किया गया।

3.2.7 निष्कर्ष

इस प्रकार, खाद्य सुरक्षा एवं मानदंड अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का लागूकरण कमजोर तथा अपर्याप्त था। खाद्य व्यापार संस्थाओं का सर्वेक्षण नहीं किया गया और खाद्य व्यापार संस्थाओं का डाटाबेस भी रखा नहीं गया। खाद्य प्रयोगशालाएं भी निर्धारित मानदंडों के अनुसार खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए आधुनिक परिष्कृत उपकरणों से सुसज्जित नहीं थी। अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की अनुपालना न करना खाद्य की गुणवत्ता को खतरे में डालता है तथा साधारण जनता के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

ये बिंदु जुलाई 2016 में सरकार को भेजे गए थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2016)।

गृह तथा न्याय प्रशासन विभाग

3.3 पुलिस कंट्रोल रूम के उन्नयन के लिए परियोजना का कार्यान्वयन न करना

परियोजना के लिए तकनीकी आवश्यकताओं का सही अनुमान लगाने और एक सक्षम एजेंसी चुनने में विफलता के साथ पुलिस विभाग और हार्ट्रोन के मध्य समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप परियोजना पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद पांच वर्षों से अधिक समय से शिथिल पड़ी रही। इसके अतिरिक्त ₹ 3.50 करोड़ की सरकारी निधियां दिसंबर 2011 से अवरूद्ध रही और विभाग ने ₹ 1.03 करोड़ राशि के ब्याज की हानि उठाई।

हरियाणा पुलिस के सभी कंट्रोल रूमों को एकीकृत करने हेतु एक परियोजना¹² 'पुलिस मुख्यालय (पी.सी.आर.) पंचकुला में पुलिस कंट्रोल रूम का आधुनिकीकरण और उन्नयन', भारत सरकार की पुलिस बल स्कीम के आधुनिकीकरण के अंतर्गत ₹ 3.50 करोड़ के लिए राज्य स्तर पर सशक्त अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित की गई (जून 2011)।

पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.), हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि पंचकुला स्थित पुलिस कंट्रोल रूम (पी.सी.आर.) के उन्नयन हेतु उपकरण के अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए हार्ट्रोन को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया (सितंबर 2011)। हरियाणा सरकार ने अक्टूबर 2011 में इस परियोजना के लिए ₹ 3.50 करोड़ की संस्वीकृति जारी कर दी। हार्ट्रोन ने पुलिस विभाग को प्रस्ताव के लिए ड्राफ्ट अनुरोध (आर.एफ.पी.) सहमति के लिए भेज दिया (नवंबर 2011)। तत्पश्चात्, पुलिस विभाग ने दिसंबर 2011 में इस परियोजना के लिए हार्ट्रोन के पास ₹ 3.50 करोड़ जमा करवा दिए। तथापि, आर.एफ.पी. रद्द कर दिया गया क्योंकि आवश्यकताएं हरियाणा पुलिस द्वारा परिवर्तित/संशोधित¹³ कर दी गईं। तदनुसार, आर.एफ.पी. संशोधित किया गया और हार्ट्रोन द्वारा डी.जी.पी. को दोबारा भेजा गया (अक्टूबर 2012) जो नवंबर 2012 में अनुमोदित किया गया। हार्ट्रोन द्वारा एन.आई.टी. दिसंबर 2012 में शुरू की गई परंतु कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।

¹² उन्नयन में (1) आई.पी. आधारित ई.ओ.सी. ग्राहक-सह-परिचालक (2) कॉलटेकिंग और डिस्पैच सर्वर (3) वीडियो वेल डिस्प्ले सर्वर (4) एकीकरण सेवाओं के क्षेत्र में गतिविधियां शामिल हैं।

¹³ मुख्य रूप से प्रोसेसर, आर.ए.एम., एच.डी.डी. और सर्वर और वर्क स्टेशन के ओ.एस., सर्वलैस (निगरानी) सिस्टम की कैचर क्वालिटी संबंधित परिवर्तन/संशोधन।

अन्ततः हारट्रोन ने मांगपत्र 21 महीनों बाद पुलिस विभाग को परियोजना को स्वयं ही हैंडल करने के लिए वापस कर दिया (जून 2013) क्योंकि इसके पास इतनी भारी टर्नकी तकनीकी परियोजना को हैंडल करने के लिए डोमेन दक्षता नहीं थी। पुलिस विभाग ने हारट्रोन को इसके निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु अनुरोध किया (अगस्त 2013) और उन्हें यदि आवश्यक हो तो व्यावसायिक विशेषज्ञों की सहायता लेने के लिए प्राधिकृत किया, हारट्रोन परियोजना को इस शर्त पर लेने के लिए सहमत हो गया (सितंबर 2013) कि यह परियोजना की आर.एफ.पी. तैयार करने, बोली मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए गठित समिति की सहायता के लिए हारट्रोन एक दक्ष व्यक्ति को नियुक्त करे। तथापि, दक्ष व्यक्ति को बाजार से लेने का प्रस्ताव डी.जी.पी., हरियाणा द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया जिसने निदेश दिया कि समिति सर्वेक्षण के लिए आसपास के राज्यों की दौरा करे ताकि आधुनिक उपकरण खरीदे जा सकें। तत्पश्चात्, कोई कार्रवाई नहीं की गई और ₹ 3.50 करोड़ की निधियां हारट्रोन के पास दिसंबर 2011 से अप्रयुक्त पड़ी थी। तथापि, डी.जी.पी., हरियाणा द्वारा भारत सरकार को निधियों का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया (मई 2013) यद्यपि, परियोजना पर कोई व्यय नहीं किया गया था।

आगे, वित्त विभाग द्वारा जारी (मार्च 2011) अनुदेशों के अनुसार, हारट्रोन द्वारा अप्रयुक्त निधियों पर विभाग को अर्ध-वार्षिक आधार पर छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज भुगतान किया जाना अपेक्षित था, और प्रशासनिक विभाग ब्याज वसूल करने हेतु उत्तरदायी थे, परंतु ब्याज न तो हारट्रोन ने अदा किया न ही विभाग ने मांगा जिसके कारण, विभाग ने ₹ 1.03 करोड़¹⁴ के ब्याज की हानि वहन की।

यह इंगित किए जाने पर, डी.जी.पी. हरियाणा ने बताया (अक्टूबर 2016) कि हरियाणा पुलिस कंट्रोल रूम के उन्नयन के लिए व्यापक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में पुलिस विभाग की सहायता करने के लिए आवश्यक तकनीकी इनपुट और परामर्श प्रदान करने हेतु एक प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करने हेतु हारट्रोन को अनुरोध किया गया था (अगस्त 2016) मामला अभी भी अंतिम किया जाना शेष है (नवंबर 2016)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया हारट्रोन को आग्रह करने में, जबकि इसने परियोजना को अपने आप संचालित करने में असमर्थता प्रकट की थी तथा व्यावसायिक विशेषज्ञों की नियुक्ति का प्रस्ताव विभाग द्वारा अस्वीकृत किया गया था तर्क की कमी थी। इस प्रकार, तकनीकी आवश्यकताओं का सही ढंग अनुमान लगाने तथा एक सक्षम एजेंसी को चुनने में विभाग की विफलता के साथ पुलिस विभाग तथा हारट्रोन के मध्य समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद परियोजना पांच वर्षों से अधिक समय से शिथिल पड़ी रही। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.50 करोड़ की निधियां दिसंबर 2011 से अवरूद्ध हो गईं और विभाग ने ₹ 1.03 करोड़ राशि के ब्याज की हानि उठाई।

मामला जून 2016 में सरकार को भेजा गया और स्मरण-पत्र अगस्त 2016 में जारी किया गया। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2016)।

¹⁴ जनवरी 2012 से नवंबर 2016 तक ₹ 3.50 करोड़ का छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज।

गृह तथा न्याय प्रशासन, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग

3.4 वृद्धित भूमि क्षतिपूर्ति जमा करवाने में विलंब के कारण ब्याज का परिहार्य भुगतान

वृद्धित क्षतिपूर्ति के लिए प्रोसेसिंग तथा मामले को अनुसरित करने में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर तथा पुलिस विभाग की ओर से विलंबों के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में ₹ 4.81 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु, राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, (अधिनियम) की धारा-4 के अंतर्गत इसकी भूमि अधिग्रहण का प्रयोजन घोषित करते हुए एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी करना अपेक्षित है। आगे, अधिनियम की धारा 28 निर्धारित करती है कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा वृद्धित क्षतिपूर्ति पर उस तिथि, जब कलेक्टर ने भूमि का स्वामित्व लिया था से भुगतान की तिथि तक पहले वर्ष के लिए 9 प्रतिशत और बाद के वर्षों के लिए 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज भुगतान किया जाए।

महानिदेशक पुलिस (डी.जी.पी.), हरियाणा, पंचकुला के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि यमुनानगर में पुलिस लाईन और पुलिस स्टाफ के लिए परिवारीय क्वाटर्ज प्रस्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अप्रैल 1999 में अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की गई। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (एल.ए.सी.)-सह-उपमंडल अधिकारी (सिविल), जगाधरी ने उस भूमि के मुआवजे के रूप में ₹ 6 लाख प्रति एकड़ प्रदान किए (अप्रैल 2002) जो अपर जिला जज (ए.डी.जे.), जगाधरी द्वारा बढ़ाकर ₹ 12.07 लाख प्रति एकड़ कर दिए गए थे (फरवरी 2005)। ए.डी.जे. जगाधरी के निर्णय से पीड़ित होकर पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में 21 नियमित प्रथम अपील (आर.एफ.एज) (11 आर.एफ.एज राज्य द्वारा और 10 आर.एफ.एज भूमि मालिकों द्वारा) दायर किए गए। उच्च न्यायालय ने राज्य की सभी अपीलों अस्वीकार कर दी और मुआवजा ₹ 1,560 प्रति वर्गमीटर (₹ 63.13 लाख¹⁵ प्रति एकड़) तक बढ़ा दिया (4 अक्टूबर 2012)।

उपर्युक्त निर्णय की अनुपालना में, पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) यमुनानगर ने एल.ए.सी., जगाधरी को वृद्धित मुआवजे के विवरण सूचित करने का अनुरोध किया (जनवरी 2013)। एल.ए.सी., जगाधरी ने एस.पी. यमुनानगर को पांच आर.एफ.एज¹⁶ से संबंधित वृद्धित मुआवजे (21 अप्रैल 2013 तक का ब्याज शामिल करके) के रूप में ₹ 58.86 करोड़ जमा करवाने का अनुरोध किया (फरवरी 2013) ताकि भुगतान ए.डी.जे. न्यायालय, जगाधरी में जमा करवाया जा सके। बाद में, भूमि मालिकों को भुगतान करने के लिए गृह विभाग ने ₹ 58.86 करोड़ के लिए जून 2013 में संस्वीकृति दे दी। राशि अंततः 5 अक्टूबर 2013 को अर्थात् उच्च न्यायालय के आदेशों की तिथि से 12 महीनों से अधिक समय के बाद जमा करवाई गई। भुगतान भूमि मालिकों को अक्टूबर 2013 में किया गया और ब्याज अप्रैल 2013 तक परिकलित किया गया था। भूमि मालिकों ने शेष अवधि के लिए ब्याज की मांग की। परिणामतः 22 अप्रैल 2013 से अक्टूबर 2013 की अवधि के लिए ₹ 1.55 करोड़ का ब्याज भी भूमि मालिकों को अप्रैल 2014 में भुगतान किया गया। इस प्रकार, वृद्धित मुआवजे के आहरण और वितरण में विलंब के

¹⁵ 4,046.85 x ₹ 1,560 = ₹ 63,13,086

¹⁶ स्वर्ण सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य का 2003 का आर.एफ.ए. संख्या 1955

परिणामस्वरूप जनवरी 2013¹⁷ से अक्टूबर 2013 की अवधि के लिए भूमि मालिकों को ₹ 2.84 करोड़ के ब्याज का भुगतान हुआ।

यह इंगित किए जाने पर डी.जी.पी. हरियाणा ने बताया (जून 2016) कि सरकार से संस्वीकृति शीर्ष 'पूँजीगत परिव्यय' के अंतर्गत प्राप्त हुई थी जहां पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं थी और मुख्य निर्माण कार्य शीर्ष से 'भूमि' शीर्ष में 'निधियों के विपथन के लिए मामला सरकार को पुनः प्रस्तुत किया गया। विभाग का वाद तर्कसंगत नहीं था क्योंकि इस तथ्य के बावजूद कि उप-शीर्ष 'भूमि' के अंतर्गत मूल बजट ₹ 9 करोड़ था, पूँजीगत परिव्यय शीर्ष के अंतर्गत पर्याप्त निधियां सुनिश्चित किए बिना मामला सरकार को प्रस्तुत किया गया था (मई 2013)। यदि विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए निधियों की उपलब्धता का सही ढंग से प्रारंभ में ही अनुमान लगाया होता तो ब्याज का भुगतान बचाया जा सकता था।

इसी प्रकार, शेष पांच आर.एफ.एज के लिए, 4 अक्टूबर 2012 के उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध, एल.ए.सी. ने ₹ 35.19 करोड़ की (21 नवंबर 2013 तक के ब्याज सहित) एस.पी., यमुनानगर से नवंबर 2013 में ही मांग की। गृह विभाग ने ₹ 35.19 करोड़ की राशि की संस्वीकृति प्रदान की (दिसंबर 2013) और राशि दिसंबर 2013 में न्यायालय में जमा करवा दी गई। भुगतान भूमि मालिकों को दिसंबर 2013 में किया गया और ब्याज केवल नवंबर 2013 तक परिकलित किया गया। भूमि मालिकों ने शेष अवधि के लिए ब्याज की मांग की। परिणामतः, नवंबर 2013 से दिसंबर 2013 की अवधि के लिए ₹ 0.16 करोड़ के ब्याज का भुगतान भूमि मालिकों को मार्च 2015 में किया गया। इस प्रकार, एल.ए.सी. और एस.पी. यमुनानगर के मध्य समन्वय की कमी के कारण उच्च न्यायालय के आदेश (अक्टूबर 2012) से 13 माह व्यतीत होने के बाद एल.ए.सी. द्वारा परिकलन के साथ दावे के प्रस्तुतिकरण की प्रस्तुति में देरी के परिणामस्वरूप भूमि मालिकों को ₹ 1.97 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

एल.ए.ओ. जगाधरी ने बताया (जून 2016) कि एस.पी. यमुनानगर ने उनके कार्यालय को मुआवजों की राशि परिकलित करने का अनुरोध किया था (जनवरी 2013) परंतु उच्च न्यायालय के 4 अक्टूबर 2012 के आदेशों की प्रति संलग्न नहीं की गई थी। तथ्य, तथापि, रहता है कि इस प्रक्रिया में एल.ए.सी. और एस.पी., यमुनानगर द्वारा 13 महीने लिए गए क्योंकि मामला उनके मध्य पत्राचार अधीन पड़ा रहा।

न्यायालय के आदेशों पर वर्धित मुआवजे के भुगतान में विलंब ब्याज के भुगतान को आकर्षित करती है और इन मामलों को प्रोसेस करने में समयबद्धता अनिवार्य है। ऐसा करने में विफलता एल.ए.सी. और पुलिस विभाग दोनों की ओर से वर्धित मुआवजे के भुगतान के लिए मामला प्रोसेस करने और अनुसरण में निरूत्साहित रवैये को प्रतिबिंबित करती है। प्रथम पांच मामलों के संबंध में, मुख्य विलंब पुलिस विभाग की ओर से धन के आहरण एवं वितरण में था जबकि शेष पांच मामलों में एल.ए.सी. ने दावा प्रस्तुत करने में 10 महीने ले लिए। वर्धित मुआवजे के भुगतान में विलंब के परिणामस्वरूप उपर्युक्त मामलों में ₹ 4.81 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

मामला मई 2016 में सरकार को भेजा गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2016)।

¹⁷ भुगतान के लिए मामलों की प्रक्रिया के लिए न्यायालय आदेश की तिथि से 90 दिनों का उचित समय देने के बाद अतिरिक्त भुगतान परिकलित किया गया है।

औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

3.5 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी के माध्यम से उन्नयन

औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने में विफल रहा। फैकल्टी की कमी, व्यापारों के अपरिचालन और कौशल विकास की कमी के कारण खराब शैक्षिक उपलब्धि के मामले थे। इसके अतिरिक्त, एफिलिएशन के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए थे और सफलता प्रतिशतता कम थी।

भारत सरकार (भा.स.), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ने नवंबर 2007 में 'सार्वजनिक प्राइवेट हिस्सेदारी' (पी.पी.पी.) के माध्यम से 'सरकारी' 'औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आईज) के उन्नयन' के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम प्रारंभ की। स्कीम के अधीन, 2007-08 से 2011-12 तक हरियाणा में पांच चरणों में 52 सरकारी आई.टी.आईज को आवृत्त किया जाना था। प्रत्येक आई.टी.आई. को एक उद्योग हिस्सेदार के साथ संबद्ध किया जाना था। स्कीम का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण के डिजाइन और प्रदानगी को अधिक मांग अभिमुखी बनाकर वोकेशनल प्रशिक्षण प्रणाली से रोजगार अवसरों को बढ़ाना था। इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक आई.टी.आई. के लिए राज्य सरकार द्वारा एक संस्थान विकास योजना ऐसे तरीके से तैयार की जानी थी कि यह पूर्णरूप से आई.टी.आई. के उन्नयन की तरफ उन्मुख हो और आवश्यकताएं पूरी करने के लिए संस्थान के दीर्घावधि लक्ष्यों को परिभाषित करे। राज्य स्तर पर स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य संचालन समिति स्कीम के संपूर्ण कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग के मार्गनिर्देश के लिए गठित की गई। प्रत्येक आई.टी.आई. के लिए एक संस्था प्रबंधन समिति भी गठित की गई।

पी.पी.पी. के माध्यम से आई.टी.आई. के उन्नयन में विभाग की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए 2007-16 की अवधि हेतु प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साईज विदाऊट रिप्लेसमेंट मेथड का प्रयोग करके रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से चयन किए गए महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय और 52 में से 13 आई.टी.आईज¹⁸ के अभिलेखों की दिसंबर 2015 से मार्च 2016 के दौरान नमूना-जांच की गई थी।

3.5.1 वित्तीय प्रबंधन

भारत सरकार द्वारा प्रत्येक आई.टी.आई. की संस्थान प्रबंध समिति को उन्नयन के लिए ₹ 2.50 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया। 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान हरियाणा राज्य में 52 आई.टी.आईज को ₹ 130 करोड़ (प्रत्येक आई.टी.आई. को ₹ 2.50 करोड़) की निधियां और नमूना-जांच किए गए 13 आई.टी.आईज को ₹ 32.50 करोड़ निर्मुक्त किए गए। ऋण की राशि को पांच वर्षों की अवधि में व्यय किया जाना था और निधियां प्रत्येक आई.टी.आई. के संस्थान विकास योजनाओं में सात विभिन्न

¹⁸ फेज - I (2007-08): (i) सढ़ौरा, (ii) कुरूक्षेत्र, (iii) कैथल तथा (iv) हसनगढ़, फेज - II (2008-09): (i) बहादुरगढ़ (महिलाएं), (ii) फरीदाबाद (महिलाएं), (iii) कैथल (महिलाएं), (iv) भिवानी (महिलाएं) तथा (v) नलवा, फेज - IV (2010-11): (i) निसिंग, (ii) सिरसा (महिलाएं) तथा (iii) कुरूक्षेत्र (महिलाएं), फेज - V (2011-12): (i) पुंडरी। रैंडम सैंपलिंग ने फेज - III (2009-10) के अंतर्गत आवृत्त कोई आई.टी.आईज. नहीं चुना।

घटकों¹⁹ के अंतर्गत चिन्हित की गई थी जैसा कि राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। ऋण 10 वर्षों की ऋण स्थगन अवधि के बाद 30 वर्षों में वापस चुकाया जाना था।

3.5.1.1 निधियों का कुप्रबंधन

चयनित 13 आई.टी.आईज में ₹ 48.26 करोड़²⁰ की उपलब्ध निधियों के विरुद्ध 2007-16 के दौरान ₹ 33.64 करोड़ का व्यय किया गया और 31 मार्च 2016 को ₹ 14.62 करोड़ की राशि अव्ययित पड़ी थी। दो आई.टी.आईज (फरीदाबाद (महिला) और बहादुरगढ़ (महिला) के पास ₹ दो करोड़ से अधिक हैं और तीन आई.टी.आईज (सदौरा, कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र (महिला)) के पास ₹ एक करोड़ से अधिक अव्ययित शेष हैं।

मार्गनिर्देशों के अनुसार, ऋण राशि का 20 प्रतिशत (प्रत्येक आई.टी.आई. द्वारा ₹ 50 लाख) ऋण स्थगन अवधि के बाद ऋण को वापस चुकाने और परियोजना को दीर्घावधि संपोषण प्रदान करने के लिए स्वपत योग्य और गैर स्वपत योग्य पदार्थों की खरीद के लिए मूलधन के रूप में रखा जाना था। तथापि, आई.टी.आई. कैथल के पास केवल ₹ 19 लाख का शेष है जो अपेक्षित मूलधन (₹ 50 लाख) से कम था।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि निधियां आई.टी.आई.(महिला) फरीदाबाद के द्वारा उद्योग हिस्सेदार के असहयोग और सिविल कार्य के लिए टेंडर रद्द होने के कारण प्रयुक्त नहीं की गई। उसने आगे बताया कि आई.टी.आईज को उनके संस्थान में पड़े ₹ एक करोड़ से ऊपर की निधियां उपयोग करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। आई.टी.आई. कैथल को भी मूलधन राशि रखने हेतु निदेश दिए गए हैं।

3.5.1.2 अतिरिक्त व्यय

संस्थान विकास योजना के अनुसार 2008-09 से 2015-16 के दौरान ₹ पांच करोड़ के संशोधित अनुमान के विरुद्ध चार आई.टी.आईज ने मशीनों और उपकरण पर ₹ छः करोड़ का व्यय किया। महानिदेशक ने संबंधित आई.टी.आईज को उनके संस्थानों की संस्थान विकास योजना को दो महीनों के भीतर संशोधित करवाने हेतु निदेश दिए (जुलाई 2016) और किसी अन्य उप-शीर्ष के अंतर्गत कोई अन्य व्यय नई संस्थान विकास योजना में भी प्रस्तुत किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि संस्थान विकास योजना के बार-बार संशोधन इंगित करते हैं कि यह उचित परिश्रम से तैयार नहीं की गई थी।

3.5.1.3 आयकर का रिफंड न करना

प्रत्येक आई.टी.आई. की संस्थान प्रबंध समिति द्वारा एक पृथक लेखा संख्या (पैन) प्राप्त करना अपेक्षित है क्योंकि यह एक स्वतंत्र सत्ता है जो ब्याज और अन्य स्रोतों से आय अर्जित कर सकती है। यदि यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-12-ए के अंतर्गत पंजीकरण करवाती है, और अपनी आय, आयकर अधिनियम की धारा-11 के प्रावधान के अनुसार उपयोग करती

¹⁹ (i) सिविल कार्य, (ii) टूलज एम. एंड ई., (iii) फर्नीचर और साज-सामान, (iv) किताबें और ज्ञान संसाधन, (v) अतिरिक्त मानवशक्ति, (vi) स्वपत योग्य रख-रखाव एवं प्रशिक्षण सामग्री और (vii) विविध व्यय।

²⁰ ब्याज मुक्त ऋण: ₹ 32.50 करोड़, जमाओं पर अर्जित ब्याज: ₹ 13.97 करोड़ और 13 आई.टी.आईज द्वारा सृजित राजस्व: ₹ 1.79 करोड़।

है, तो इसकी आय को आयकर से छूट होगी। पांच चयनित आई.टी.आईज²¹ के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि बैंकों ने 2009-16 के दौरान अर्जित ब्याज पर ₹ 12.22 लाख की स्रोत पर कर (टी.डी.एस.) की कटौती की थी। चार आई.टी.आईज (आई.टी.आई., पुंडरी के अलावा) के प्रधानाचार्यों ने सूचित किया (दिसंबर 2016) कि वे आयकर अधिनियम की धारा 12-ए के अधीन पंजीकृत नहीं किए गए हैं। यदि आई.टी.आईज आयकर अधिनियम की धारा 12-ए के अधीन पंजीकृत होते, तो ₹ 12.22 लाख की राशि बच जाती।

3.5.1.4 टेंडरिंग प्रक्रिया के बिना क्रय

निदेशक, आई.टी.आई. ने अनुदेश जारी किए थे (जनवरी 2010) कि ₹ एक लाख से अधिक और ₹ 25 लाख तक के मूल्य की भंडार की वस्तुएं न्यूनतम तीन टेंडर आमंत्रित करके खरीदी जानी चाहिए ताकि खरीद पारदर्शी और निष्पक्ष प्रतियोगिता के माध्यम से की जा सके। आई.टी.आई., कैथल के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि संस्था ने मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए 67 आपूर्ति आदेश बिना टेंडर आमंत्रित किए कोटेशन के माध्यम से दिए और छः आपूर्तियों से मई-जून 2015 के दौरान उपर्युक्त अनुदेशों की उल्लंघना में ₹ 73.58 लाख मूल्य की खरीद की गई।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि प्रधानाचार्य को निदेश दिए गए हैं कि यदि बोलियां आवश्यकता के अनुसार प्राप्त नहीं की गईं तो प्रक्रिया से पहले राज्य सरकार/महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण से पूर्व अनुमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त की जानी चाहिए।

3.5.2 उन्नयन

भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए ऋण का प्रयोग आई.टी.आई. में अतिरिक्त सिविल कार्य, मशीनरी तथा उपकरण की खरीद तथा आई.टी.आई. में प्रशिक्षण मूलभूत संरचना के उन्नयन से सीधे संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए होना चाहिए।

3.5.2.1 निर्माण कार्य पूर्ण करने में विलंब तथा अतिरिक्त व्यय

(i) आई.टी.आई. (महिला) फरीदाबाद ने जनवरी 2009 में उन्नयन स्कीम के अंतर्गत ₹ 2.50 करोड़ की निधियां प्राप्त की। द्वितीय तल (अतिरिक्त क्लास रूमज़) का निर्माण कार्य एक ठेकेदार को कार्य आदेश पर ₹ 45.59 लाख की अनुमानित लागत पर आबंटित किया (फरवरी 2014) और कार्य जून 2014 तक पूर्ण किया जाना था। ठेकेदार ने छत स्तर तक कार्य निष्पादित करने के बाद कार्य अपूर्ण छोड़ दिया। संस्था ने ठेकेदार को मार्च-मई 2014 के दौरान ₹ 32.14 लाख का भुगतान किया। आई.टी.आई. ने सूचित किया (नवंबर 2016) कि शेष कार्य एक अन्य ठेकेदार से ₹ 35.10 लाख की लागत पर निष्पादित करवाया गया है और अगस्त 2016 में पूर्ण कर दिया गया था। इस प्रकार, निर्माण कार्य स्कीम के कार्यान्वयन से सात वर्षों बाद और ₹ 21.65 लाख का अतिरिक्त व्यय करके पूरा किया गया।

(ii) आई.टी.आई. (महिला) बहादुरगढ़ ने दिसंबर 2008 में उन्नयन स्कीम के अधीन निधियां प्राप्त की। उन्नयन निधियों की प्राप्ति के पांच वर्षों के भीतर पूर्ण किया जाना था। नए भवन का निर्माण कार्य जनवरी 2014 अर्थात् निधियां प्राप्त करने के पांच वर्षों बाद आबंटित

²¹ पुंडरी (₹ 0.08 लाख), बहादुरगढ़ (महिला) (₹ 2.41 लाख), हसनगढ़ (₹ 4.89 लाख), फरीदाबाद (महिला) (₹ 2.90 लाख) तथा नलवा (₹ 1.94 लाख)।

किया गया और कार्य जून 2015 में ₹ 70 लाख की लागत पर पूर्ण किया गया। आई.टी.आई. अब इसके भवन में स्थानान्तरित हो गई है और कक्षाएं जून 2016 में प्रारंभ हो गई थी। अतः निर्माण कार्य की विलंबित पूर्णता के कारण, नए प्रारंभ व्यवसायों में दाखिला प्रारंभ नहीं किया जा सका और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद के द्वारा व्यवसायों को मान्यता केवल अगस्त 2016 में की जा सकी।

(iii) आई.टी.आई. (महिला) सिरसा ने जनवरी 2011 में उन्नयन स्कीम के अधीन निधियां प्राप्त की थी परंतु निर्माण कार्य दो वर्षों बाद जनवरी 2013 में आरंभित किया गया जो तीन वर्षों के विलंब के बाद फरवरी 2014 में पूर्ण किया गया है।

3.5.2.2 11 के.वी. सब-स्टेशन के इरैक्सन और इन्स्टालेशन में विलंब

भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने व्यापार के लिए विद्युत मानक निर्धारित किए (अगस्त 2010) जिसके अनुसार राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.वी.टी.) के अधीन मान्यता प्राप्त करने के लिए संबंधित ट्रेड के लिए निर्धारित विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी थी। आई.टी.आई., हसनगढ़ के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 11 के.वी. सब-स्टेशन के निर्माण एवं प्रतिस्थापन के लिए पी.डब्ल्यू.डी., विद्युत मंडल, रोहतक को ₹ 14.37 लाख की राशि का भुगतान किया गया था (सितंबर 2011) परंतु बिजली कनेक्शन अभी तक प्राप्त नहीं किया गया था (नवंबर 2016)। इस प्रकार, सितंबर 2011 से मार्च 2014 के दौरान ₹ 17.83 लाख मूल्य की खरीदी गई खराद मशीन, वैल्विंग सेट जैसी भारी मशीनों को प्रयोग में नहीं लगाया जा सका जिससे छात्र व्यावहारिक प्रशिक्षण से वंचित रहे। इसके अलावा, ₹ 3.10 लाख की लागत पर खरीदी गई मशीनरी की वारंटी अवधि समाप्त हो गई थी। आगे, राष्ट्रीय ट्रेड व्यावसायिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त न कर सके। छात्र, इस प्रकार ट्रेडज राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद में दाखिले से वंचित रहे।

3.5.2.3 सरप्लस मशीनरी और यंत्रों की अनुपयोगिता

उन्नयन की अवधि के दौरान, भारत सरकार ने अगस्त 2014 से प्रभावी शिल्पकारिता प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत 63 व्यवसायों का पाठ्यक्रम परिवर्तित (जून 2014) कर दिया था। नमूना-जांच किए गए आई.टी.आई.ज में अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि गत वर्षों (2008 से 2015) के दौरान विभिन्न ट्रेडज के लिए खरीदे गए ₹ 3.24 करोड़ मूल्य के मशीनरी तथा उपकरण पाठ्यक्रम में परिवर्तन के कारण फालतू बना दिए गए। विभाग ने दो वर्षों की अवधि व्यतीत होने के बावजूद फालतू मशीनरी एवं उपकरणों का निपटान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। आगे, यह अवलोकित किया गया कि आई.टी.आई. सढौरा ने जुलाई 2008 से अक्टूबर 2015 तक ₹ 1.67 करोड़ मूल्य की मशीनों और उपकरण पर व्यय किया जिसमें से ₹ 1.50 करोड़ मूल्य की मशीनें एवं उपकरण पाठ्यक्रम परिवर्तित होने के कारण फालतू थे जिसके परिणामस्वरूप निधियों का व्यर्थ व्यय हुआ।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि फालतू मशीनरी आई.टी.आई.ज में एम.ई.एस. कोर्सों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाई जा रही है और यह कि फालतू सामग्री पाठ्यक्रम में परिवर्तन से पहले खरीदी गई थी। तथापि, बिलों की संवीक्षा ने दर्शाया कि ₹ 22.01 लाख मूल्य की मशीनें तथा उपकरण चार आई.टी.आई.ज²² द्वारा जून 2014 के बाद पाठ्यक्रम में परिवर्तन के बावजूद खरीदे गए थे जिसके परिणामस्वरूप व्यर्थ व्यय हुआ।

²² फरीदाबाद (महिला): ₹ 4.15 लाख, भिवानी (महिला): ₹ 15.41 लाख, कुरुक्षेत्र (महिला): ₹ 1.22 लाख तथा सढौरा: ₹ 1.23 लाख।

3.5.3 शैक्षिक

स्कीम का उद्देश्य बेहतर रोजगार योग्यता की ओर अभिमुख प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना था। सभी तीनों दलों (राष्ट्रीय संचालन समिति, राज्य संचालन समिति तथा संस्थागत प्रबंधन समिति) द्वारा आई.टी.आईज की आंतरिक के साथ बाहरी दक्षता सुधारने के लिए अगले पांच वर्षों के लिए प्रमुख निष्पादन सूचक (के.पी.आईज) के वार्षिक लक्ष्य संयुक्त रूप से अंतिम किए जाने थे। ये मानदंड परियोजना अवधि के दौरान तथा बाद में स्कीम की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग किए जाने थे।

3.5.3.1 फ़ैकल्टी की कमी

राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित था कि किसी भी समयबिंदु पर स्वीकृत पदों के दस प्रतिशत से अधिक कोई रिक्तियां नहीं थी। अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 2013-14 से 2015-16 के दौरान 13 आई.टी.आईज में से आठ में फ़ैकल्टी की कमी 14 प्रतिशत और 80 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी जिसने छात्रों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा के.पी. आईज की उपलब्धि पर विपरीत प्रभाव डाला।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि रिक्त पदों की गणना की गई है और प्रशिक्षकों की मांग हरियाणा स्टाफ चयन आयोग को भेज दी गई है तथा भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होने जा रही है।

3.5.3.2 कम एनरोलमेंट के कारण ट्रेडज का अपरिचालन

मार्गनिर्देशों में उल्लिखित मुख्य निष्पादन सूचकों में से एक प्रत्येक ट्रेड में सीटों की संख्या की तुलना में एनरोलमेंट की प्रतिशतता से संबंधित था। नमूना-जांच किए गए 13 आई.टी.आईज के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2010-15 के दौरान इन ट्रेडज में छात्रों की कम भर्ती के कारण 13 आई.टी.आईज में से छः²³ में 45 ट्रेड अपरिचालित रहे।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि भवन के निर्माण, मशीनरी के प्रापण और प्रशिक्षकों की नियुक्ति के बाद नए ट्रेड खोले जाने थे परंतु उपर्युक्त क्रियाओं में अपरिहार्य विलंब हो गया था।

3.5.3.3 कौशल विकास प्रारंभ करना

प्रशिक्षार्थियों से फीस प्रभारित करके कौशल बढ़ाने और आय सृजित करने के विचार से, संस्थागत विकास योजनाओं में प्रशिक्षण, लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घावधि कौशल आवश्यकताओं के लिए लक्ष्य नियत करने का प्रावधान करती है। संशोधित मार्गनिर्देशों (जुलाई 2014) के अनुसार, प्रत्येक आई.टी.आई. द्वारा प्रतिवर्ष कम से कम 40 विद्यार्थियों यदि इकाइयों की संख्या चार से कम या बराबर है (एक इकाई 20 छात्रों के बराबर है) और प्रतिवर्ष 80 विद्यार्थियों को यदि इकाइयों की संख्या चार से अधिक है, को प्रशिक्षित करना अपेक्षित था।

13 आई.टी.आईज के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि यद्यपि प्रशिक्षण कोर्सों के लिए लक्ष्य नियत किए गए थे, कोई प्रशिक्षण कोर्स आयोजित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, अभिलाषी युवा अपना कौशल बढ़ाने से वंचित रहे। आगे, यह देखा गया कि नमूना-जांच किए गए 13 आई.टी.आईज में से किसी ने मध्यावधि और दीर्घावधि कोर्स आयोजित नहीं किए थे और नौ आई.टी.आईज ने कौशल विकास के लिए लघु अवधि कोर्स भी आयोजित नहीं किए।

²³ बहादुरगढ़ (महिला), भिवानी (महिला), फरीदाबाद (महिला), कैथल (महिला), कुरुक्षेत्र तथा हसनगढ़।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि लघु अवधि कोर्सों का समय शाम पांच बजे के बाद होने तथा परिवहन सुविधाओं की कठिनाई होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले प्रशिक्षार्थी कोर्सों में उपस्थित नहीं हो सके।

3.5.3.4 अल्प शैक्षिक उपलब्धियां

दो मुख्य निष्पादन सूचकों का प्रारंभिक बैचमार्क अर्थात् छात्रों की सफलता प्रतिशतता के लिए बेस लाईन और परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की इनटैक क्षमता की तुलना में 70 प्रतिशत नियत की गई थी (जुलाई 2014) जिसे अगले पांच वर्षों में 95 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना था।

नमूना-जांच किए गए जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि चयनित 13 आई.टी.आईज में वर्षों 2010 से 2015 के दौरान 96 ट्रेडज में विद्यार्थियों के सफल होने की प्रतिशतता 0 से 62 के मध्य श्रृंखलित थी जैसा कि **परिशिष्ट 3.1** में ब्यौरा दिया गया है जोकि 70 प्रतिशत बेसलाइन से भी कम था। आगे, यह अवलोकित किया गया कि इनटैक क्षमता की तुलना में परीक्षा देने वाले छात्रों की प्रतिशतता चयनित 13 आई.टी.आईज में से नौ आई.टी.आई. में 70 प्रतिशत की बेसलाइन से कम थी जो यह दर्शाता है कि स्कीम ढंग से कार्यान्वित नहीं की गई।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि परियोजना ट्रेडज में छात्रों की भर्ती के लिए सब संभव प्रयास किए गए हैं। कठिनाइयां अपूर्ण भवनों, स्टाफ की भर्ती न होने और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के द्वारा आई.टी.आईज को मान्यता न देने के कारण थी। आगे, सभी संस्थानों को निदेश दिए गए हैं कि भविष्य में सत्र-वार (कोर्स-वार) परिणाम रखे जाएं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिणाम के.पी.आई. के लक्ष्यों के अनुसार सुधारे जाने चाहिए।

3.5.3.5 छात्रों को नौकरी दिलाना

स्कीम का उद्देश्य प्रशिक्षण के डिजाइन एवं डिलीवरी को अधिक मांग अभिमुख्य बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली से स्नातकों के रोजगार परिणामों में बढ़ोतरी करना था। आगे, जुलाई 2014 में जारी संशोधित मार्गनिर्देशों के अनुसार, आरंभिक बैचमार्क श्रम रोजगार के लिए 50 प्रतिशत था पूर्ण रोजगार के लिए 70 प्रतिशत था।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 13 चयनित आई.टी.आईज में से 12 की प्लेसमेंट प्रतिशतता 2011-13 के दौरान शून्य और 41 के मध्य रही। दो आई.टी.आई, को छोड़कर जहां पास प्रतिशतता 97 (आई.टी.आई. निसिंग 2012 में) और 73 (2013 में फरीदाबाद (महिला) थी। इसी प्रकार, संशोधित मार्गनिर्देश जारी करने (जुलाई 2014) के बाद रोजगार का लक्षित दर 2014 में केवल दो आई.टी.आईज (सदौरा और कुरुक्षेत्र) और 2015 में केवल चार आई.टी.आईज²⁴ द्वारा प्राप्त की गई। इस प्रकार व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा रोजगार सुधारने का स्कीम का मुख्य उद्देश्य मूलभूत संरचना की कमी और उद्योग की सक्रिय एवं प्रभावी भागीदारिता की कमी के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्लेसमेंट के कम अवसर हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई उद्योग स्थित नहीं है।

3.5.4 कायमता

3.5.4.1 ट्रेड्स एफिलिएशन की स्थिति

²⁴ (i) कुरुक्षेत्र (71 प्रतिशत), (ii) कैथल (70 प्रतिशत) (महिला), (iii) निसिंग (58 प्रतिशत) तथा सदौरा (68 प्रतिशत)।

स्कीम मार्गनिर्देशों के अनुसार आई.टी.आईज द्वारा चलाए जाने वाले सभी ट्रेड राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.वी.टी.) से मान्यता प्राप्त होने चाहिए और नए ट्रेड प्रारंभ करने से पहले मान्यता अनिवार्य थी। एन.सी.वी.टी. ट्रेड में दाखिला लेने की अनुमति नहीं होती जब तक एन.सी.वी.टी. उपसमिति द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाती। एन.सी.वी.टी. प्रमाणपत्रों को पूरे देश में मान्यता प्राप्त है जबकि राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेडज के प्रमाण पत्रों को केवल संबंधित राज्य में ही मान्यता प्राप्त होती है।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 13 आई.टी.आईज द्वारा 63 नए ट्रेडज को उन्नयन के लिए लिया गया था, जिसमें से 11 आई.टी.आईज के 34 ट्रेड एन.सी.वी.टी. से मान्यता के बिना थे (दिसंबर 2016)। परिणामतः प्रशिक्षु जो 2007-08 से 2015-16 के दौरान सफल हुए, एन.सी.वी.टी. प्रमाणपत्र से वंचित रहे, फलस्वरूप राज्य के बाहर बेहतर रोजगार अवसरों की हानि हुई।

3.5.5 निष्कर्ष

स्कीम व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली से रोजगार परिणाम सुधारने के अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। 13 आई.टी.आईज में से आठ में फ़ैकल्टी की कमी 14 और 80 प्रतिशत के मध्य थी और 11 आई.टी.आईज के 34 ट्रेड एन.सी.वी.टी. द्वारा मान्यता प्राप्त किए बिना रहे। सभी 13 नमूना-जांच किए आई.टी.आईज में खराब शैक्षिक निष्पादन था।

मामला मई 2016 में सरकार को भेजा गया। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2016)।

सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग

3.6 अपूर्ण सिंचाई स्कीम

अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय की कमी के साथ-साथ नाजुक गतिविधियों की अपूर्णता का परिणाम न केवल एक लिफ्ट सिंचाई स्कीम चालू करने में अत्यधिक विलंब में हुआ बल्कि क्षेत्र के निवासियों को अभीष्ट लाभों से भी वंचित रखा। स्कीम पर किया गया ₹ 7.87 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

पी.डब्ल्यू.डी. कोड सामयिक पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु तथा अधिक समय लगने को रोकने के लिए सभी एजेसियों के काम का उचित समन्वय का विचार रखता है। अंबाला और कुरुक्षेत्र जिलों के 26 गांवों को नहर सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने हेतु 'मानसुरपुर लिफ्ट सिंचाई

स्कीम²⁵ नवंबर 2007 में ₹ 8.61 करोड़ के लिए प्रशासनिक तौर पर अनुमोदित की गई कि यह दोनों तरफ से अर्थात् रबी मौसम में लिफ्ट पंपों की सहायता से पानी खींचकर नरवाना शाखा से और खरीफ मौसम के दौरान पानी के प्राकृतिक प्रवाह से नलवी डिस्ट्रीब्यूटरी द्वारा संपोषित की जाएगी। आर.डी. 0 से 44000 तक इस स्कीम के निर्माण का कार्य जून 2011 में पूर्ण किया गया और मानसुरपुर नलवी लिंक चैनल का निर्माण करके मानसुरपुर डिस्ट्रीब्यूटरी को नलवी डिस्ट्रीब्यूटरी के साथ जोड़ने का कार्य मार्च 2016 में पूर्ण किया गया।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि निष्पादन के लिए परियोजना चार खंडों अर्थात् आर.डी. 0 से 13000, आर.डी. 13000 से 26000, आर.डी. 26000 से 40000 और आर.डी. 40000 से 44000 में विभाजित की गई थी। निर्माण कार्य अप्रैल 2008 में आर्बटित किए गए और जून 2011 में पूर्ण किए गए। पंप हाऊसों को चलाने के लिए स्वतंत्र फीडर लाईन के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) के पास मई 2014 में ₹ 55.67 लाख की राशि जमा करवाई गई। तथापि, ट्रांसफार्मर और विद्युत कनेक्शन अभी तक प्रदान नहीं किए गए (नवंबर 2016)। इस प्रकार, स्कीम को 'रबी' मौसम के लिए परिचालित नहीं किया जा सका। आगे, यह स्कीम खरीफ ऋतु के लिए नलवी डिस्ट्रीब्यूटरी साईड से भी परिचालित नहीं की जा सकी क्योंकि रेलवेज को ₹ 4.76 करोड़ (जुलाई 2010 में ₹ 2.47 करोड़ और दिसंबर 2011 में ₹ 2.29 करोड़) की राशि जमा करवाने के बावजूद नलवी डिस्ट्रीब्यूटरी पर आर.सी.सी. बॉक्स टाइप ब्रिज का निर्माण न होने के कारण इस स्कीम के लिए नलवी डिस्ट्रीब्यूटरी से अपरिष्कृत पानी निर्मुक्त नहीं किया जा सका। इस स्कीम पर ₹ 7.87 करोड़ का व्यय किया गया (नवंबर 2016)।

इस प्रकार, यू.एच.बी.वी.एन.एल. और रेलवेज के साथ समन्वय के अभाव के फलस्वरूप न केवल स्कीम चालू करने में अत्यधिक विलंब हुआ बल्कि क्षेत्र के निवासियों को अभीष्ट लाभों से वंचित रखा। स्कीम पर ₹ 7.87 करोड़ का किया गया व्यय भी निष्फल रहा।

मामला मई 2016 में सरकार को भेजा गया; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2016)।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

3.7 निवेश प्रोत्साहक स्कीमें

निवेश प्रोत्साहक स्कीमों का कार्यान्वयन अयोग्य मदों के लिए ₹ 1.32 करोड़ का अनुदान, ₹ 26.23 करोड़ के ब्याजमुक्त ऋण की अवसूली और ₹ 14.76 लाख के सहायता अनुदान की अवसूली द्वारा चिन्हित है। विभाग ने दस वर्षों में केवल पांच औद्योगिक इकाइयों के लिए ब्याजमुक्त ऋण के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण केंद्र और ठेकेदारी विकास कार्यक्रम के लक्ष्य ₹ 1.65 करोड़ का व्यय करने के बाद भी प्राप्त नहीं किए गए।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा ने दो 'निवेश प्रोत्साहक स्कीमें' अर्थात् (i) राज्य द्वारा वित्तपोषित स्थगित बिक्री कर/वैट (आई.एफ.एल.) के एवज में ब्याजमुक्त ऋण जो जुलाई 2005 में प्रारंभ हुई और (ii) फूड प्रोसेसिंग पर राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.एफ.पी.) जो

²⁵

(i) मन्सूरपुर डिस्ट्रीब्यूटरी (आर.डी. 0 से 44000) का निर्माण।

(ii) पानी को क्रमशः आर.डी. 13000, आर.डी. 26000 तथा आर.डी. 40000 पर खींचने के लिए तीन पंप हाऊसों का निर्माण।

(iii) मानसुरपुर-नलवी लिंक चैनल।

हिस्सेदारी आधार (75:25) पर केंद्रीय प्रयोजित स्कीम (सी.एस.एस.) थी, अप्रैल 2012 से प्रारंभ की। इन दो स्कीमों के अधीन ₹ 104.98 करोड़ के बजट आबंटन के विरुद्ध ₹ 84 करोड़²⁶ का व्यय 2011-16²⁷ के दौरान किया गया। स्कीमों राज्य के 21 जिलों में से 12²⁸ जिलों में कार्यान्वित की गई। ब्याजमुक्त ऋण स्कीम का उद्देश्य घरेलू निवेश आकर्षित करना तथा पिछड़े क्षेत्रों तक उद्योग का फैलाना था।

इन निवेश प्रमोशन स्कीमों के प्रभाव का निर्धारण करने के उद्देश्य से जनवरी से मई 2016 के दौरान निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा (आई. एंड सी.) चण्डीगढ़ के कार्यालय में 2011-16 की अवधि के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई थी।

3.7.1 आस्थगित बिक्री कर/वैट के एवज में ब्याजमुक्त ऋण

औद्योगिक नीति, 2005, में विचार किया गया कि घरेलू निवेश आकर्षित करने तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के फैलाव हेतु राज्य सरकार ₹ 100 करोड़ तथा अधिक के निवेश वाली बृहत परियोजनाओं को ब्याजमुक्त ऋण के रूप में औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। वित्तीय सहायता की मात्रा आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा जारी योग्यता प्रमाणपत्र के आधार पर निर्धारित की जानी थी जो ब्याजमुक्त ऋण की मंजूरी की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के बाद वापस भुगतान योग्य ब्याजमुक्त ऋण के रूप में वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ की तिथि से सात वर्षों की अवधि के लिए ऐसी औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री पर भुगतान किए कर का 50 प्रतिशत था। इकाई की बिक्री/हस्तांतरण के मामले में ब्याजमुक्त ऋण की शेष राशि क्रेता/ट्रांसफरी को हस्तांतरित की जानी थी यदि यह किन्हीं परिसंपत्तियों का निपटान किए बिना या निर्माण या उत्पादन क्षमता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना उत्पादन जारी रखता है। यदि दिए गए ब्याजमुक्त ऋण लाभ का शेष क्रेता/ट्रांसफरी को हस्तांतरित नहीं किया गया, राशि जिसे मूल ग्रांटी किया गया था से 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज के साथ वसूल की जानी थी।

3.7.1.1 दावों का निपटान न किया जाना

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि छः औद्योगिक इकाइयों ने मार्च 2016 तक ब्याजमुक्त ऋण के अधीन ₹ 280.83 करोड़ के दावों के लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत किए थे। विभाग ने पांच औद्योगिक इकाइयों को केवल ₹ 97.94 करोड़ की राशि वितरित की जबकि पानीपत स्थित एक कंपनी के ₹ 34.34 करोड़ के ब्याजमुक्त ऋण सहित इन पांच इकाइयों के ₹ 182.90 करोड़ के दावे वितरित किए जाने शेष थे (नवंबर 2016)। ₹ 34.34 करोड़ का ब्याजमुक्त ऋण आई.ओ.सी.एल. को गत चार वर्षों में एक बार भी वितरित नहीं किए गए। तथापि, विभाग ब्याजमुक्त ऋण स्कीम के अधीन निधियों की अनुमानित आवश्यकता का अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहा परिणामस्वरूप ₹ 182.90 करोड़ के लंबित दावे संचित हो गए।

विभाग ने बताया (मई 2016) कि लंबित दावे समाप्त करने के लिए ₹ 200 करोड़ की मांग की गई है और आगे बताया (जुलाई 2016) कि ऋण के वितरण में विलंब निधियों की कमी तथा आवेदक द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने में देरी के कारण था।

²⁶ ₹ 56.60 करोड़ (आई.एफ.एल.) + ₹ 27.40 करोड़ (एन.एम.एफ.पी.)।

²⁷ आई.एफ.एल.: अप्रैल 2011 से मार्च 2016 तक और एन.एम.एफ.पी.: अप्रैल 2012 से मार्च 2015 तक।

²⁸ (i) फरीदाबाद, (ii) फतेहाबाद, (iii) हिसार, (iv) कैथल, (v) करनाल, (vi) कुरुक्षेत्र, (vii) मेवात, (viii) पलवल, (ix) पानीपत, (x) रोहतक, (xi) सोनीपत तथा (xii) यमुनानगर।

3.7.1.2 आस्थगित बिक्री कर/वैट के एवज में ब्याजमुक्त ऋण की अवसूली

पानीपत स्थित एक फर्म को ब्याजमुक्त ऋण के लिए मंजूरी की नियम एवं शर्तों के अनुसार, इकाई की बिक्री/हस्तांतरण के मामले में ब्याजमुक्त ऋण के लाभ का शेष क्रेता को हस्तांतरित किया जाना था यदि यह किसी परिसंपत्तियों का निपटान किए बिना और निर्माण एवं उत्पादन क्षमता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना उत्पादन जारी रखता है।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि ₹ 37.97 करोड़ का ब्याजमुक्त ऋण फर्म को दिया गया (अप्रैल 2009 से मार्च 2015) इस फर्म ने एक अन्य निजी फर्म के साथ एक विक्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए (19 सितंबर 2014) और इकाई के विक्रय के लिए अनुमोदन मांगते हुए विभाग को एक आवेदनपत्र प्रस्तुत किया (7 अक्टूबर 2014) विभाग द्वारा अनुमोदन (6 जनवरी 2015) पर, मंजूरी की शर्तों की उल्लंघना में ब्याजमुक्त ऋण का लाभ हस्तांतरित किए बिना इकाई क्रेता को सौंप दी गई (27 अप्रैल 2015)। यह देखा गया कि विभाग ने बिक्री अनुबंध के इस प्रावधान की उपेक्षा करते हुए इकाई की बिक्री का अनुमोदन मंजूर कर दिया जो निर्धारित करता था कि फर्म ब्याजमुक्त ऋण के लाभ अन्य फर्म को हस्तांतरित नहीं करेगी और दिसंबर 2014 से मार्च 2015 के दौरान ₹ 4.43 करोड़ का ब्याजमुक्त ऋण फर्म को निर्मुक्त कर दिया। आगे, यह अवलोकित किया गया कि मार्च 2016 को फर्म के प्रति ₹ 18.44 करोड़ का ऋण और ₹ 7.79 करोड़ (18 प्रतिशत ब्याज दर) का ब्याज लंबित था। इस प्रकार, फर्म को ₹ 4.43 करोड़ के ऋण का अग्रिम तथा क्रेता फर्म को ब्याजमुक्त ऋण हस्तांतरित किए बिना इकाई की बिक्री अनुमोदित करना मंजूरी की शर्तों और स्कीम के नियमों की उल्लंघना थी।

विभाग ने बताया (मई 2016) कि बैंक अधिकारियों को ब्याजमुक्त ऋण के वितरण के विरुद्ध निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य (आई. एंड सी.) विभाग के पक्ष में जारी की गई बैंक गारंटी को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

3.7.2 फूड प्रोसेसिंग पर राष्ट्रीय मिशन

3.7.2.1 अयोग्य मदों पर सहायता अनुदान की अधिक संस्वीकृति

एकीकृत एवं पूर्ण शीत चैन, फार्म गेट से उपभोक्ता तक और उत्पादन स्थल से बाजार तक प्रदान करने के विचार से शीत चैन, और परिरक्षण मूलभूत संरचना सुविधाएं अप्रैल 2012 में फूड प्रोसेसिंग पर राष्ट्रीय मिशन के अधीन मूल्यवर्धन एवं परिरक्षण मूलभूत संरचना स्कीम मूलभूत संरचना परिरक्षित करने की स्कीम प्रारंभ की गई थी तथा अगस्त 2013 में संशोधित की गई। स्कीम के अधीन 2012-16 के दौरान प्राप्त छः आवेदनपत्रों में से तीन शीत चैन इकाइयों को सहायता अनुदान निर्मुक्त किया गया। मार्गनिर्देशों के अनुसार, सिविल कार्य अर्थात् परिसर दीवार, भूमि की लागत और इसका विकास, कोई रिहाइशी भवन या आराम कक्ष/अतिथिगृह, कैटीन, प्रसव आराम कक्ष और कार्मिकों के लिए क्वार्टर, सुरक्षा/गार्ड अथवा अनुलग्नक और शीत चैन से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित गैर तकनीकी सिविल कार्य या भंडारण मूलभूत संरचना सहायता अनुदान के लिए योग्य नहीं थे। लेखापरीक्षा ने निम्न अवलोकित किया:

(ए) सोनीपत स्थित एक खाद्य उद्योग को एक पैलेटाइज्ड कोल्ड स्टोर संस्थापित करने के लिए ₹ 7.31 करोड़ की राशि सहायता अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई जिसमें ₹ 1.17

करोड़²⁹ की अयोग्य मद भी शामिल थी इसमें से ₹ 5.48 करोड़ मई 2013 और अक्टूबर 2014 के मध्य निर्मुक्त किए गए। इस प्रकार, विभाग ने ₹ 0.58 करोड़ के अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत किए।

(बी) इसी प्रकार, सोनीपत जिले में एक अन्य फर्म ने बहु उत्पादों, बहु विविध आर्द्रता कोल्डस्टोरेज कक्षों के प्रतिस्थापन के लिए अनुदान के लिए आवेदन दिया (अप्रैल 2013) यह अवलोकित किया गया (मई 2016) कि विभाग ने ₹ 14.76 करोड़ की परियोजना लागत के विरुद्ध ₹ 5 करोड़ की राशि सहायता अनुदान के रूप में स्वीकृत की जिसमें ₹ 2.58 करोड़ के सिविल कार्य के अयोग्य घटक शामिल थे। अयोग्य मदें शामिल करने के फलस्वरूप ₹ 0.74³⁰ करोड़ के अनुदान की अधिक स्वीकृति हुई।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि मदें अनुदान के लिए योग्य थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ये मदें स्कीम मार्गनिर्देशों के अनुसार योग्य नहीं थी।

3.7.2.2 स्कीम मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में किशत की निर्मुक्ति

नई फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना और तकनीकी उन्नयन और विद्यमान इकाइयों के विस्तार के लिए “फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/प्रस्थापन/आधुनिकीकरण” स्कीम के अंतर्गत ₹ 50 लाख का अधिकतम सहायता अनुदान निर्मुक्त किया जाना था। पहली किशत ऋण के 50 प्रतिशत की उपयोगिता के बाद और प्रमोटर के अंशदान का 50 प्रतिशत निर्मुक्त किया जाना था। अनुदान की दूसरी किशत केवल राज्य मिशन महानिदेशक, राष्ट्रीय मिशन फूड प्रोसेसिंग द्वारा भौतिक सत्यापन के द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ की पुष्टि करने के बाद तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति पर ही की जानी थी। परियोजनाएं अनुमोदन पत्र के तिथि से 12 मास के भीतर पूर्ण की जानी थी। यदि परियोजना निर्धारित समय के भीतर पूर्ण नहीं की जाती है तो राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति को अनुदान वापस लेने का प्राधिकार है।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि ₹ 29.52 लाख का सहायता अनुदान पलवल (फरीदाबाद) की एक निजी फर्म को मंजूर किया गया था (12 मार्च 2013) से एक और ₹ 14.76 लाख की प्रथम किशत 14 मार्च, 2013 को निर्मुक्त कर दी गई थी। परियोजना मार्च 2014 तक पूर्ण की जानी थी। तथापि, कंपनी ने अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए कि परियोजना प्रारंभ कर दी गई है। संयुक्त निदेशक, जिला उद्योग केंद्र, पलवल ने मिशन निदेशक को सूचित किया कि दौरे के दौरान (11 मार्च 2014) प्लांट बंद पाया गया।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि प्रोपराईटर (मालिक) बैंक से लिए गए सावधि ऋण की कुछ किशतें अदा करने में समर्थ नहीं था और बैंक ने अपेक्षित प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जो सहायता अनुदान की दूसरी किशत प्राप्त करने के लिए अपेक्षित था। संयुक्त निदेशक, डी.आई.सी. पलवल ने मई, 2015 में निरीक्षण किया था और पाया कि कुछ मशीनरी को छोड़कर इकाई में प्लांट और मशीनरी प्रस्थापित की गई थी। तथ्य रह जाता है कि सहायता अनुदान की

²⁹ (i) एटें कक्ष दीवार - ₹ 9.22 लाख, (ii) आराम कक्ष और सुविधाएं - ₹ 6.38 लाख, (iii) आराम कक्ष बिजली प्रस्थापन - ₹ 2.40 लाख, (iv) जल प्रणाली - ₹ 3.50 लाख, (v) बाहरी दीवार - ₹ 61.39 लाख, (vi) विभाजन दीवार - ₹ 34.44 लाख - (कुल = ₹ 117.33 लाख)।

³⁰ ₹ 1,476 लाख (परियोजना लागत) - ₹ 258 लाख (मार्गनिर्देशों के अनुसार अयोग्य मदें) = ₹ 1,218 लाख; ₹ 1,218 लाख का 35 प्रतिशत = ₹ 4.26 करोड़; विभाग द्वारा स्वीकृत कुल = ₹ 5.00 करोड़ - ₹ 4.26 करोड़ (योग्य जी.आई.ए.) = ₹ 0.74 करोड़ (जी.आई.ए. की अधिक निर्मुक्ति)।

किश्त अनुदान की शर्तों के उल्लंघन में फर्म को निर्मुक्त की गई थी क्योंकि न तो उत्पादन प्रारंभ किया गया था और न ही उपयोगिता प्रमाणपत्र फर्म द्वारा प्रस्तुत किया गया।

3.7.2.3 प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए लक्ष्यों की अप्राप्ति

फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण केंद्र के लिए स्कीम (एफ.पी.टी.सी.) ग्रामीण उद्यमियों के विकास और स्थानीय उगाए गए कच्चे माल का उपयोग करके खाद्य उत्पादों की प्रोसेसिंग के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु प्रारंभ की गई थी। अनुदान दो किश्तों में निर्मुक्त किया जाना था। पहली किश्त की निर्मुक्ति के छः महीनों के भीतर दूसरी किश्त निर्मुक्त की जानी थी। एफ.पी.टी.सी. द्वारा अगले दस वर्षों के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 50 प्रतिवर्ष न्यूनतम दो बैच को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था। इन एफ.पी.टी.सी.ज द्वारा फूड प्रोसेसिंग गतिविधियों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानदंड अधिनियम, 2006 के अंतर्गत लाईसेंस प्राप्त किया जाना था।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि स्कीम के अंतर्गत ₹ 24 लाख का अनुदान 2013-15 के दौरान फूड प्रोसेसिंग गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए चार संस्थाओं को वितरित किया गया। 500 प्रशिक्षणार्थियों के लक्ष्य के विरुद्ध, इन संस्थाओं ने सितंबर 2013 से मार्च 2016 के दौरान केवल 275 (55 प्रतिशत) प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। पानीपत स्थित एक संस्था के पास फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण आयोजित करवाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. लाईसेंस नहीं था। इसके बावजूद, विभाग ने स्कीम के मार्गनिर्देशों की उल्लंघना में एजेंसी को अनुदान प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, एजेंसियों को अनुदान की दूसरी किश्त एक से दो वर्षों की अवधि के विलंब के साथ निर्मुक्त की गई। आगे, फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण केंद्र पर ₹ 24 लाख का व्यय करने के बाद भी संस्थाएं प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि एफ.एस.एस.ए.आई. प्रमाणपत्र की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उक्त एफ.पी.टी.सी. बेकरी प्रोसेसिंग करती है। विभाग ने आगे बताया कि लक्ष्य की प्राप्ति में कोई कमी नहीं थी और संचित उपलब्धि लक्ष्य से अधिक है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार बाजार में खाद्य उत्पादों को बेचने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. प्रमाणपत्र अनिवार्य है। आगे, विभाग का दावा कि संचित उपलब्धि लक्ष्य से अधिक है, सही नहीं है क्योंकि लक्ष्यों की प्राप्ति की गणना द्वितीय किश्त की निर्मुक्ति अथवा प्रथम किश्त की निर्मुक्ति के छः महीने पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो, की जानी थी।

3.7.2.4 उद्यम विकास कार्यक्रम आयोजित करने में अनियमिताएं

उद्यम विकास कार्यक्रम (ई.डी.पी.) फूड प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आयोजित किए जाने थे। मार्गनिर्देशों के अनुसार, उद्यम विकास कार्यक्रम की समयावधि चार सप्ताह थी जिसमें फील्ड दौर, परियोजना तैयार करना, वित्तीय सहायता से संबंधित निर्माण कार्य और उच्चतर प्रशिक्षण के लिए आवश्यकता का अनुमान लगाना शामिल था। प्रत्येक उद्यम विकास कार्यक्रम में उद्यम विकास के लिए 25 से 35 प्रशिक्षणार्थी होने चाहिए और इन प्रशिक्षित व्यक्तियों में से कम से कम 50 प्रतिशत द्वारा अपनी प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित करनी अपेक्षित थी। प्रति उद्यम विकास कार्यक्रम ₹ 3 लाख तक का अनुदान

तीन किश्तों³¹ में निर्मुक्त किया जाना था। इस अवधि के दौरान अनुवर्ती चरण 12 मास या अधिक अवधि तक जारी रहना था। पूर्ण उद्यम विकास कार्यक्रमों का स्वतंत्र मूल्यांकन दो वर्षों बाद राज्य मिशन निदेशालय द्वारा चयनित एक स्वतंत्र व्यावसायिक संगठन द्वारा किया जाना अपेक्षित था।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि ₹ 1.41 करोड़ 2012-16 के दौरान सात संस्थाओं द्वारा 82 उद्यम विकास कार्यक्रम आयोजित करने पर व्यय किए गए। लेखापरीक्षा ने निम्न अवलोकित किया:

(i) लक्ष्यों की अप्राप्ति

चार एजेसियों द्वारा अयोजित 24 ई.डी.पीज द्वारा 717 प्रशिक्षणार्थियों को उद्यम विकास कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें से कम से कम 358 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अपनी इकाइयां स्थापित करनी अपेक्षित थी। लेकिन केवल 156 प्रशिक्षणार्थी अपनी इकाइयां स्थापित कर सके इससे 202 इकाइयों की कमी रह गई।

इसके अतिरिक्त, 10 उद्यम विकास कार्यक्रम उत्तर भारतीय तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड द्वारा एस.सी./एस.टी. के लिए और एक उद्यम विकास कार्यक्रम 2014-15 के दौरान राष्ट्रीय फूड प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी उद्यम एवं प्रबंधन द्वारा आयोजित किए गए और इन संस्थाओं को ई.डी.पी. आयोजित करने के लिए ₹ 1.41 करोड़ के अनुदान निर्मुक्त किए गए परंतु ये दोनों संस्थाएं अनुवर्ती प्रक्रिया को प्रशिक्षण पूर्ण होने के एक वर्ष बाद तक भी पूरा नहीं कर सकी।

इस प्रकार, विभाग लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहा और स्कीम का अपनी स्वयं की इकाइयां स्थापित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) लक्ष्यों की कम प्राप्ति संगठनों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को फूड प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित न करने के कारण थी और आगे बताया कि विभाग लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संगठनों का अनुसरण कर रहा है।

(ii) अनुदान की अवसूली

पलवल और मेवात में ई.डी.पी. आयोजित करने के लिए एक फर्म को ₹ 2 लाख का अनुदान दिया गया (मार्च 2013)। संयुक्त निदेशक, जिला उद्योग केंद्र, पलवल द्वारा किए गए एक निरीक्षण (अगस्त 2014) के दौरान, यह पाया गया कि 26 व्यक्तियों में से छः व्यक्ति जो प्रशिक्षित दिखाए गए थे, ने बताया कि संस्था द्वारा उन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। विभाग ने अक्टूबर 2015 के दौरान इस संस्था से अनुदान ब्याज के साथ वापस मागे परंतु अभी तक कोई वसूली नहीं की गई (जुलाई 2016)।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि अनुदान की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

³¹ (i) प्रस्ताव के अनुमोदन पर अग्रिम के रूप में 50 प्रतिशत; (ii) ई.डी.पी. के पूर्ण होने पर 25 प्रतिशत तथा (iii) अनुवर्ती कार्रवाई के पूर्ण होने पर 25 प्रतिशत।

3.1.3 निष्कर्ष

स्कीम के उद्देश्य पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं किए जा सके क्योंकि स्कीमों के अंतर्गत वितरण के लिए ₹ 182.90 करोड़ के दावे लंबित रहे। शीत चैन स्कीम के अंतर्गत अनुदान केवल तीन औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किए गए थे जबकि अयोग्य मदों के न निकालने के कारण ₹ 1.32 करोड़ के अनुदान की अधिक संस्वीकृति और ₹ 26.23 करोड़ के ब्याजमुक्त ऋण की अवसूली थी। इसके अलावा, एफ.पी.टी.सी. और ई.डी.पी. के लक्ष्य ₹ 1.65 करोड़ का व्यय करने के बाद भी प्राप्त नहीं किए जा सके।

श्रम विभाग

3.8 कार्मिक सुविधा केंद्रों के निर्माण में विलंब

स्थल का भौतिक स्वामित्व लेने में बोर्ड की विफलता के कारण कुंडली और राई में कार्मिक सुविधा केंद्रों के निर्माण में विलंब और ₹ 10.44 करोड़ की निधियों के अवरोधन तथा ₹ 1.32 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कार्मिक कल्याण बोर्ड ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम (एच.एस.आई.आई.डी.सी.) को कार्मिकों को लघु अवधि मोड्यूलर प्रशिक्षण, उनके बच्चों के लिए क्रेचिज और बोर्ड के लाभग्राहियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुविधाएं और कार्यस्थल पर सुरक्षा में सुधार प्रदान करने के लिए कर्मचारी सुविधा केंद्र (डब्ल्यू.एफ.सी.ज) के प्रतिष्ठापन के लिए कुंडली और राई में स्थल आबंटित करने हेतु अनुरोध किया (अक्टूबर 2009)।

एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने ₹ 6,325 प्रति वर्गमीटर की दर पर लगभग 2,025 वर्गमीटर माप के दो स्थल प्रस्तुत किए (अगस्त 2010) और बोर्ड को 10 प्रतिशत आवेदन धन के रूप में ₹ 25.62 लाख जमा करवाने हेतु अनुरोध किया जो बोर्ड द्वारा अक्टूबर 2010 द्वारा जमा करवा दिया गया। आवेदन की प्राप्ति पर, एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने ₹ 2.61 करोड़ (₹ 1.33 करोड़ और ₹ 1.28 करोड़) कुंडली और राई के लिए क्रमशः के प्रतिफल धन के लिए 2,100 और 2,016 वर्गमीटर माप के दोनों स्थलों के लिए बोर्ड को आबंटन पत्र जारी कर दिए (मार्च 2011) और शेष राशि का भुगतान अप्रैल और मई 2011 के दौरान एच.एस.आई.आई.डी.सी. को कर दिया गया। आबंटन पत्र के अनुसार, स्थल के स्वामित्व के प्रस्ताव की तिथि से चार वर्षों की अवधि के भीतर निर्माण पूर्ण किया जाना था। निर्माण के लिए विस्तार अगले तीन वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर विस्तारण फीस के भुगतान के बाद अनुमत था और विस्तृत अवधि के भीतर इस शर्त का अनुपालन न होने पर, स्थल वापस लिया जाना देय था।

बोर्ड ने सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (ए.डी., आई.एस. एंड एच.) सोनीपत को बोर्ड को सूचित करते हुए स्थलों का भौतिक स्वामित्व लेने तथा स्थलों के विस्तार और जोनिंग योजनाएं भेजने के लिए भी निदेश दिया (जून 2011)। बोर्ड ने एच.एस.आई.आई.डी.सी. को स्थल की जोनिंग योजना प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया (अगस्त 2011)। सितंबर 2011 में एच.एस.आई.आई.डी.सी. से जोनिंग योजनाओं की प्राप्ति पर बोर्ड ने ले-आऊट योजना तैयार करने हेतु मुख्य वास्तुकार, हरियाणा से संपर्क किया (दिसंबर 2011) जो बाद में 29 मई 2013 को मुख्य वास्तुकार से प्राप्त की गई और बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मार्च 2014 में अनुमोदित कर दी गई। डब्ल्यू.एफ.सी.ज के निर्माण के लिए कच्चा लागत अनुमान जुलाई 2014 में लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़कें (पी.डब्ल्यू.डी.) द्वारा बोर्ड को अग्रेषित कर दिए गए और

अक्टूबर 2014 में सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन दे दिए गए। निर्माण कार्य निष्पादित करने के लिए दिसंबर 2014 में पी.डब्ल्यू.डी. को ₹ 10.44 करोड़ की निधियां हस्तांतरित कर दी गई।

तथापि, परियोजना आगे प्रगति न कर सकी क्योंकि बोर्ड को अभी स्थलों का भौतिक स्वामित्व लेना था। पी.डब्ल्यू.डी. ने बोर्ड को स्थलों का स्वामित्व देने हेतु अनुरोध किया (मार्च 2015) क्योंकि उन्होंने डब्ल्यू.एफ.सी.जे. के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली थी और बोर्ड ने ए.डी. (आई.एस. एंड एच.), सोनीपत को आबंटन के पत्रों के जारी करने की तिथि से चार वर्षों की अवधि के बाद स्थलों के भौतिक स्वामित्व बारे पूर्ण रिपोर्ट भेजने के निदेश दिए (अप्रैल 2015)। इसी मध्य, पी.डब्ल्यू.डी. ने निर्माण कार्य एक ठेकेदार को कार्य 12 महीनों के भीतर पूर्ण करने की शर्त पर आबंटित (सितंबर 2015) कर दिया। कुंडली और राई में स्थल का स्वामित्व बोर्ड द्वारा वास्तव में जनवरी और जून 2016 के दौरान अर्थात् आबंटन-पत्रों के जारी करने की तिथि से क्रमशः 56 और 62 महीनों के बाद लिया गया और स्थल पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) को एच.एस.आई.आई.डी.सी. से स्वामित्व लेने की तिथियों पर ही सौंप दिया गया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि चार वर्षों से अधिक तक स्थल लेने को सुनिश्चित करने में बोर्ड की विफलता के परिणामस्वरूप परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब तथा ₹ 1.32 करोड़³² के ब्याज की हानि के अतिरिक्त ₹ 10.44 करोड़ का अवरोधन हुआ। आगे, आबंटन-पत्र की शर्तों के अनुसार मार्च 2015 तक स्थलों के निर्माण न होने के कारण विस्तारण फीस के रूप में बोर्ड द्वारा ₹ 4.82 लाख की राशि का भी भुगतान किया गया है (दिसंबर 2015)।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि दोनों स्थलों का भौतिक स्वामित्व ले लिया गया है (जनवरी/जून 2016) और स्वामित्व लेने में विलंब के कारणों की जांच के लिए कार्यालयीन कार्यवाहियां प्रारंभ की जा रही थी।

मामला जुलाई 2016 में सरकार को भेजा गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2016)।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग

3.9 सेवा कर का परिहार्य भुगतान

चार मेडिकल संस्थानों ने सेवा कर के रूप में ₹ 6.59 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया जबकि इन संस्थानों को शैक्षिक संस्थान होने के कारण भारत सरकार द्वारा छूट प्राप्त थी।

भारतीय मेडिकल परिषद अधिनियम, 1956, के अनुसार, मेडिकल संस्थान से अभिप्राय कोई ऐसे संस्थान है जो दवा में डिग्री, डिप्लोमा या लाईसेंस प्रदान करती है। राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने 1 जुलाई 2012 से शैक्षिक संस्थाओं को या द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ

32

अवधि	बैंक में एफ.डी.आर. पर ब्याज की विद्यमान दरें (प्रतिशत) प्रतिवर्ष	पी.डब्ल्यू.डी. को जमा करवाई गई राशि (₹)	ब्याज की हानि (₹)
16.12.2014 से 31.03.2015 (3.5 महीने)	9.00	10,44,37,000	27,41,471
01.04.2015 से 31.03.2016 (12 महीने)	8.25	10,44,37,000	86,16,052
01.04.2016 से 30.06.2016 (3 महीने)	7.00	10,44,37,000	18,27,647
कुल			1,31,85,170

(स्रोत: बोर्ड की एफ.डी.आर.ज में जमा की गई राशि पर विभिन्न बैंकों द्वारा दिए गए ब्याज की दर के आधार पर परिकलित ब्याज की हानि)

सेवाओं को सेवा कर से छूट दे दी (जून 2012)। विभाग ने सितंबर 2013 में स्पष्ट किया कि छूट प्राप्त सेवाओं में वे सभी सेवाएं शामिल हैं जो शैक्षिक संस्थाएं साधारणतया स्वयं करती हैं परंतु किन्हीं व्यक्तियों से आऊटसोर्सड सेवाओं के रूप में प्राप्त कर सकती है। ऐसी शैक्षिक संस्थाओं में निष्पादित हाऊस कीपिंग सेवाओं को शामिल करने के लिए आगे अधिसूचना जुलाई 2014 में संशोधित कर दी गई।

भगत फूल सिंह सरकारी मेडिकल महिला कॉलेज (बी.पी.एस.ज), खानपुर कलां (सोनीपत), शहीद हसन खान मेवाती सरकारी मेडिकल कॉलेज (एस.एच.के.एम.), नल्हर (मेवात), पंडित बी.डी. शर्मा मेडिकल सेवाओं का स्नातकोत्तर संस्थान (पी.जी.आई.एम.एस.) और स्वास्थ्य विज्ञान का पंडित बी.डी. शर्मा विश्वविद्यालय (यू.एच.एस.), रोहतक के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि इन संस्थाओं ने जुलाई 2012 और अगस्त 2014 के मध्य सुरक्षा, हाऊसकीपिंग, स्वच्छता कार्य, हैल्पर्ज और बियरर सेवाएं प्रदान करने के लिए चार सेवा प्रदानकर्ताओं को नियुक्त किया। उपर्युक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए जुलाई 2012 और अगस्त 2016 के मध्य इन एजेंसियों को ₹ 6.59 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया जो बचाया जा सकता था यदि भारत सरकार द्वारा अधिसूचनाएं कार्यान्वित की जाती।

इंगित किए जाने पर, अस्पताल अधिकारियों ने बताया कि सेवा प्रदानकर्ताओं को भुगतान किए गए सेवा कर की राशि वसूलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

मामला सरकार को जुलाई 2016 में भेजा गया था। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2016)।

3.10 निर्माण कार्यों के अविवेकपूर्ण आबंटन के कारण अतिरिक्त व्यय

महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज द्वारा एजेंसी के विश्वसनीयता और कार्य अनुभव सुनिश्चित किए बिना और शेष कार्य चूककर्ता एजेंसी के जोखिम और ब्याज पर करवाए बिना, जैसा कि अनुबंध में प्रावधान था, ₹ 8.57 करोड़ के मूल्य के निर्माण कार्यों के आबंटन के परिणामस्वरूप ₹ 2.06 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज (एम.ए.एम.सी.) अग्रोहा ने ₹ 4 करोड़ और ₹ 2.60 करोड़ की अनुमानित लागत पर क्रमशः दस और आठ महीनों की पूर्णता अवधि के साथ दो निर्माण कार्यों अर्थात् “ नर्सिंग होस्टल का निर्माण (90 कमरे) ” और “ 24 टाईप- II घर ” के लिए टेंडर आमंत्रित किए (जुलाई 2011)। टेंडर आमंत्रित करने वाले नोटिस की शर्तों और नियमों के अनुसार, टेंडरकर्ताओं द्वारा अपेक्षित दस्तावेज जैसे टी.आई.एन. और पैन संख्या, अनुसूची पत्र की वैध प्रति, मशीनरी की सूची और गत तीन वर्षों के दौरान निष्पादित इसी प्रकार के निर्माण कार्यों की सूची प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

निदेशक, एम.ए.एम.सी., अग्रोहा, के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा (मई 2015) ने दर्शाया कि दोनों कार्य एम.ए.एम.सी. द्वारा एक एजेंसी को ₹ 5.32 करोड़ और ₹ 3.25 करोड़ पर आबंटित किए गए (अगस्त और सितंबर 2011)। परंतु टी.आई.एन. संख्या, मशीनरी की सूची और गत तीन वर्षों के दौरान निष्पादित इसी प्रकार के निर्माण कार्यों की सूची जैसे आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं किए गए। एजेंसी ने ₹ 1.19 करोड़ और ₹ 1.38 करोड़ की सीमा तक निर्माण कार्यों का भाग निष्पादित करने के बाद अक्टूबर 2012 और फरवरी 2013 में दोनों कार्य अपूर्ण छोड़ दिए। निर्माण कार्य पूर्ण करने में एजेंसी की विफलता के कारण निर्माणकार्यों की प्रदत्त लागत पर 10 प्रतिशत की दर पर ₹ 0.53 करोड़ और ₹ 0.33 करोड़

राशि का मुआवजा लगाया गया (मई 2013) और आगे शेष निर्माण कार्यों को एजेंसी के जोखिम और लागत पर करवाने का निर्णय लिया गया (मई 2013)। एजेंसी आर्बीट्रेशन में चली गई (जनवरी/फरवरी 2014) जो उन्होंने बाद में रिकार्ड में कोई कारण रखे बिना वापस ले लिया (मई 2015)। शेष निर्माण कार्य अंत में दिसंबर 2014 और जनवरी 2015 में क्रमशः ₹ 7.68 करोड़ और ₹ 3.05 करोड़ की लागत पर दो अन्य ठेकेदारों से निष्पादित करवाए गए। दो ठेकेदारों को आर्बिट्रेशन निर्माण कार्यों के वास्तविक क्षेत्र का समायोजन करने के बाद, एम.ए.एम.सी. को ₹ 2.06 करोड़³³ (₹ 1.73 करोड़ + ₹ 0.33 करोड़) का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। इस प्रकार, टेंडर आमंत्रण नोटिस में जैसे विचारित अनुसार समान कार्यों के निष्पादन में एजेंसी के पिछले अनुभव के ब्यौरे प्राप्त किए बिना निर्माण कार्यों के आर्बिट्रेशन और बाद में ठेका अनुबंध के अनुसार शेष कार्य उसके जोखिम और लागत पर पूर्ण न करने के कारण ₹ 2.06 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मामला मई 2016 में सरकार को भेजा गया। उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2016)।

3.11 बोलियों का गलत मूल्यांकन

प्रस्तुत किए गए उद्धरणों के कुल वित्तीय आशयों को ध्यान में रखते हुए सेवा प्रदाकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय बोलियों का सही ढंग से मूल्यांकन करने की विफलता के परिणामस्वरूप उस फर्म को कार्य प्रदान किया गया जो कि निम्नतम बोली लगाने वाली नहीं थी और शहीद हसन खान मेवाती गर्वमेंट मैडिकल कॉलेज, नल्हर, मेवात में ₹ 1.51 करोड़ की अधिक भुगतान हुआ।

हरियाणा सरकार ने सेवाओं/गतिविधियों की आऊटसोर्सिंग के लिए एक नीति जारी की (फरवरी 2009) जिसके अनुसार जहां पद स्वीकृत नहीं किए गए थे, विभागों द्वारा जब भी आवश्यक हो, सेवाएं/गतिविधियां आऊटसोर्स की जानी थी और व्यक्तियों को न्यूनतम वेतन³⁴ और सांविधिक प्रभारों³⁵ पर नियुक्त किया जाना था।

शहीद हसन खान मेवाती गर्वमेंट मैडिकल कॉलेज (जी.एम.सी.) नल्हर, मेवात के अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि हाउसकीपिंग स्टाफ³⁶ की नियुक्ति के लिए दोहरी बोली प्रणाली के अंतर्गत मई 2014 में निविदाएं आमंत्रित की गई थी और बोलीदाताओं द्वारा, ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं सेवा कर और बोलीदाता के सेवा प्रभारों की प्रतिशतता जोड़ते हुए न्यूनतम वेतन सहित प्रति व्यक्ति प्रति माह दर उद्धृत करनी अपेक्षित थी। बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत की गई दरें दो वर्षों की अवधि के लिए सुरक्षित रखी जानी थी। प्रत्युत्तर में आठ बोलीदाताओं ने अपनी तकनीकी और वित्तीय बोलियां प्रस्तुत की। मैडिकल सुपरिटेण्डेंट की अध्यक्षता के अंतर्गत गठित समिति द्वारा तकनीकी बोलियां खोली गई थी (जून 2014) और दो बोलीदाताओं की तकनीकी बोलियां रद्द की गई क्योंकि अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं थे। बाकी छः बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां जुलाई 2014 में खोली गई थी। फर्म 'ए' ने न्यूनतम वेतन जमा सांविधिक कर एवं

³³ ₹ 2.25 करोड़ (दोनों कार्यों पर कुल अतिरिक्त व्यय) - ₹ 0.19 करोड़ (सिक्योरिटी जमा के कारण समायोजित)।

³⁴ अकुशल: ₹ 8,100 प्रतिमाह; अर्द्ध-कुशल: ₹ 9,000 प्रतिमाह; कुशल: ₹ 9,900 प्रतिमाह।

³⁵ कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदान।

³⁶ वार्ड अभिभावक, पलंबर, बिजलीवाला, पेन्टर, लिफ्ट आपरेटर, दर्जी, डाटा एंट्री आपरेटर, कारपेंटर एवं कोई भी दूसरा कुशल/अर्द्ध-कुशल/अकुशल कारीगर।

2.01 प्रतिशत सेवा प्रभार पर अपनी दरें उद्धृत की जबकि फर्म 'बी' ने पद³⁷ की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रति माह एकमुश्त दरें जमा 2.01 प्रतिशत की दर पर सेवा प्रभार उद्धृत किया। फर्म 'बी' द्वारा उद्धृत किए गए वेतनों की एकमुश्त दरें न्यूनतम वेतन एवं सांविधिक प्रभारों से उच्चतर³⁸ थी। समिति ने फर्म 'बी' के पक्ष में कार्य आदेश इस आधार पर जारी करने की सिफारिश की कि दोनों वित्तीय बोलियों ने एक ही दरें उद्धृत की थी लेकिन फर्म 'ख' का अनुभव फर्म 'ए'³⁹ की तुलना में छः वर्ष का अधिक था। अनुशंसा, अनुमोदन के लिए, निदेशक, मैडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च, हरियाणा को अग्रेषित की गई थी (अगस्त 2014) जिसे स्वीकार किया गया था और अगस्त 2014 में फर्म 'बी' को एक वर्ष के लिए कार्य आबंटित किया गया था जिसे 31 मार्च 2016 या ई-टैंडरिंग को अन्तिम किए जाने तक बढ़ा दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस में निर्धारित था कि दो बोलीदाताओं के वित्तीय बोलियों के मामले में एक ही दर (एल-1 के लिए योग्य) थी, उद्धृत करने पर कार्य उस एजेंसी/सेवा प्रदानकर्ता को आबंटित किया जाएगा जिसे संस्थानों, में संबंधित क्षेत्रों में संतोषजनक कार्य का महत्वपूर्ण अनुभव (समय अवधि) हो या लाटरी के आधार पर ड्रू निकालकर किया जाएगा। समिति ने इन बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत किए गए केवल सेवा प्रभारों के दरों की तुलना की जो कि 2.01 प्रतिशत पर एक समान थे और उसने बाद में इन बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत वेतनों की दरों के आधार पर बोलियों के कुल वित्तीय आशयों की गणना करने के बजाए अनुभव का मानदंड लागू किया। क्योंकि फर्म 'बी' द्वारा उद्धृत वेतनों की दरें फर्म 'ए' द्वारा उद्धृत न्यूनतम वेतनों और सांविधिक प्रभारों से उच्चतर थी, निम्नतम बोलीदाता फर्म 'ए' थी। इस प्रकार, बोलियों का मूल्यांकन सही ढंग से नहीं किया गया था और इसके परिणामस्वरूप उस फर्म को कार्य दिया गया जो कि निम्नतम बोलीदाता नहीं थी। फर्म 'बी' को उच्चतर दरों पर आबंटन करने के परिणामस्वरूप सितंबर 2014 से मई 2016 की अवधि के दौरान ₹ 1.51 करोड़ (परिशिष्ट 3.2) की अधिक अदायगी हुई।

निदेशक, जी.एम.सी. नल्हर (मेवात) ने बताया (दिसंबर 2016) कि फर्म 'बी' ने नवंबर और दिसंबर 2016 में कॉलेज के पास ₹ 61.15 लाख रूपए की राशि जमा की थी और फर्म को ब्याज सहित शेष अधिक अदा की गई राशि को चार मासिक किश्तों में वापस करने के निर्देश दिए गए हैं (नवंबर 2016)। तथ्य यही है कि उस बोलीदाता को कार्य प्रदान करना जो कि निम्नतम नहीं था, प्रारंभ से ही गलत था।

मामला सरकार को भेजा गया था (जुलाई 2016)। उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2016)।

37 अकुशल: ₹ 13,062; अर्द्ध-कुशल: ₹ 14,458.41 एवं कुशल: ₹ 15,854.80.

38 अकुशल: ₹ 3,475; अर्द्ध-कुशल: ₹ 3,806 एवं कुशल: ₹ 4,136.

39 फर्म 'ए' का 3 वर्षों का अनुभव था और फर्म 'बी' का अनुभव 9 वर्षों का था।

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)

3.12 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निधियों के कम देने, कार्यों के पूर्ण करने में विलंब के मामले थे। इसके अतिरिक्त, परिसमाप्त क्षतिपूर्तियों और मोबिलाइजेशन अग्रिम के अवसूली के मामले थे। ठेकेदारों ने सड़क कार्यों का बीमा आवरण प्रदान नहीं किया था।

3.12.1 प्रस्तावना

ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण घटक है। भारत सरकार (भा.स.) ने उपयुक्त असंबद्ध-निवासों तक सभी मौसमों में पहुंच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (प्र.म.ग्रा.स.यो.- I) की घोषणा की (दिसंबर 2000)। सारे ग्रामीण सड़क तंत्र को, आर-पार रास्तों⁴⁰ और कुछ मुख्य ग्रामीण कड़ियों को उन्नत करके संघटित करने के लिए उन राज्यों और केंद्रीय प्रदेशों के लिए अगस्त 2013 (प्र.म.ग्रा.स.यो.- II) में एक नई मध्यस्थता विकसित की गई जिन्होंने प्र.म.ग्रा.स.यो.- I के अंतर्गत 100 प्रतिशत नई कनेक्टिविटी और अपग्रेडेशन कार्यों के 75 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था।

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत 10 जनवरी 2008 को पंजीकृत हरियाणा रूल रोड्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवलपमेंट एजेंसी (ह.रू.रो.इ.डि.ए.) राज्य में कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी थी। फील्ड में कार्यकारी अभियंताओं की अध्यक्षता में परियोजना कार्यान्वयन यूनिट्स (प.का.यू.) कार्यों के निष्पादन के लिए जिम्मेवार थे। ₹ 1,048.67⁴¹ करोड़ की निधियों की उपलब्धता के विरुद्ध, ₹ 963.50 करोड़ का व्यय 2010-16 के दौरान किया गया था। इस दृष्टि से मूल्यांकन करने के कि क्या कार्यक्रम का कार्यान्वयन मौजूदा नियमों, विनियमनों, नियमावली, प्रावधानों एवं कार्यक्रम मार्गनिर्देशों, के संदर्भ में था, 2010-16 की अवधि के लिए 21 जिलों में से सात⁴² में 56 कार्यों में से 32 के अभिलेखों की जांच मई 2015 से अक्टूबर 2015 के दौरान की गई। जिले प्रोबेबिलिटी प्रोपोजनल टू साइज विदाउट रिप्लेसमेंट (पी.पी.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) प्रणाली लागू करके चुने गए थे और कार्य सिम्पल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट (एस.आर.एस.डब्ल्यू.आर.) अपना कर चुने गये थे।

3.12.2 वित्तीय प्रबंधन

3.12.2.1 भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निधियों का कम जारी किया जाना

पी.एम.जी.एस.वाई. मार्गनिर्देश प्रावधान करते हैं कि परियोजना के मंजूर किए मूल्य के लिए निधियां दो किशतों में एच.आर.आर.आई.डी.ए. को उपलब्ध कराई जाएगी। एच.आर.आर.आई.डी.ए. के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 917.45 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा ₹ 651.51 करोड़ एवं राज्य का हिस्सा ₹ 265.94 करोड़) की कुल परियोजना लागत के साथ 83 सड़क कार्य

⁴⁰ आने-जाने के लिए सड़क।

⁴¹ आरंभिक शेष: ₹ 7.51 करोड़, ब्याज: ₹ 28.98 करोड़, भारत सरकार अनुदान: ₹ 739.02 करोड़, राज्य सरकार अनुदान: ₹ 245.38 करोड़ तथा प्रतिभूति: ₹ 27.78 करोड़।

⁴² (i) पानीपत, (ii) कैथल, (iii) हिसार, (iv) सिरसा, (v) झज्जर, (vi) गुरुग्राम तथा (vii) यमुनानगर।

और 18 पुल कार्य अनुमोदित किए गए थे (मई 2014)। ₹ 651.51 करोड़ के केंद्रीय हिस्से के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा मार्च 2016 तक ₹ 548.97 करोड़ जारी किए गए थे। इसमें से ₹ 521.27 करोड़ राज्य सरकार द्वारा एच.ए.आर.आर.आई.डी.ए. को जारी किए गए थे और शेष ₹ 27.70 करोड़ राज्य सरकार द्वारा रखे गए थे। आगे, राज्य सरकार ने अपने ₹ 265.94 करोड़ के हिस्से के विरुद्ध ₹ 221.42 करोड़ जारी कर दिए थे और ₹ 44.52 करोड़ का शेष हिस्सा जारी नहीं किया गया था (सितंबर 2016)।

विभाग ने बताया (सितंबर 2016) कि विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए संस्वीकृत कुल परियोजना लागत के अनुसार भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा शेष निधियां भी जारी कर दी जाएगी।

3.12.2.2 अज्ञात डेबिट्स के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे

बैंक समाधान विवरणियों के अध्ययन ने प्रकट किया कि 2010-11 से 2012-13 के दौरान ₹ 4.93 करोड़⁴³ के कार्यक्रम निधि के अज्ञात डेबिट्स थे। डेबिट प्रविष्टियों के विवरण के अभाव में, जिस उद्देश्य के लिए व्यय किया गया था, वह ज्ञात नहीं हो सका और निधियों के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

विभाग ने बताया (सितंबर 2016) कि अज्ञात डेबिट्स अनुवर्ती वर्षों में समाशोधित किए जा चुके थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अभिलेख जैसे कि अज्ञात डेबिट्स के समाधान के समर्थन में वाउचरस विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे। आगे, संबंधित अभिलेखों को भेजने के लिए एच.आर.आर.आई.डी.ए. (अक्टूबर 2016) को संदर्भ किया गया था लेकिन न तो अभिलेख और न ही उत्तर प्रस्तुत नहीं किए गए थे (नवंबर 2016)। विभाग को इन अज्ञात डेबिट्स प्रविष्टियों की जांच करनी चाहिए और निधियों के दुरुपयोग, यदि कोई हो, की संभावनाओं का निवारण करने के लिए उन्हें अभिलेख में लाना चाहिए।

3.12.3 कार्यों का निष्पादन

3.12.3.1 लक्ष्यों की अप्राप्ति

ग्रामीण विकास के संघीय मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - II के अंतर्गत 83 ग्रामीण सड़क कार्यों को अनुमोदित किया (मई 2014)। योजना के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए, भारत सरकार ने आनलाइन मैनेजमेंट, मॉनीटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम (ओ.एम.एम.ए.एस.) पर कार्यों के निष्पादन के संबंध में डाटा अद्यतन करने के लिए जिम्मेवार बनाया गया था।

ओ.एम.एम.ए.एस. में और विभाग द्वारा प्रदान किए गए डाटा की संवीक्षा ने दर्शाया कि 83 कार्यों में से 82 पूर्ण किए गए थे। आगे, अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 11 परियोजनाओं जिसमें 10 परियोजनाएं (परिशिष्ट 3.3 का क्रम 1 से 10) सम्मिलित थी के संबंध में पूर्ण लंबाई जैसे कि परियोजनाओं में निर्देशित की गई थी, पूर्ण नहीं की गई थी जो कि ओ.एम.एम.ए.एस. में पूर्ण की गई दर्शाई गई थी। नमूना-जांच किए गए मामलों में, यह अवलोकित किया गया कि दो कार्य, जैसे कि अनुच्छेद 3.12.3.2 में चर्चा की गई, पूर्ण नहीं किए गए थे परंतु ये कार्य

⁴³

2010-11: ₹ 2.73 करोड़, 2011-12: ₹ 1.21 करोड़ तथा 2012-13: ₹ 0.99 करोड़।

ओ.एम.एस.ए.एस. में पूर्ण किए दर्शाए गए थे। अतः ओ.एम.एस.ए.एस. में अपलोड किए गए डाटा की सच्चाई लेखापरीक्षा में आश्वासित नहीं की जा सकी।

3.12.3.2 कार्यों के पूर्ण करने में विलंब

पी.डब्ल्यू.डी. संहिता निर्धारित करती है कि आवश्यक मंजूरी, वस्तुओं का पुनर्स्थापन एवं परमिट्स का प्राप्त करना कार्यों के आरंभ करने से पहले प्राप्त कर लेना चाहिए और जब तक आवश्यक मंजूरी प्राप्त न कर ली हो, कोई भी कार्य आरंभ नहीं किया जाएगा।

नमूना - जांच किए गए 32 कार्यों में से, सात कार्य तीन से 29 महीनों के मध्य विलंब से पूर्ण किए गए थे जबकि सात कार्य अभी निष्पादन अधीन थे। विलंब मुख्यतः स्थल की क्लियरेंस न करने, बिजली के खंभों के स्थानांतरण करने एवं खनन कार्यों पर पाबंदी के कारण था जिनका ज्ञान होना चाहिए था और परियोजना के आरंभ करने से पहले दूर किया जाना चाहिए था। दो कार्यों, जहां कार्यों का निष्पादन प्रगति में था, नीचे चर्चित हैं:

(i) गुरूग्राम जिले में हेली मंडी-फारूखनगर सड़क वाया महचाना के अपग्रेडेशन का कार्य ₹ 9.53 करोड़ की लागत पर एक एजेंसी को आबंटित किया गया था (फरवरी 2014)। कार्य 12 महीनों के अंदर पूर्ण किया जाना था। प्रान्तीय मंडल संख्या-2 गुरूग्राम से अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि एजेंसी सितंबर 2016 तक वन विभाग से मंजूरी/अनुमति की कमी के कारण ड्रेन कार्य पूर्ण नहीं कर सकी। कार्य पर मार्च 2016 तक ₹ 4.20 करोड़ का व्यय किया गया था। मामला वन विभाग को जनवरी 2015 में ही भेजा गया था जबकि एजेंसी को कार्य फरवरी 2014 में आबंटित किया गया था। वन विभाग की मंजूरी अभी भी प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 2016)।

(ii) गुरूग्राम जिला में पंचगांव से फरूखनगर सड़क वाया जमालपुर के अपग्रेडेशन का कार्य एक एजेंसी को ₹ 12.69 करोड़ की लागत पर आबंटित कर दिया गया था (फरवरी 2014) और मार्च 2015 में पूर्ण किया जाना निर्धारित था। एजेंसी, सितंबर 2016 तक ₹ 7.28 करोड़ व्यय करने के बावजूद वन विभाग से मंजूरी की कमी के कारण कार्य पूर्ण नहीं कर सकी। वन विभाग को अनुमति के लिए मामला जनवरी 2015 में ही भेजा गया था जबकि कार्य फरवरी 2014 में आबंटित कर दिया गया था। वन की मंजूरी अभी प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 2016)।

विभाग ने बताया (सितंबर 2016) कि बहुत से पी.एम.जी.एस.वाई. कार्यों में, सड़कों के अपग्रेडेशन व सुदृढीकरण करना सम्मिलित था और कुछ ही मामले थे जहां वन विभाग से मंजूरी और वस्तुओं का स्थानांतरण सम्मिलित था और वह भी सड़कों के छोटे भागों तक सीमित था। अतः ये ऐसी छोटी कठिनाइयों के कारण पूरी परियोजना को रोकना विवेकपूर्ण नहीं था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि पी.डब्ल्यू.डी. संहिता के अनुसार कार्यों के आरंभ करने से पहले आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी अपेक्षित थी और इसकी असफलता के परिणामस्वरूप उनके पूर्ण करने में विलंब और अभिप्रेत लाभग्राही सड़क कनेक्टिविटी के अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे।

3.12.3.3 सड़कों का रख-रखाव

पी.एम.जी.एस.वाई. मार्गनिर्देश प्रावधान करते हैं कि सभी पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों पांच वर्षीय रख-रखाव ठेके के अंतर्गत आवरित की जाएंगी जिसका उसी ठेकेदार के साथ निर्माण ठेका किया जाना है। आगे, यदि ठेकेदार रख-रखाव अवधि के दौरान सड़कों का रख-रखाव नहीं करता, अभियंता लागत का मूल्यांकन करेगा और कार्य को निष्पादित करवाएगा और ठेकेदार से राशि वसूल करेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एन.एच.-10 तक कलांवली-बड़ागुड़ा-साहूवाला सड़क का अपग्रेडेशन जून 2012 में किया गया था। कार्यकारी अभियंता ने ठेकेदार को इंगित किया (जुलाई 2014) कि सड़कों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था तथा सड़कों पर पैचिज विकसित हो गए थे और सड़कों की पटरियों पर बहुत से खंडों पर पट्टी लगानी आवश्यक हो गई थी। ठेकेदार द्वारा नवंबर 2016 तक रख-रखाव का कार्य नहीं किया गया था। विभाग ने दोषी ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर तीसरी पार्टी के माध्यम से नुटियों को दूर करने और रख-रखाव के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी जैसे कि समझौते में प्रावधानित था और सड़कों का आवश्यक रख-रखाव उपेक्षित रहा।

3.12.4 ठेका प्रबंधन

3.12.4.1 परिसमाप्त क्षतियों की अवसूली

जिला सिरसा में मसीतान से डबवाली वाया चौटाला तक सड़क का अपग्रेडेशन का कार्य ₹ 3.50 करोड़ में एक एजेंसी को आबंटित किया गया था (जनवरी 2010) और दिसंबर 2010 तक पूर्ण किया जाना था।

चूंकि एजेंसी ने कार्य आरंभ नहीं किया, अनुबंध सितंबर 2011 में रद्द कर दिया गया था। एजेंसी से परिसमाप्त क्षतियों के रूप में कुल ₹ 70 लाख⁴⁴ वसूलनीय थे। ₹ 17 लाख की बैंक गारंटी के भुनाने के सिवाय राशि की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

विभाग ने बताया (सितंबर 2016) कि एजेंसी के क्षेत्राधिकार में चल रहे कार्यों में से किसी से भी पैसा वसूल करने के लिए राज्य में सभी ईईज को पत्र लिखे गए थे और अधिकार प्राप्त स्थाई समिति को मामला भेजने की प्रक्रिया भी आरंभ की गई थी।

3.12.4.2 मोबिलाइजेशन अग्रिम की अवसूली

पी.डब्ल्यू.डी. कोड प्रावधान करता है कि ठेका मूल्य के 5 प्रतिशत की सीमा तक ब्याज धारक मोबिलाइजेशन अग्रिम अप्रतिबंध एवं अप्राप्य बैंक गारंटी के विरुद्ध ठेकेदार को दिया जा सकता है। ब्याज सहित मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली, ठेके में निर्धारित ढंग से अंतरिम/चालू अदायगियों से प्रतिशत कटौती के माध्यम से की जाएगी। ब्याज सहित मोबिलाइजेशन अग्रिम की कुल राशि वसूल करने के लिए कार्य निर्धारित समय के 80 प्रतिशत के अंदर पूर्ण करना वांछनीय होगा।

नमूना-जांच किए गए जिलों के मंडलों के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि कार्यों के निष्पादन के लिए निर्धारित समय अवधि के 80 प्रतिशत के भीत जाने के बावजूद प्रांतीय मंडल

44

अनुबंध के क्लॉज 44.1 एवं 52.1 के अनुसार ठेके के मूल्य का 20 प्रतिशत।

यमुनानगर द्वारा ₹ 1.06 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली नहीं की गई थी जैसे कि नीचे तालिका 3.3 में दिया गया है:

तालिका 3.3: मोबिलाइजेशन एडवांस की अवसूली

(₹ करोड़ में)						
कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	कार्य के पूर्ण होने के लिए निर्धारित मास	मोबिलाइजेशन अग्रिम के भुगतान का मास	अदा किया मोबिलाइजेशन अग्रिम	वसूल किया गया	सितंबर 2016 को शेष
लाइवा से बिलासपुर सड़क	न्यू इंडिया कन्सट्रक्शन कंपनी	अगस्त 2015	सितंबर 2014	1.39	0.33	1.06

स्रोत: विभागीय अभिलेखों से संकलित।

कार्य निष्पादन करने वाली एजेंसी को अभी समय विस्तार नहीं दिया गया था (सितंबर 2016)। यद्यपि मंडलीय अधिकारी को मोबिलाइजेशन अग्रिम के विरुद्ध लिए गए ₹ 1.39 करोड़ राशि की बैंक गारंटी को भुनाने का अधिकार दिया गया था, फिर भी बैंक गारंटी भुनाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

3.12.4.3 बीमा आवरण प्रदान नहीं किया गया

बोली दस्तावेज का क्लॉज 13.1 प्रावधान करता है कि ठेकेदार, नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में अपनी लागत पर, ठेके और व्यक्तिगत चोट एवं मृत्यु के संबंध में कार्यो, संयंत्रों और सामग्री की हानि या क्षति, उपकरण की हानि या क्षति एवं संपत्ति की हानि या क्षति (कार्यो, संयंत्र, सामग्री एवं उपकरण को छोड़कर) के लिए कार्य के आरंभ होने से पूर्ण होने तक बीमा आवरण प्रदान करेगा।

नमूना - जांच किए गए मंडलों (प्रान्तीय मंडल संख्या - I, हिसार को छोड़कर) में निष्पादित कार्यो के लिए निष्पादन करने वाली एजेंसियों द्वारा 2010-16 के दौरान बीमा आवरण प्रदान नहीं किया गया था। इन मंडलों ने 2010-16 के दौरान ₹ 191.98 करोड़ मूल्य के कार्य निष्पादित किए थे। किसी दुर्घटना होने पर, विभाग हानि को वसूल करने में सक्षम नहीं होगा।

विभाग ने बताया (फरवरी 2016) कि अनुबंध के क्लॉज की अनुपालना के लिए सभी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग यूनिट्स (पी.आई.यू.ज.) को निर्देश जारी कर दिए गए थे।

3.12.5 निष्कर्ष

जहां सामान्य रूप से भौतिक शर्तों में स्कीम का कार्यान्वयन संतोषजनक था, वही भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निधियों का कम जारी किया जाना, कार्यो की पूर्णता में विलंब, परिसमाप्त क्षतियों एवं मोबिलाइजेशन अग्रिम की अवसूली थी। आगे, ठेकेदारों द्वारा सड़क कार्यो का बीमा आवरण प्रदान नहीं किया गया था।

3.13 एजेसियों को अधिक भुगतान

माप पुस्तिका में प्रविष्टियों के साथ बिलों में मात्रा का सत्यापन किए बिना तथा आंतरिक नियंत्रण जांच के अभाव संबद्ध अभिलेखों तथा बिटुमेन की दरों के समन्वय से बढ़ी हुई मात्राओं को अपनाने तथा बिटुमेन की दरों के अंतर की गलत परिगणना से परिणामतः दस एजेसियों को ₹ 1.17 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

पी.डब्ल्यू.डी. कोड प्रावधान करता है कि किए गए कार्य का भुगतान मापन के आधार पर किया जाएगा तथा प्रभारी अभियंता बिलों को चेक करेंगे तथा अनुबंध के नियमों एवं शर्तों के कड़े अनुसरण में किए गए कार्य के मूल्य के लिए अंतरिम भुगतान करेंगे।

छः मंडलों⁴⁵ के अभिलेखों की संवीक्षा ने ग्यारह सड़क निर्माण कार्यों में दस एजेसियों को ₹ 1.17 करोड़ के अधिक भुगतान को प्रकट किया (मार्च 2014 से मार्च 2016) जैसा कि नीचे चर्चित है:

(i) 49 ग्रामीण सड़कों वाले “अंबाला तथा यमुनानगर जिलों में मंडल के अधीन विभिन्न जिला सड़कों का निर्माण कार्य” कैंपिंग शर्त⁴⁶ के साथ ₹ 7.09 करोड़ में एक एजेसी को फरवरी 2014 में प्रदान किया गया था। अप्रैल 2015 में ₹ 7.13 करोड़ का भुगतान एजेसी को छठे तथा अंतिम बिल द्वारा किया गया था।

अभिलेखों तथा माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों की जांच के दौरान, यह देखा गया था कि माप पुस्तिका में 5वें तथा रनिंग बिल को तैयार करते हुए ‘रोड रोलर के साथ रोलिंग सहित सरफेस ड्रैसिंग पर पहला कोट लगाने तथा प्रदान करने की मद की प्रमात्राएं 9,855.02 वर्ग मीटर की बजाए 98,550.02 वर्ग मीटर आगे ले जाई गई जिसने इस विशेष मद की मात्रा को 88,695 वर्ग मीटर तक बढ़ा दिया, जिसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 2014 में एजेसी को ₹ 53.29 लाख का अधिक भुगतान हुआ। यह गलती अप्रैल 2015 में भुगतान किए गए कार्य के छठे तथा अंतिम बिल में भी जारी रही।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, ई.ई. ने दिसंबर 2015 तथा जून 2016 के मध्य एजेसी से ₹ 59.06 लाख⁴⁷ (ब्याज सहित) की राशि वसूल की।

विभाग ने बताया (सितंबर 2016) कि ₹ 53.29 लाख का अधिक भुगतान गलती से किया गया था क्योंकि 9,855.02 वर्ग मीटर की मात्रा 98,550.02 वर्ग मीटर ले ली गई थी तथा गलती अनजाने में की गई थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 825.809 मीट्रिक टन बिटुमेन भी निर्माण कार्य के लिए उपयोग किया हुआ दिखाया गया था जबकि केवल 738 मीट्रिक टन बिटुमेन निर्माण स्थल पर लाया गया था। इस प्रकार, माप पुस्तिका के अनुसार कार्य के मूल्यांकन के संबंध में निर्धारित जांच

⁴⁵ प्रांतीय मंडल, नारायणगढ़; प्रांतीय मंडल, पलवल; प्रांतीय मंडल, पंचकुला; प्रांतीय मंडल, चरखी दादरी; प्रांतीय मंडल सं. 3 (एन.एच.), रोहतक तथा निर्माण मंडल, पी.डब्ल्यू.डी. बी. एंड आर., चण्डीगढ़।

⁴⁶ एजेसी को सभी रनिंग एवं फाइनल बिलों में निम्नलिखित का निम्नतम भुगतान किया जाएगा:

ए. निम्नतम एजेसी की स्वीकृत दरों पर परिकलित राशि।

बी. एल-2 की दरों पर परिकलित की गई राशि।

सी. वित्तीय विवरणी में परिकलित की गई दरों की हरियाणा अनुसूची + सीलिंग प्रीमियम/विश्लेषण दरें/अनुसूची में नहीं शामिल मद दरों की स्वीकृत प्रतिशत के साथ परिकलित की गई राशि।

⁴⁷ ₹ 59.06 लाख = अधिक राशि: ₹ 53.29 लाख + ब्याज: ₹ 5.77 लाख।

बिंदुओं की अनुपालना न करने में विभाग की विफलता तथा स्थल पर लाए गए बिटुमेन के साथ प्रयोग में लाए बिटुमेन के साथ मिलान न करने का परिणामस्वरूप एजेसी को ₹ 53.29 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

(ii) 10 सड़क निर्माण कार्यों में नौ ठेकेदारों के साथ किए गए अनुबंध (मई 2012 तथा मई 2014 के मध्य) के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार, वित्तीय बोली की समाप्ति की तिथि पर रिफाइनरी पर बिटुमेन की दरें आधार के रूप में मानी जानी थी और यदि निर्माण कार्यों के निष्पादन के दौरान, रिफाइनरी में बिटुमेन की दरें बढ़ती या घटती हैं तो लागत में अंतर ठेकेदारों से देय/वसूलनीय अर्थात् वृद्धि/अनावृद्धि था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वृद्धि राशि परिकलित करते समय, केवल आधार दरें अर्थात् वित्तीय बोली की समाप्ति की तिथि पर रिफाइनरी में बिटुमेन की दरें ही ली गई थी तथा राज्य निर्दिष्ट/सांविधिक प्रभार इन दरों में शामिल नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 63.68 लाख का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में विवरण दिया गया है।

इंगित किए जाने पर विभाग ने ₹ 44.25 लाख की वसूली की। तथापि शेष ₹ 22.02 लाख (ब्याज छोड़कर) संबंधित एजेसियों से अभी वसूल किए जाने हैं (नवंबर 2016)।

विभाग ने बताया (सितंबर 2016) कि वित्तीय बोली की समाप्ति के समय पर बिटुमेन का इन वॉयस उपलब्ध नहीं था इसलिए बिटुमेन की बेसिक दरें भारतीय ऑयल निगम लिमिटेड की वेबसाइट से ली गई थी। आगे, वृद्धि की राशि परिकलित करते समय, मूलभूत दरें इन वॉयस से ली गई थी।

इस प्रकार, माप पुस्तिका में प्रविष्टियों के साथ बिलों में मात्राओं का सत्यापन किए बिना तथा संबद्ध अभिलेखों तथा बिटुमेन की दरों के मिलान जैसे आंतरिक नियंत्रण जांच बिंदुओं के अभाव में परिणाम बढ़ी हुई मात्राओं को अपनाने तथा बिटुमेन की दरों के अंतर की गलत गणना में परिणामित हुआ जिसके परिणामस्वरूप एजेसियों को ₹ 1.17 करोड़⁴⁸ के अधिक भुगतान किया गया जिसमें से ₹ 1.03 करोड़⁴⁹ (ब्याज सहित) वसूल कर लिए गए थे (नवंबर 2016)।

3.14 अपूर्ण कार्य पर निष्फल व्यय

कार्य के निष्पादन में ठेकेदार की ओर से लगातार देरी के लिए अनुबंध की शर्तों को लागू करने में विलंबित कार्रवाई के साथ एक ही टेंडर के आधार पर एजेसी को कार्य सौंपने का परिणामस्वरूप अन्ततः ₹ 1.02 करोड़ के निष्फल व्यय हुआ। कार्य जो सितंबर 2013 में पूर्ण किया जाना नियत था जुलाई 2014 तक परित्यक्त पड़ा था। आगे, अनुबंध के अनुसार पेनल्टी न लगाए जाने पर ₹ 18.20 लाख का अनुचित वित्तीय लाभ भी एजेसी को दे दिया गया।

पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुसार, समय सीमा से बाहर अनुबंध की समाप्ति में देरी नियोक्ता या ठेकेदार या तीसरी पार्टी या अप्रत्याशित घटना के कारण हो सकती है। देरी के परिणाम समय विस्तारण या लिक्विडेटिड क्षतिपूर्ति लगाने में या अनुबंध के निर्धारण/निस्तारण होते हैं।

राज्य सरकार ने “₹ 3.01 करोड़ की लागत पर फरीदाबाद जिले में गांव पाली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) में एस.सी./एस.टी. स्कीम के अंतर्गत कार्यशाला ब्लॉक” के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन (जनवरी 2012) प्रदान किया था। जुलाई 2012 में खुली

⁴⁸ ₹ 1.17 करोड़ = ₹ 53.29 लाख + ₹ 27.02 लाख + ₹ 36.66 लाख।

⁴⁹ ₹ 1.03 करोड़ = ₹ 59.06 लाख + ₹ 44.25 लाख।

निविदाएं आमंत्रित की गई थी और केवल एक ही बोली प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात्, अगस्त 2012 में कार्य के लिए टेंडर दोबारा मंगवाया गया था लेकिन कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी। अधीक्षक अभियंता, गुरूग्राम परिमंडल, लोक निर्माण (बी. एंड आर.) विभाग (एस.ई.) तथा कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय मंडल, फरीदाबाद ने देरी से बचने के लिए जनहित में पहले से प्राप्त टेंडर को खोलने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2012)। निर्माण कार्य को बाद में नौ महीनों के भीतर अर्थात् सितंबर 2013 तक पूरा किए जाने के लिए ₹ 2.56 करोड़ के लिए एस.ई. (नियोक्ता) द्वारा ठेकेदार को आबंटित कर दिया था (नवंबर 2012)।

कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय मंडल, फरीदाबाद (ई.ई.) के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि अप्रैल-जून 2014 के दौरान चार स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद कार्य की प्रगति शुरू से ही धीमी थी। जुलाई 2014 तक, 40 प्रतिशत तक कार्य पूरा कर लिया गया था तथा एजेसी को ₹ 93.46 लाख का भुगतान कर दिया था। इसके बाद, कोई भी कार्य निष्पादित नहीं किया गया (जुलाई 2014)। अनुबंध में निर्धारित था कि ठेका कीमत के अधिकतम 10 प्रतिशत तक निर्धारित समापन अवधि से समापन में देरी के प्रत्येक दिन के लिए प्रारंभिक ठेका कीमत के 1/500 की दर पर ठेकेदार नियोक्ता को लिक्विडेटिड क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा। ₹ 25.60 लाख (ठेका कीमत के 10 प्रतिशत) की अपेक्षित पेनल्टी के विरुद्ध अक्टूबर 2016 तक ₹ 7.40 लाख की राशि वसूल कर ली गई तथा ₹ 18.20 लाख की शेष राशि अभी वसूल की जानी थी (नवंबर 2016)।

आगे, अनुबंध में यह भी प्रावधान है कि नियोक्ता या ठेकेदार ठेके को निरस्त कर सकता है यदि अन्य पार्टी अनुबंध के मूल उल्लंघन का कारण है यानि ठेकेदार 20 दिनों के लिए कार्य को रोकता है या जब ठेकेदार ने 30 दिनों तक कार्य के समापन में देरी की हो लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कार्यकारी अभियंता ने लगभग डेढ़ वर्ष के लंबे अंतराल के बाद एस.ई. को अनुबंध निरस्त करने के लिए निवेदन किया था (दिसंबर 2015 तथा मई 2016) जो अन्ततः जून 2016 में किया गया। कार्य पर ₹ 1.02 करोड़⁵⁰ का कुल व्यय किया गया जो कार्य की अपूर्णता के कारण निष्फल प्रमाणित हुआ।

विभाग ने बताया (सितंबर 2016) कि कार्य निरस्त कर दिया गया था तथा एजेसी द्वारा किए गए कार्य को मापने के लिए एक समिति भी बना ली गई थी। शेष कार्य भी यथा शीघ्र टेंडर बुलाने के बाद आबंटित कर दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि पहले प्राप्त केवल एक टेंडर को खोलने और एजेसी को कार्य देने के साथ ठेकेदार की ओर से कार्य के निष्पादन में लगातार देरी के लिए अनुबंध की शर्तें लागू करने में विलंबित कार्रवाई का अंततः परिणाम ₹ 1.02 करोड़ के निष्फल व्यय में हुआ। कार्य जो सितंबर 2013 में पूरा किया जाना निर्धारित था, जुलाई 2014 को परित्यक्त पड़ा था। आगे, अनुबंध के अनुसार पेनल्टी न लगाकर एजेसी को ₹ 18.20 लाख का अनुचित वित्तीय लाभ भी दिया गया।

⁵⁰

एजेसी को भुगतान ₹ 0.93 करोड़ + विविध व्यय ₹ 0.09 करोड़।

जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

3.15 अपूर्ण सीवरेज स्कीम

परियोजना के सभी घटकों के लिए भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 10.59 करोड़ का व्यय करने के बावजूद अपूर्ण कार्य तथा तालाब तथा ऐलनाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी के उपचारित निस्सार के स्राव के कारण क्षेत्र में निवासियों का अस्वास्थ्यकारी दशाओं तथा स्वास्थ्य खतरों का सामना हुआ।

भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिसंबर 1993 में जारी सीवरेज तथा सीवेज उपचार पर मैनुअल में प्रावधान किया गया है कि अपव्यय जल संग्रहण, उपचार तथा निकास प्रणाली को डिजाइन करते समय योजना साधारणतया अंतिम निकास बिंदु से शुरू करके पीछे ले जाते हुए टोपोग्राफी के अनुकूल एक एकीकृत तथा आदर्शतम डिजाइन देने तथा यदि आवश्यक हो, पंपिंग द्वारा आपूरित उपलब्ध हाइड्रोलिक शीर्ष के अनुसार की जानी थी। आगे, पी.डब्ल्यू.डी. कोड निर्धारित करता है कि कोई भी स्कीम शुरू करने से पहले आवश्यक जांच/स्थल निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूरा किया जा सके।

हरियाणा नहर तथा ड्रेनेज अधिनियम 1974 के अनुसार, कोई भी सामग्री जो नहर के पानी को गंदा करती है या रोकती है, के बहाव की मनाही है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया (जुलाई 2003) कि किसी भी नहर में कोई उपचारित/अनुपचारित निस्सार या सीवेज निस्सार का स्राव करना किसी को भी अनुमत नहीं होगा। केवल निर्धारित मानकों⁵¹ वाले उपचारित निस्सार को ही सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ड्रेनेज में निकासी करने की अनुमति दी जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा ₹ 15.82 करोड़ की लागत पर जनवरी 2010 में ऐलनाबाद टाउन के लिए सीवरेज की निकासी में वृद्धि के लिए एक परियोजना स्वीकृत की गई थी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य सीवेज उपचार प्लांट का उपचारित निस्सार ब्रिक मेसनरी/आर.सी.सी. कैरियर चैनल का निर्माण करके मुख्य निकास निर्माण कार्यों से घग्गर नदी में निकास किया जाना था। कार्य⁵² 12 महीनों की समय सीमा के साथ ₹ 9.99 करोड़ के लिए एक एजेंसी को कार्यकारी अभियंता, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या 3, सिरसा द्वारा आबंटित किया गया था (अक्टूबर 2012)।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दिखाया कि एजेंसी ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पूरा कर लिया (मई 2015) लेकिन निस्सार कैरियर चैनल का कार्य ₹ 0.20 करोड़ का व्यय करने के बाद अपूर्ण रहा क्योंकि किसानों ने चैनल के निर्माण के खिलाफ विरोध किया था। निस्सार चैनल की अनुपस्थिति में, 16.4 तथा 18 के मध्य बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (बी.ओ.डी.) लेवल वाले उपचारित निस्सार नजदीकी तालाब में स्राव किया जा रहा था जिसके लिए बी.ओ.डी. स्तर तीन (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपनाए मानकों के अनुसार) से अधिक नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात् यह सक्षम प्राधिकारी से कोई अनुमति लिए बिना तथा हरियाणा नहर तथा ड्रेनेज अधिनियम 1974 के उल्लंघन में ऐलनाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी में निर्मुक्त किया जा रहा था। भूमि के एवज में

⁵¹ हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, बी.ओ.डी. स्तर के संबंध में उपचारित जल/सीवेज की निकासी के लिए अनुमत मानक 3 एम.जी./लीटर है।

⁵² 11.5 एम.एल.डी. क्षमता वाले मुख्य पंपिंग स्टेशन का डिजाइन निर्माण, प्रतिष्ठान, टेस्टिंग एवं चालू करना, उपचारित सीवरेज कैरियर के निर्माण सहित हर प्रकार से पूर्ण मूविंग बैड बायोलॉजिकल रियैक्टर प्रौद्योगिकी संलग्न (अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस) पर आधारित 7.5 एम.एल.डी. क्षमता वाला सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा मुख्य पंपिंग स्टेशन पर सभी आकस्मिक इलैक्ट्रिकल, मकेनिकल, पाइपिंग तथा इस्ट्र्यूमेंटेशन कार्य तथा ऐलनाबाद शहर जिला सिरसा स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित।

कोई व्यय नहीं किया गया था क्योंकि यह सरकार/नगर निगम से मुफ्त उपलब्ध थी तथा अभी तक परियोजना पर ₹ 10.59 करोड़ (सीवेज उपचार प्लांट की लागत सहित) का कुल व्यय (दिसंबर 2016) किया गया है।



बिखरे हुए एफ्यूलेंट चैनल के कारण अपूर्ण सीवेज स्कीम ऐलनाबाद (अप्रैल 2016)

विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि चैनल के एलाइनमेंट के पास वाले किसानों द्वारा किए गए कड़े विरोध/आपत्ति के कारण निस्सार चैनल का निर्माण नहीं किया गया था तथा अब स्कीम के शेष कार्य के साथ निस्सार चैनल के निर्माण के लिए तकनीकी रूप से संस्वीकृत अनुमान प्रशासनिक अनुमोदन तथा निधियों के प्रबंध के लिए सरकार को भेज दिया गया है (अप्रैल 2016)।

इस प्रकार, परियोजना के सभी घटकों के लिए भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 10.59 करोड़ (सीवेज उपचार प्लांट की लागत सहित) का व्यय करने के बावजूद निर्माण के अपूर्ण कार्यों तथा तालाब एवं ऐलनाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी के उपचारित निस्सार के डिस्चार्ज हुआ जिससे क्षेत्र के निवासियों को अस्वास्थ्यकारी दशाओं तथा स्वास्थ्य खतरे का सामना करना पड़ा।

3.16 निष्फल व्यय

निर्धारित जांच बिंदुओं की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप लोहे की पाइपों की चोरी तथा चोरी की गई सामग्री के कारण ₹ 1.19 करोड़ की अवसूली हुई।

पी.डब्ल्यू.डी. (भवन तथा सड़कें) नियमावली के अनुसार, कार्य के अनुभाग प्रभारी यानि कनिष्ठ अभियंता को अपने चार्ज में सभी स्टॉक्स तथा यंत्र एवं प्लांट, उनकी प्राप्तियां तथा जारी करने, स्थल पर सामग्री के रजिस्टर के लेखे रखना तथा यह सुनिश्चित करना कि उसके चार्ज में सरकारी संपत्ति को कोई हानि ना हो, अपेक्षित है। उसको व्यय पर सतर्क नियंत्रण रखना तथा कार्य की प्रगति की रिपोर्ट उसके उपमंडल अधिकारी को दैनिक या आवधिक जैसा कि आदेश दिया जाए, भी करना अपेक्षित है। हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. कोड किसी एजेसी को ब्लैकलिस्टिंग करने का प्रावधान भी करता है यदि यह गलत कार्यों जैसे चोरी या अप्राधिकृत प्रयोग या निर्दिष्ट कार्यों के लिए जारी सरकारी सामग्री का निपटान में दोषी पाया जाता है।

पीने के पानी की कमी तथा अपरिष्कृत जल प्रबंधन की समस्या के समाधान के लिए जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, चरखी दादरी ने सितंबर 2012 से दिसंबर 2013 के दौरान ₹ 2.02 करोड़ की लागत से ठेकेदारों को ग्रामीण जल आपूर्ति के पांच निर्माण कार्य आबटित किए तथा पाइपें विभाग द्वारा आपूर्ति की जानी थी। निर्माण कार्य अक्टूबर 2012 तथा मार्च 2015 के मध्य पूरे किए जाने निर्धारित थे। सामग्री की लागत सहित निर्माण कार्य की कुल अनुमानित लागत ₹ 16.07 करोड़ थी।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दिखाया कि उपरोक्त स्कीमों के संबंधित ठेकेदारों/एजेसियों को आवश्यकता से पहले 68 प्रतिशत डकटाइल लोहे की पाइपें जारी की गई थी (दिसंबर 2012 से अक्टूबर 2014)। ठेकेदार/एजेसियों ने निर्माण कार्य की समाप्ति के लिए समय सीमा की अनुपालना नहीं की तथा निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ दिया। विभाग ने ठेका अनुबंध के अनुसार ₹ 20.16 लाख की क्षतिपूर्ति (जुलाई 2014 से मार्च 2015) लगाई तथा ठेकेदार/एजेसियों से कार्य भी वापस ले लिया। इन निर्माण कार्यों पर ₹ 8.57 करोड़ का व्यय किया गया था (जून 2016)।

एजेसियों के जोखिम तथा लागत पर शेष कार्य करवाने के लिए इन कार्यों के अंतिम बिल तैयार करवाने के लिए अंतिम माप बनाते समय यह देखा गया था कि ₹ एक करोड़ राशि की (₹ 2.03 करोड़ राशि की अनुबंध शर्तों के अनुसार सामग्री की जारी दर के दोगुनी वसूलनीय राशि तथा 3 प्रतिशत की दर पर स्टोरेज प्रभार) इन कार्यों को जारी विभिन्न आकारों की डी.आई. पाइपें निर्माण कार्य स्थल से गुम/चोरी थी।

₹ 1.54 करोड़⁵³ राशि की दंडनीय दरों (ठेका अनुबंध के अनुसार सामग्री की जारी दर के दोगुने पर तथा 3 प्रतिशत की दर पर स्टोरेज प्रभार) के साथ डी.आई. पाइपों की लागत ठेकेदारों के विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिमों में डाल दिए गए थे। तथापि, ₹ 0.35 करोड़ की राशि चूककर्ता एजेसियों के रनिंग बिलों/सिक्योरिटी से वसूल/समायोजित की गई थी।

विभाग ने बताया (दिसंबर 2016) कि ₹ 1.19 करोड़ की एक राशि संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध विविध लोक निर्माण अग्रिमों में डाल दी गई थी तथा शेष राशि वसूल कर ली गई थी। तथापि, तथ्य रहता है कि ₹ 1.19 करोड़⁵⁴ की राशि वास्तव में अभी तक वसूल नहीं की गई है।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग

3.17 सरकारी खाते में ब्याज राशि का जमा न होना

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने स्थल या भूमि की उपलब्धता देखे बिना ही साईंस सिटी की स्थापना के लिए हरियाणा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद को ₹ 14.66 करोड़ प्रेषित किए। निधियां छः वर्षों से अधिक समय तक सरकारी खातों के बाहर रही जब तक कि यह लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर दोबारा जमा करा दी गई। तथापि, परिषद द्वारा ₹ 10.37 करोड़ राशि के अर्जित ब्याज सरकारी खाते में अभी तक जमा नहीं करवाए गए।

पंजाब वित्तीय नियमों के अनुसार, खजाने से कोई भी राशि तब तक नहीं निकाली जानी चाहिए जब तक कि यह तुरंत वितरण के लिए अपेक्षित न हो या स्थाई अग्रिम में से पहले ही भुगतान कर दिया गया हो। परियोजना जिसके समापन में बहुत अधिक समय लगने वाला है के निष्पादन के लिए खजाने से अग्रिम निकालना अनुमत नहीं है।

भारत सरकार, (भा.स.) सांस्कृतिक मंत्रालय ने विज्ञान तथा तकनीकी की वृद्धि को दर्शाने के साथ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए उद्योग तथा मानव कल्याण में उनके

⁵³ ₹ 1.54 करोड़ = ₹ 0.76 करोड़ (पेनल दर) का दो गुणा + ₹ 0.02 करोड़ (स्टोरेज प्रभारों का 3 प्रतिशत)।

⁵⁴ ₹ 1.19 करोड़ = ₹ 1.54 करोड़ - ₹ 0.35 करोड़।

अनुप्रयोग तथा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य के साथ साईस सिटीज की स्थापना की स्कीम शुरू की। नई साईस सिटीज के लिए केन्द्रीय सहायता की सीमा ₹ 30 करोड़ (कुल ₹ 50 करोड़ में से 60 प्रतिशत) थी, जो ₹ 66 करोड़ (कुल ₹ 110 करोड़ का 60 प्रतिशत) संशोधित की गई (जून 2013)। शेष लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी। साईस सिटीज की स्थापना के लिए योग्य मापदंड के अनुसार, साईस सिटी की स्थिति या तो राज्य की राजधानी हो या राज्य का महत्वपूर्ण शहर जो इसके परिधि में शामिल जनसंख्या सहित 50 लाख से कम जनसंख्या वाले न हों तथा प्रतिवर्ष कम से कम 10 लाख यात्री आते हों। राज्य सरकार को (केन्द्रीय) में स्थित तथा पूरी तरह विकसित एवं सुगम कम से कम 25 एकड़ भूमि मुफ्त में बिना किसी भार के प्रदान की जानी थी।

हरियाणा राज्य विज्ञान तथा तकनीकी परिषद, पंचकुला के अभिलेखों की नमूना-जांच ने दिखाया कि रोहतक में साईस सिटी की स्थापना किए जाने हेतु प्रस्ताव किया था (दिसंबर 2009) तथा राज्य सरकार ने इसकी स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि तलाश करने के लिए प्रयत्न⁵⁵ किए। इसी मध्य, वित्तायुक्त तथा प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विज्ञान तथा तकनीकी विभाग ने स्कीम निर्देशों के अनुसार योग्यता तथा उपयुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही रोहतक में साईस सिटी की स्थापना के लिए ₹ 14.66 करोड़ की सहायता अनुदान निर्मुक्त कर दी (मार्च 2010)। मार्च 2010 में विभाग द्वारा राशि आहरित की गई तथा परिषद को स्थानांतरित कर दी थी।

जुलाई 2010 में, नगर समिति सांपला ने 30 एकड़ भूमि प्रदान करने का प्रस्ताव दिया लेकिन प्रस्ताव को भारत सरकार का पक्ष नहीं मिला (फरवरी 2012) क्योंकि साईस सिटी की स्थापना के लिए सांपला शहर ने दिशानिर्देशों की मांग को पूरा नहीं किया गया। बाद में दिसंबर 2015 में राज्य तकनीकी विश्वविद्यालयों⁵⁶ के साथ उनके कैम्पस में भूमि प्रदान करने के मामले को उठाने का निर्णय लिया। परिणाम प्रतीक्षित है (नवंबर 2016)। ये सभी तीन स्टेशन/सिटीज⁵⁷ भी स्कीम दिशानिर्देशों पर खरे नहीं उतरते हैं।

परिषद ने बताया (अगस्त तथा सितंबर 2016) कि लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद ₹ 14.55⁵⁸ करोड़ सरकार के खाते में जमा कर दिए गए। इसने यह भी बताया कि परिषद ने ब्याज की विभिन्न ब्याज दरों पर फिक्सड जमा/सेविंग अकाउंट में ग्रांट को जमा करने पर ₹ 10.37 करोड़ का ब्याज अर्जित किया था। तथापि, यह अभी परिषद के पास ही पड़ा है तथा अभी सरकारी खाते में जमा करवाना बाकी है (नवंबर 2016)।

तथ्य रहता है कि ₹ 14.66 करोड़ निकाले गए थे तथा इसके प्रयोग के लिए आधारभूत आवश्यकता को सुनिश्चित किए बिना ही परिषद को स्थानांतरित कर दिए थे। परिणामस्वरूप,

⁵⁵ (i) दिसंबर 2009-हरियाणा राज्य औद्योगिक मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को आई.एम.टी., रोहतक में मुफ्त में भूमि प्रदान करने के लिए कहा था लेकिन उसने मना कर दिया था।

(ii) जनवरी 2010-आई.एम.टी. रोहतक से आगे ग्राम पंचायत गरनावती को पट्टे पर भूमि प्रदान करने के लिए पूछा गया था लेकिन इसने मना कर दिया।

⁵⁶ महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय (एम.डी.यू.) रोहतक; कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय; कुरूक्षेत्र तथा दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, मुरथल (सोनीपत)।

⁵⁷ रोहतक; कुरूक्षेत्र तथा मुरथल (सोनीपत)।

⁵⁸ साईस सिटी की स्थापना के लिए फीजिबिलिटी रिपोर्ट की तैयारी के लिए ₹ 0.11 करोड़ (₹ 14.66 - ₹ 14.55) व्यय किए थे।

निधियां छः वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त तथा सरकारी खाते से बाहर रही तथा लेखापरीक्षा द्वारा चूक को इंगित किए जाने के बाद ही अन्ततः जमा करवाई गई थी। आगे, परिषद को अभी सरकारी खाते में ₹ 10.37 करोड़ राशि के ब्याज जमा किए जाने हैं।

मामला सरकार को भेज दिया गया था (अप्रैल 2016)। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2016)।

**नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग
(हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)**

3.18 भूमि की कीमत में अनार्जित वृद्धि तथा वार्षिक ग्राउंड किराए की अवसूली

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि की कीमत में अनार्जित वृद्धि का निर्धारण किए बिना ही भूमि को पट्टे पर देने के परिणामस्वरूप ₹ 417.15 करोड़ की अवसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ब्याज सहित ₹ 10.77 करोड़ का ग्राउंड किराया भी अवसूल रहा।

हरियाणा शहरी विकास (भूमि तथा भवन का निपटान) अधिनियम, 1978 का विनियम 6 निर्धारित करता है कि नीलामी द्वारा भूमि की बिक्री या पट्टे पर देने के मामले में वसूल किया जाने वाला मूल्य/प्रीमियम ऐसा रिजर्व मूल्य/प्रीमियम होगा जो विनियम 4 के उप-विनियम (1) में दर्शाया जाएगा तो खुली नीलामी में बोली के परिणामस्वरूप निर्धारित कोई उच्च राशि जैसे विभिन्न तथ्यों पर विचार करने के बाद निर्धारित किया हो। विनियम 4 (1) निर्धारित करता है कि प्राधिकारी द्वारा भूमि या भवन के बिक्री के लिए अस्थायी मूल्य/प्रीमियम ऐसा हो जैसा कि समय-समय पर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि की लागत, विकास की अनुमानित लागत, भवन की लागत तथा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभार विचार करने के बाद प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई हो। विनियम 9 में ये बताता है कि पट्टे के आधार पर दिए गए भूमि/भवन की स्थानांतरण के मामले में, भूमि की कीमत में अर्जित न की गई वृद्धि के 50 प्रतिशत अर्थात् स्थानांतरण के समय पर प्रीमियम तथा भूमि की मार्केट वैल्यू के अंतर को ऐसी बिक्री या स्थानांतरण रजिस्टर करने से पहले प्राधिकारी को भुगतान की जानी चाहिए।

मुख्य नगर योजनाकार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा), पंचकुला के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि सिटी सेंटर, गुरूग्राम में एक मनोरंजन उद्यान की स्थापना के लिए तकनीकी तथा वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने में रूपरेखा का निरीक्षण करने के लिए मुख्य प्रशासक, हुडा की अध्यक्षता के अंतर्गत एक कमेटी बनाई गई थी (जुलाई 2009)। कमेटी ने इस शर्त के साथ 33 वर्षों की अवधि के लिए प्रोपर्टी को पट्टे पर देने की अनुशंसा की (जुलाई 2009) कि पट्टाधारी प्रतिवर्ष ग्राउंड किरायों का भुगतान करेगा। कमेटी ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एल.ए.ओ.), गुरूग्राम द्वारा रिपोर्ट की गई भूमि लागत के आधार पर 58 एकड़ भूमि (गुरूग्राम में सैक्टर 29 में 25 एकड़ तथा सैक्टर 52ए में 33 एकड़) के लिए ₹ 106 करोड़ की बोली प्रीमियम की अनुशंसा भी की। इसके बाद, अगस्त 2009 में अखबारों द्वारा प्रस्ताव के लिए अनुमोदन भी आमंत्रित किए थे।

बाद में, सितंबर 2009 में यह भी ध्यान में आया कि सैक्टर 52ए में मनोरंजन उद्यान के लिए चिन्हित की गई 33 एकड़ भूमि में से 16 एकड़ मुकद्दमेबाजी के अंतर्गत थी। तदनुसार, 42 एकड़ सही भूमि के लिए अखबारों में (अक्टूबर 2009) एक शुद्धि पत्र जारी किया गया था। व्यक्ति विशेष/फर्म/कंपनी (बोलीकर्ता) के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन में किया गया योग्य मापदंड था कि (i) बोलीकर्ता को भारत में स्थापित मनोरंजन उद्यान को स्थापित करने तथा संचालित करने का कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए (ii) 31 मार्च 2009 तक

बोलीकर्त्ता की कुल कीमत ₹ 50 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए (iii) बोलीकर्त्ता को एक वर्ष के भीतर परियोजना में कम से कम ₹ 100 करोड़ का निवेश करने की क्षमता होना चाहिए (iv) लेखापरीक्षा की गई बैलेंसशीट के अनुसार बोलीकर्त्ता को अंतिम पांच वर्षों यानि 2009 तक मनोरंजन उद्यानों से कम से कम कुल ₹ 50 करोड़ का कुल टर्नओवर होना चाहिए तथा (v) कंपनियां जो उनके संबंधित एरिया में विश्वस्तरीय हो, उनके साथ अन्तर्राष्ट्रीय टाई-अप होना चाहिए।

इसकी प्रतिक्रिया में, दो कंपनियों ने उनकी तकनीकी तथा वित्तीय बोलियां प्रस्तुत की। एक फर्म की तकनीकी बोली अस्वीकार कर दी थी क्योंकि इसने उपर्युक्त शर्त संख्या (i) तथा (iv) के योग्य मानदंड को पूरा नहीं किया। शेष बोलीकर्त्ता ने ₹ 91 करोड़ के निर्धारित रिजर्व मूल्य के विरुद्ध ₹ 92 करोड़ की दर उद्धृत की जो मोल-भाव के बाद ₹ 94.50 करोड़ तक बढ़ा दी गई थी (मई 2010) जुलाई 2010 में लैटर ऑफ अवार्ड जारी कर दिया था तथा 14 जून 2011 को पट्टा समझौता निष्पादित किया था।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकित किया:

(ए) प्राधिकारी ने उक्त विनियम 9 के प्रावधान लागू नहीं किए जो प्राधिकारी के पास भूमि की कीमत में अर्जित न की गई वृद्धि के 50 प्रतिशत की जमा का अनुबंध करता है। कॉर्पोरेट प्लॉट की प्रचलित कलैक्टर दर के आधार पर भूमि की मार्केट वैल्यू ₹ 928.80 करोड़ परिकल्पित की गई तथा अनार्जित वृद्धि का 50 प्रतिशत ₹ 417.15 करोड़⁵⁹ है। ₹ 417.15 करोड़ की राशि की न तो मांग की गई थी और न ही फर्म द्वारा जमा करवाई गई थी।

(बी) पट्टा अनुबंध के अनुसार, पट्टाधारी को पट्टा अनुबंध (जून 2011) की प्रभावी तिथि से 24 महीनों के भीतर परियोजना को कार्यान्वित करना अपेक्षित था तथा पट्टाधारी द्वारा दिए गए प्रीमियम के अढ़ाई प्रतिशत की दर पर 14 जून 2013 से वार्षिक ग्राउंड रेंट का भुगतान किया जाना था। प्रीमियम या ग्राउंड रेंट के विलंबित भुगतान के मामले में, 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज या समय-समय पर पट्टा द्वारा निर्णित किया गया ऐसा ब्याज भी पट्टाधारी द्वारा दिया जाना अपेक्षित था। यह भी अवलोकित किया था कि जून 2013 से नवंबर 2016 की अवधि के लिए ₹ 8.07 करोड़ राशि का वार्षिक ग्राउंड किराया पट्टाधारी द्वारा भुगतान नहीं किया गया था। इस प्रकार, ₹ 8.07 करोड़ का ग्राउंड रेंट तथा बकाया राशि पर ₹ 2.70 करोड़ का ब्याज भी देय हो गया है।

सरकार ने बताया (जुलाई 2016) कि हरियाणा शहरी विकास (भूमि तथा भवन का निपटान) विनियमन का विनियम 9 इस मामले में लागू नहीं है क्योंकि पट्टा आधार पर निपटान की गई भूमि/भवन का कोई स्थानांतरण शामिल नहीं है। पट्टाधारी को केवल पट्टा अधिकार ही दिए गए हैं तथा पट्टा अवधि समाप्त होने पर भूमि वापस हुडा के पास चली जाएगी। यह बताया गया कि भूमि अधिग्रहण लागत, विकास लागत, प्रशासनिक प्रभार आदि पर विचार करने के बाद नोडल कीमत/रिजर्व कीमत की गणना करने की हुडा की अपनी प्रणाली है तथा बोली कीमत (भूमि के पट्टे के लिए प्रीमियम) इस उद्देश्य के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा तय किया गया था। यह भी बताया गया कि मनोरंजनात्मक भूमि प्रयोग के लिए राजस्व विभाग द्वारा कोई

⁵⁹ ₹ 928.80 करोड़ (मार्केट मूल्य) - ₹ 94.5 करोड़ (प्रीमियम) = ₹ 834.30 करोड़ (अर्जित न की गई वृद्धि) 2 से विभाजित (50 प्रतिशत) = ₹ 417.15 करोड़।

कलैक्टर दर निर्धारित नहीं की गई थी तथा लेखापरीक्षा संवीक्षा ने गलती से कर्मशियल उद्देश्यों वाली भूमि की दरों को मनोरंजक उद्यान की पट्टा दरों से तुलना कर दी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि 33 वर्षों की अवधि के लिए पट्टा आधार पर भूमि का स्थानांतरण था जो कि अगले 33 वर्षों के लिए विस्तारयोग्य था तथा पट्टा आधार पर भूमि के स्थानांतरण पर विनियम 9 लागू है। आगे, हुडा ने आवासीय, कर्मशियल, औद्योगिक, संस्थागत, धार्मिक तथा चैरिटेबल में मूल्य निर्धारित के लिए भूमि को श्रेणी में बांटा तथा मनोरंजनात्मक भूमि के लिए कोई अलग से श्रेणी नहीं थी। पट्टा अनुबंध के अनुच्छेद 6 तथा 7 के अनुसार पट्टाधारी को प्रयोगकर्त्ताओं से सही राजस्व लगाने तथा उद्ग्रहण करने तथा भूमि का प्रोपर्टी विकास, कर्मशियल प्रयोग या परियोजना स्थल पर विज्ञापन के प्रयोग करने का एकमात्र और विशेष अधिकार है। जैसा कि मनोरंजन उद्यान की स्थापना स्पष्ट तौर पर एक व्यावसायिक कार्य है। इसके अलावा, हुडा ने इसके प्लॉट तथा प्रोपर्टी मोडयूल में स्वयं को कार्मशियल प्रोपर्टी के तौर पर अपने प्लॉट को श्रेणीगत किया।

महिला एवं बाल विकास विभाग

3.19 निराश्रय महिलाओं तथा बच्चों के लिए आश्रय/केन्द्र

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन में कमियां थी जैसा कि भवनों की अच्छी तरह से मरम्मत न करना, कमरों का कम अधिभोग, विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण तथा शिक्षा की कमी आदि से स्पष्ट है। स्कीम का कम प्रचार था तथा सही निरंतरता में कमी थी।

हरियाणा सरकार ने विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों को आश्रय, खाना तथा कपड़ा, शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 'विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं के लिए मकान' स्कीम की शुरुआत की (अगस्त 1972) ताकि उनको आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाया जा सके तथा समाज की मुख्य धारा से जुड़कर वो जिंदगी को अर्थपूर्ण तरीके से जी सके। आश्रमों में प्रवेश महिला आश्रम के जिला कार्यक्रम अधिकारी/अधीक्षक द्वारा गहन जांच के बाद संबंधित जिला कमीशनर की अनुशंसा पर दिया जाना था राज्य सरकार ने (जुलाई 2013) आश्रम में अधिकतम पांच वर्षों (आरंभ में तीन वर्ष जो आगे दो वर्ष तक विस्तार योग्य है) तक ठहराव निर्धारित किया जो (जून 2015) रिव्यू कमेटी द्वारा आरंभिक पांच वर्षों के बाद अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाई जाने के लिए संशोधित की थी जो राज्य समिति द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम निराश्रित महिलाओं या किसी विशेष मामले में समिति के अनुमोदन से अगल पांच वर्षों तक बढ़ाने योग्य थी। राज्य में विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं के लिए तीन आश्रम हैं, करनाल, रोहतक में तथा फरीदाबाद में कस्तूरबा सेवा सदन में एक-एक महिला आश्रम हैं।

स्कीम के कार्यान्वयन की प्रभाविकता को जांचने के लिए दिसंबर 2015 से मार्च 2016 के दौरान निदेशक, महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यू.सी.डी.) विभाग, हरियाणा तथा अन्य सभी तीन आश्रमों⁶⁰ के 2011-16 की अवधि के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई।

3.19.1 बजट तथा व्यय

⁶⁰ (i) महिला आश्रम करनाल, (ii) महिला आश्रम रोहतक तथा (iii) कस्तूरबा सेवा सदन फरीदाबाद।

2011-12 से 2015-16 तक ₹ 11.12 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 9.13 करोड़ (तीन आश्रमों पर व्यय: ₹ 7.45 करोड़, “युवा लड़कियों तथा निराश्रितों के लिए होम-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण/उत्पादन केंद्र”: ₹ 1.38 करोड़ तथा आश्रमों का रख-रखाव: ₹ 0.30 करोड़) का व्यय किया गया। अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि तीन आश्रमों द्वारा किए गए ₹ 7.45 करोड़ के कुल व्यय में से 2011-16 अवधि के दौरान स्टॉफ के वेतन और भत्तों पर ₹ 6.50 करोड़ (87 प्रतिशत) का व्यय किया गया था तथा ₹ 0.95 करोड़ (13 प्रतिशत) की राशि इन आश्रमों पर व्यय की गई थी।

3.19.2 आश्रमों में अधिभोग तथा जागरूकता की कमी

स्कीम मार्गनिर्देशों (जुलाई 2013) के अनुसार, सामान्यता एक कमरे में मां तथा दो बच्चों सहित एक परिवार रहना चाहिए। यदि उसके दो से अधिक बच्चे हैं तो उपलब्धता के आधार दूसरा अतिरिक्त कमरा दिया जा सकता है। अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2011-16 के दौरान तीन आश्रमों में कमरों का अधिभोग करनाल में 60 से 67 प्रतिशत, रोहतक में 34 से 41 प्रतिशत तथा फरीदाबाद में 28 से 49 प्रतिशत की मध्य श्रृंखलित रहा तथा 2011-16 के दौरान कस्तूरबा सेवा सदन में प्रवेश के लिए एक भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ था।

आगे, यह अवलोकित किया गया था कि आश्रमों के कुछ ब्लॉक पूरी तरह से था आंशिक रूप से खाली पड़े थे (मार्च 2016)। परिणामतः उनकी स्थिति और भी खराब हो गई थी जैसा कि नीचे अधिसूचित है:

- महिला आश्रम, करनाल में 1999 से ब्लॉक ‘सी’ में 31 कमरे खाली पड़े थे;
- महिला आश्रम, फरीदाबाद में 31 मार्च 2016 को बैरक बी, ई, एफ तथा एच में 48 कमरों की क्षमता के विरुद्ध केवल 5 निवासी रह रहे थे; तथा
- कस्तूरबा सेवा सदन फरीदाबाद में, 39 कमरों की क्षमता के विरुद्ध 12 कमरों में केवल 11 परिवार रह रहे थे। 27 खाली कमरों में से, निदेशक डब्ल्यू.सी.डी. द्वारा अन्य विभाग के कार्यालयों/स्टोर के रूप में 9 कमरे अधिकृत थे, जो न केवल अनियमित था बल्कि महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी असुरक्षित था।

विभाग ने जिले में जरूरतमंद विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को पहचानने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया था। मार्च 2016 को, सभी तीन होमज में अधिवासियों की कुल संख्या 97 थी तथा वे सभी राज्य के 21 जिलों में से केवल 10 से संबंधित थे जिनमें छः जिलों में अधिभोग एक तथा छः प्रति जिला श्रृंखलित था तथा शेष 11 जिलों में से कोई अधिवासी नहीं थे। यह स्कीम के विस्तृत प्रचार की कमी को दर्शाता है।

निदेशक-सह-विशेष सचिव ने बताया (जुलाई 2016) कि कम अधिभोग के कारण कमरे खाली पड़े थे। प्रचार तथा जागरूकता के संबंध में स्कीम विभागीय साईट पर अपलोड कर दी गई थी। सर्वेक्षण न किए जाने के संबंध में यह बताया गया था कि अधिभोग बढ़ाने के लिए निराश्रित विधवाओं तथा बेसहारा महिलाओं के संबंध में जानकारी आंगनवाणी कार्यकर्त्ताओं द्वारा इकट्ठा कर ली जाएगी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि स्कीम गरीब, बेसहारा, अनपढ़ तथा निराश्रित महिलाओं के कल्याण से अभिप्रेत थी तथा केवल विभागीय वेबसाइट पर सरकारी अधिसूचना डालने का कोई औचित्य नहीं बनता। जागरूकता बढ़ाने के लिए और अधिक नवीन योजनाएं तथा तरीके विकसित करने अपेक्षित थे ताकि राज्य में ऐसी सहायता के लिए अपेक्षित लोगों को मैसेज भेजा जा सके।

3.19.3 मूलभूत संरचना की पर्याप्तता

करनाल, रोहतक तथा फरीदाबाद में 227⁶¹ कमरों (मार्च 2016) वाले तीन आश्रम थे। जरूरत के हिसाब से न तो कोई मूल्यांकन किया गया था और न ही राज्य के अन्य 18 जिलों में अभी तक कोई आश्रम बनाया गया था। कस्तूरबा सेवा सदन, फरीदाबाद में जून 2016 से प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई थी।

3.19.3.1 मरम्मत तथा रख-रखाव कार्य

सभी तीन आश्रमों के भवन का रख-रखाव कार्य पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) द्वारा डिपोजिट निर्माण कार्य के तौर पर किया गया था। मामूली मरम्मत के लिए ₹ 44.01 लाख⁶² की जमा राशि के विरुद्ध विभिन्न मरम्मत कार्यों के लिए पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) द्वारा 2011-16 के दौरान ₹ 30.42 लाख⁶³ खर्च किए थे।

	
<p>एम.ए. करनाल में टायलेटस के दरवाजों की स्थिति फोटो की तिथि 19.01.2016 (11:43 ए.एम.)</p>	<p>के.एस.एस. फरीदाबाद में टी.वी. रूम सहित अधीक्षक के आवास की स्थिति फोटो की तिथि 09.03.2016 (3:05 पी.एम.)</p>

⁶¹ करनाल: 72, रोहतक: 116 तथा फरीदाबाद: 39

⁶² करनाल: ₹ 17.51 लाख, रोहतक: ₹ 13.72 लाख तथा फरीदाबाद: ₹ 12.78 लाख।

⁶³ करनाल: ₹ 13.79 लाख, रोहतक: ₹ 5.23 लाख तथा फरीदाबाद: ₹ 11.40 लाख।

लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया था कि महिला आश्रम, रोहतक में 2014-16 के दौरान ₹ 9.22 लाख के डिपोजिट कार्य के विरुद्ध निर्माण कार्यों पर केवल ₹ 0.73 लाख का व्यय किया गया था तथा ₹ 8.49 लाख की शेष राशि अभी तक व्यय नहीं की गई थी जिसका परिणाम भवनों की और खराब स्थिति में हुआ। कस्तूरबा सेवा सदन, फरीदाबाद में 2011-16 के दौरान कस्तूरबा सेवा सदन की मरम्मत पर ₹ 11.40 के व्यय किया गया था। इसमें से, ₹ 6.99 लाख की एक राशि अधीक्षक के पुराने आवास को गिराने के लिए 2013-14 के दौरान पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) को प्रदान की गई थी जो नहीं किया गया था। यह विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं जिनके बच्चे इन भवनों में खेलते थे, उनके लिए खतरा बन सकते हैं।

सरकार ने बताया कि (जुलाई 2016) कि पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा आश्रमों के अधीक्षक द्वारा जांच किया जाना अपेक्षित है।

3.19.4 प्रशिक्षण तथा शिक्षा

(i) विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को प्रशिक्षण

स्कीम का एक मुख्य उद्देश्य, क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण द्वारा आत्मविश्वास को बढ़ाने के विचार से युवा विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को प्रशिक्षण देना तथा आर्थिक रूप से उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था ताकि वे समाज में एक उपयोगी तथा अर्थपूर्ण जीवन जी सकें। इस उद्देश्य के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अधिवासियों के कौशल विकास को बढ़ाने के लिए लघु अवधि तथा दीर्घावधि कोर्स तथा रिफ्रेशर कोर्स तैयार किए जाने थे।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। अवधि 2011-16 के दौरान महिला आश्रम, रोहतक द्वारा 43 विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं में से केवल नौ को तथा कस्तूरबा सेवा सदन फरीदाबाद द्वारा 11 में से पांच को सिलाई तथा कढ़ाई ट्रेड में प्रशिक्षण दिया गया था। इन 14 महिलाओं⁶⁴ में से, तीन ने आश्रम को छोड़ दिया था तथा शेष 11 प्रशिक्षित महिलाएं प्रशिक्षण के बाद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन सकी तथा अभी भी आश्रमों में रह रही थीं। फरवरी 2007 से महिला आश्रम करनाल का ट्रेनिंग सेंटर बंद पड़ा था तथा महिला आश्रम, रोहतक का बनुई कार्य का प्रशिक्षण केन्द्र भी प्रशिक्षण अध्यापक की रिटायरमेंट के कारण दिसंबर 2013 से बंद पड़ा था। प्रशिक्षण अध्यापक को नियुक्त करने के लिए विभाग द्वारा कोई प्रयत्न नहीं किए गए थे। इस प्रकार, स्कीम का मुख्य उद्देश्य विफल रहा क्योंकि अधिवासियों को दिया गया प्रशिक्षण फलदायी नहीं था।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि आश्रमों के सभी अधीक्षकों को निवासियों के उपलब्ध कौशल के अनुसार नया प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। महिला आश्रम, करनाल में निवासियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि वहां पर कोई तकनीकी स्टाफ तैनात नहीं है। निदेशक, तकनीकी शिक्षा को निवासियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निवेदन किया गया है।

(ii) महिलाओं को शिक्षा

स्कीम, युवा विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों को समाज का उपयोगी सदस्य बनाने के लिए शिक्षा का प्रावधान करती है।

यह अवलोकित किया गया था कि महिला आश्रम करनाल, रोहतक तथा कस्तूरबा सेवा सदन में 97 अधिवासियों (32 प्रतिशत) में से 31 अधिवासी⁶⁵ अनपढ़ थे। स्कीम के मार्गनिर्देशों के अनुसार, इन अधिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रदान की जानी थी। लेकिन विभाग ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई शुरूआत नहीं की।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि अधिकतर निवासी अनपढ़ थे तथा पत्राचार अध्ययन द्वारा शिक्षा लेने में उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई तथा पड़ोसी घरों में नौकरानी के तौर पर कार्य करने को वरीयता दी जबकि कुछ निवासी पैसा कमाने के लिए सिलाई या कौनिंग में शामिल थे। आश्रमों के डी.पी.ओ. तथा अधीक्षक को निवासियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए जाएंगे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि सूचित करने बारे कोई साक्ष्य नहीं था कि विभाग द्वारा उनको शिक्षित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए थे। यद्यपि, 18 अधिवासी 15 वर्षों से अधिक समय तक रह रहे थे, विभाग द्वारा समस्या का समाधान करने के लिए किसी ठोस प्रयास की कमी के कारण वे भी पढ़े-लिखे नहीं थे।

3.19.5 अनुवर्ती कार्रवाई तथा मॉनीटरिंग

अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ आश्रम अधिनियम, 1960 के अंतर्गत जैसा कि अपेक्षित है, नियम/अधिनियम नहीं बनाए गए थे तथा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नियंत्रण बोर्ड भी स्थापित नहीं किया गया है। 73 अधिवासियों⁶⁶ ने 2011-16 के दौरान आश्रमों को छोड़ दिया था जिनमें से 47 निवासियों⁶⁷ ने बिना सही कारण बताए केन्द्र को छोड़ दिया था। ऐसे निवासियों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए वे आत्मनिर्भर हो गए थे या नहीं, कोई डाटा मेनटेन नहीं किया गया था। वर्ष 2012 तथा 2015 के लिए महिला आश्रम, करनाल के निवासियों के लिए कोई वार्षिक संवीक्षा भी नहीं की गई थी।

सरकार ने बताया (जुलाई 2016) कि नियमों का सूत्रीकरण विचाराधीन था तथा निवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके रहने के दौरान कौशल सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

3.19.6 निष्कर्ष

विभाग स्कीम के कार्यान्वयन में विफल रहा जैसा कि भवनों की मरम्मत न होना, कमरों का कम अधिभोग, विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण तथा शिक्षा में कमी से स्पष्ट है। स्कीम का कम प्रचार था तथा सही अनुवर्ती कार्रवाई की कमी थी।

⁶⁵ करनाल: 10, रोहतक: 16 तथा फरीदाबाद: 5

⁶⁶ करनाल - 35, रोहतक - 25 तथा फरीदाबाद - 13

⁶⁷ करनाल - 27, रोहतक - 7 तथा फरीदाबाद - 13

3.20 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम

जन्म के समय लिंग अनुपात सुधारने, माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने तथा ड्रॉप-आउट लड़कियों के 100 प्रतिशत पुनः नामांकन के लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त, प्री-कॉन्सेप्शन तथा प्री-नेटल डायगनोस्टिक टैकनीक एक्ट के कार्यान्वयन को मजबूत किए जाने की जरूरत थी।

हरियाणा में पानीपत में 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बी.बी.बी.पी.) प्रारंभ की गई थी। स्कीम का उद्देश्य एकतरफा लिंग चयनात्मक निष्कासन के उन्मूलन तथा लड़कियों के उत्तरजीवन, सुरक्षा, शिक्षा तथा सहभागिता को सुनिश्चित करना था। स्कीम को जन अभियान, केंद्रित हस्तक्षेप तथा बहुआयामी कार्रवाई द्वारा भारत के 100 चयनित लिंग क्रिटीकल जिलों में कार्यान्वित किया जाना था जिनमें से हरियाणा से 12⁶⁸ जिले थे। फरवरी 2016 में स्कीम के अंतर्गत राज्य के आठ⁶⁹ और जिले भी शामिल किए गए थे।

बी.बी.बी.पी., राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता के साथ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। वित्तीय सहायता दो किस्तों में निर्मुक्त की जानी थी। आरंभ में, राज्य सरकारों के प्रस्तावों के अनुसार बजट आबंटित किया जाना था तथा आगे की निर्मुक्त व्यय तथा उपभोग प्रमाण-पत्र के विवरणी प्राप्त करने के बाद अर्ध वार्षिक की जानी थी। ₹ 14.28 करोड़ के बजट प्रावधानों के विरुद्ध ₹ 8.08 करोड़ भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा निर्मुक्त किए गए थे तथा जनवरी 2015 से मार्च 2016 तक ₹ 5.31 करोड़ का व्यय किया गया था।

स्कीम के कार्यान्वयन तथा प्रभाव के मूल्यांकन के लिए लेखापरीक्षा द्वारा जनवरी 2015 से मार्च 2016 की अवधि को आवृत करते हुए निदेशक, महिला तथा बाल विकास विभाग (डब्ल्यू.सी.डी.) तथा 20⁷⁰ जिलों में से तीन जिलों के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई थी। दो जिले (महेन्द्रगढ़ तथा पानीपत) जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम तथा उच्चतम चाइल्ड सैक्स रेशो (सी.एस.आर.) के आधार पर तथा तीसरा जिला (सोनीपत) किए गए अधिकतम व्यय (जनवरी 2015 से दिसंबर 2015) के आधार पर चयनित किए गए थे।

3.20.1 निधियों का विपथन

स्कीम मार्गनिर्देशों के अनुसार, जिला प्री-कॉन्सेप्शन तथा प्री-नेटल डायगनोस्टिक टैकनीक (पी.सी., पी.एन.डी.टी.) सैल, मॉनीटरिंग, रिसर्च स्टडीज, सूचना, शिक्षा तथा संचार गतिविधियों को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक जिले को ₹ पांच लाख प्रदान किए जाने थे।

⁶⁸ 1. महेन्द्रगढ़, 2. झज्जर, 3. रेवाड़ी, 4. सोनीपत, 5. अंबाला, 6. कुरुक्षेत्र, 7. रोहतक, 8. करनाल, 9. यमुनानगर, 10. कैथल, 11. भिवानी तथा 12. पानीपत।

⁶⁹ 1. गुरुग्राम, 2. जींद, 3. फरीदाबाद, 4. हिसार, 5. फतेहाबाद, 6. सिरसा 7. पंचकुला तथा 8. पलवल।

⁷⁰ 12 में से जिले चयनित थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि उपर्युक्त उद्देश्य के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, डब्ल्यू.सी.डी. पानीपत द्वारा सिविल सर्जन, पानीपत को ₹ पांच लाख की निधियां निर्मुक्त कर दिए गए थे (जनवरी 2015) जिसमें से ₹ 3.01 लाख स्कीम की शुरूआत के अवसर पर पानीपत के प्रवेश द्वार पर 'थीम गेट' की तैयारी में व्यतीत कर दिए गए थे। इस प्रकार, 'थीम गेट' पर किया गया व्यय अनियमित तथा निधियों के विपथन के बराबर था। आगे, यह अवलोकित किया गया था कि 1,800 लैपटाप बैग तथा 2,900 मग की खरीद के लिए स्कीम की निधियों से डब्ल्यू.सी.डी. विभाग द्वारा ₹ 21.24 लाख का व्यय किया गया था (जनवरी 2015)। इन मदों की खरीद के लिए स्कीम में कोई प्रावधान नहीं था।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि लैपटॉप बैगज तथा मगों की खरीद स्कीम के व्यापक प्रचार के लिए की गई थी, सारी सामग्री 'बी.बी.बी.पी.' लोगो के साथ प्रिंट थी तथा यह पूरे भारत से आए प्रतिभागियों⁷¹ को बांटी गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि लैपटॉप बैग/मगों की खरीद तथा वितरण स्कीम के प्रावधानों के विरुद्ध था क्योंकि व्यय को नवीकरण तथा जागरूकता गतिविधियों पर व्यय किया जाना था।

3.20.2 स्कीम का कार्यान्वयन

(i) लिंग आधारित सैक्स सलैक्टिव एलिमीनेशन को रोकना

(ए) प्री-कॉनसेप्शन तथा प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टैक्नीक एक्ट को लागू करना

स्कीम मार्गनिर्देशों, में राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तरों पर प्री-कॉनसेप्शन तथा प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टैक्नीक एक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन का प्रावधान किया गया है। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकित किया:

- मार्गनिर्देशों के अनुसार, सितंबर 2014 तक एनोनिमस आनलाईन शिकायत पोर्टल क्रियाशील किया जाना था लेकिन यह किसी भी नमूना-जांच किए गए जैंडर क्रिटीकल जिलों में स्थापित नहीं किया गया है। इन जिलों में 2014-16 के दौरान प्री-कॉनसेप्शन तथा प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टैक्नीक एक्ट के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड मशीन तथा अवैध गतिविधियां करने वाले अपंजीकृत डाक्टरों के संबंध में केवल सात शिकायतें प्राप्त हुई थी। एनोनिमस ऑनलाईन शिकायत पोर्टल की सुविधा का प्रावधान न होने के कारण विभाग की मॉनीटरिंग क्षमता को कमजोर कर दिया।

⁷¹ हरियाणा के मुख्यमंत्री/मंत्री/प्रशासनिक सचिव/विभागीय अध्यक्ष/विभिन्न राज्यों के प्रोफेसर तथा मीडिया व्यक्ति।

- स्कीम मार्गनिर्देशों के अनुसार, जिला प्री-कॉन्सेपशन तथा प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टैक्नीक सैलज तकनीकी मैनपावर तथा उपकरण के साथ मजबूत किए जाने थे। नमूना-जांच किए गए तीन जिलों में प्री-कॉन्सेपशन तथा प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टैक्नीक सैलज को मजबूत करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।
- यद्यपि, डायग्नोस्टिक केन्द्रों के निरीक्षण/जांच करने के संबंध में मार्गनिर्देशों में कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं, उपयुक्त मॉनीटरिंग के लिए मासिक/तिमाही जांच के लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। तथापि, विभाग द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। जनवरी 2015 से मार्च 2016 के दौरान, नमूना-जांच किए गए तीन जिलों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 754 निरीक्षण किए गए थे। प्राप्त शिकायतों एवं विभागों द्वारा शिकायतों की जांच के आधार पर 40 डायग्नोस्टिक केन्द्रों का पंजीकरण रद्द/निलंबित कर दिया गया था तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा 24 केन्द्र पकड़े तथा सील कर दिए गए। 14 मामलों में एफ.आई.आर.ज. दायर की गई है तथा जनवरी 2015 से मार्च 2016 के दौरान विभाग द्वारा नौ कोर्ट केस दायर किए गए हैं।
- मार्गनिर्देश विचार करते हैं कि राज्य निरीक्षण तथा मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा पहचाने गए सभी जिलों में प्रत्येक तीन महीनों में समीक्षा बैठकें, फील्ड निरीक्षण तथा मॉनीटरिंग की जाएगी। यह अवलोकित किया गया कि राज्य में जनवरी 2015 से मार्च 2016 के दौरान केवल एक बैठक की गई थी तथा पांच बैठकों की आवश्यकता के विरुद्ध नमूना-जांच किए गए जिलों में कोई बैठक नहीं की गई थी जो यह दर्शाता है कि विभाग ने स्कीम की सही ढंग से मॉनीटरिंग नहीं की।

महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा ने बताया (सितंबर 2016) कि पी.सी. तथा पी.एन.डी.टी. अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा भौतिक लक्ष्यों के निर्धारण से संबंधित भा.स. से कोई निदेश प्राप्त नहीं हुए थे तथा इसके अलावा पी.सी. तथा पी.एन.डी.टी. के एप्रिहेंडिंग उल्लंघनकर्ताओं के लक्ष्यों को निर्धारित करना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है।

(ii) लड़कियों की शिक्षा

(ए) स्कूलों को अवार्डों का वितरण न करना

मार्गनिर्देशों के अनुसार, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा तथा प्रोत्साहन देने के लिए संबंधित जिले के शिक्षा विभाग द्वारा प्रति स्कूल ₹ एक लाख की दर पर प्रत्येक जैडर क्रिटीकल जिले में प्रतिवर्ष पांच स्कूलों को अवार्ड दिए जाने थे। अवार्ड अनामांकित लड़कियों के नामांकन करने तथा ड्रूप-आउट लड़कियों को वापस लाने के लिए स्कूल प्रबंधन कमेटी द्वारा किए गए प्रयासों के आधार पर दिए जाने थे।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 15 लाख के अवार्ड दिए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध तीन चयनित जिलों में, विभाग ने 2015-16 के दौरान ₹ पांच लाख⁷² के अवार्ड वितरित किए।

72

महेन्द्रगढ़: शून्य; पानीपत: ₹ 2.50 लाख तथा सोनीपत: ₹ 2.50 लाख।

निदेशक, डब्ल्यू.सी.डी. हरियाणा ने बताया (जुलाई 2016) कि वर्ष 2015-16 के दौरान प्रति जिला ₹ पांच लाख के मानक के विरुद्ध केवल ₹ 2.50 लाख प्रति जिला ही भारत सरकार ने निर्मुक्त किए थे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि भारत सरकार ने इस उद्देश्य के लिए प्रति जिला (जनवरी 2015 में ₹ 2.50 लाख तथा नवंबर 2015 में ₹ 2.50 लाख) ₹ पांच लाख निर्मुक्त किए, लेकिन राज्य सरकार ने पानीपत के वर्कशाप-कम-सेमीनार जैसी स्कीम के अन्य घटकों पर मुख्यालय स्तर पर व्यतीत किए तथा प्रत्येक जिले में केवल ₹ 2.50 लाख निर्मुक्त किए। इस प्रकार, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा तथा प्रोत्साहन करने का स्कीम का उद्देश्य कमजोर हो गया था।

(बी) माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन

मार्गनिर्देशों में प्रावधान किया है कि माध्यमिक शिक्षा (9वीं से 12वीं कक्षा) में लड़कियों का नामांकन 2013-14 में 76 प्रतिशत से 2017 तक 79 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए था। नमूना-जांच किए गए तीन जिलों में माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन की प्रतिशतता की स्थिति नीचे तालिका 3.4 के अनुसार थी।

तालिका 3.4: माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन की स्थिति

जिला	2014-15 (सत्र)			2015-16 (सत्र)		
	लड़कियों (आयु वर्ग 14-17 वर्ष) की कुल जनसंख्या	माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन की संख्या	माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन की प्रतिशतता	लड़कियों (आयु वर्ग 14-17 वर्ष) की कुल जनसंख्या	माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन की संख्या	माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन की प्रतिशतता
पानीपत	45,574	29,363	64.42	46,720	30,079	64.38
महेन्द्रगढ़	35,476	27,616	77.84	34,902	26,076	74.71
सोनीपत	52,178	40,510	77.63	52,620	40,393	76.76

(स्रोत: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा तथा संबंधित डी.ई.ओज द्वारा आपूरित जानकारी)

आंकड़े दर्शाते हैं कि चयनित जिलों में माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन की प्रतिशतता 2014-15 की तुलना में 2015-16 में कम हो गई। विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि विभिन्न सरकारी स्कूलों की मेधावी लड़कियों के लिए जनवरी 2016 के दौरान चेरथाला कोस्ट पर केरल में एक स्टडी कैम्प आयोजित किया था, लड़कियों की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए मेवात तथा मोरनी के दुष्कर क्षेत्र में 36 मिडल/हाई स्कूल वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर अपग्रेड कर दिए गए हैं तथा छात्राओं के जन्मदिन समारोह तथा उनके प्रोत्साहन तथा उनके चहुंमुखी विकास के लिए सांस्कृतिक स्टडी टूर तथा मेधावी छात्राओं के लिए पर्यटन यात्राएं आयोजित की गई थी।

(सी) माध्यमिक स्कूलों में ड्रॉप-आउट छात्राओं का पुनः नामांकन

निदेशक तथा विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा ने माध्यमिक शिक्षा तक छात्राओं की जीरो ड्रॉप-आउट तथा 100 प्रतिशत रिटैशन को सुनिश्चित करने के लिए सभी डी.ई.ओ.ज को निदेश दिए (जुलाई 2015)। इस उद्देश्य के लिए माध्यमिक स्कूलों में ड्रॉप-आउट छात्राओं के पुनः नामांकन के लिए अभियान आयोजित किए जाने थे। लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया कि तीन चयनित जिलों में छात्राओं के जीरो ड्रॉप-आउट तथा 100 प्रतिशत रिटैशन के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान नमूना-जांच किए गए जिलों में 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं की ड्रॉप-आउट छात्राओं के पुनः नामांकन की स्थिति नीचे तालिका 3.5 के अनुसार थी।

तालिका 3.5: 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं की ड्रॉप-आउट छात्राओं के पुनः नामांकन की स्थिति

2014 - 15								
जिला	10 ^{वीं} कक्षा				12 ^{वीं} कक्षा			
	ड्रॉप-आउट छात्राओं की कुल संख्या	पुनः नामांकित ड्रॉप-आउट की संख्या	पुनः नामांकित ड्रॉप आउट की संख्या	पुनः नामांकित नहीं हुए ड्रॉप-आउट की प्रतिशतता	ड्रॉप-आउट छात्राओं की कुल संख्या	पुनः नामांकित ड्रॉप आउट की संख्या	पुनः नामांकित नहीं हुए ड्रॉप-आउट की संख्या	पुनः नामांकित नहीं हुए ड्रॉप-आउट की प्रतिशतता
पानीपत	1,075	515	560	52	318	49	269	85
सोनीपत	1,461	598	863	59	804	283	521	65
महेन्द्रगढ़	1,252	1,150	102	8	1,137	925	212	19

2015 - 16								
जिला	10 ^{वीं} कक्षा				12 ^{वीं} कक्षा			
	ड्रॉप-आउट छात्राओं की कुल संख्या	पुनः नामांकित ड्रॉप-आउट की संख्या	पुनः नामांकित ड्रॉप आउट की संख्या	पुनः नामांकित नहीं हुए ड्रॉप-आउट की प्रतिशतता	ड्रॉप-आउट छात्राओं की कुल संख्या	पुनः नामांकित ड्रॉप आउट की संख्या	पुनः नामांकित नहीं हुए ड्रॉप-आउट की संख्या	पुनः नामांकित नहीं हुए ड्रॉप-आउट की प्रतिशतता
पानीपत	1,212	977	235	19	392	309	83	21
सोनीपत	380	163	217	57	232	50	182	78
महेन्द्रगढ़	759	205	554	73	369	82	287	78

(स्रोत: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा तथा संबंधित डी.ई.ओ.ज द्वारा आपूरित सूचना)

उपर्युक्त डाटा का विश्लेषण दिखाता है कि दोनों कक्षाओं में पानीपत जिले में 2015-16 के दौरान ड्रॉप-आउट छात्राओं के पुनः नामांकन की स्थिति सुधरी तथा सोनीपत में केवल 10वीं कक्षा की स्थिति सुधरी जबकि वर्ष 2014-15 की तुलना में महेन्द्रगढ़ में दोनों कक्षाओं की तथा सोनीपत जिले में 12वीं कक्षा में यह बिगड़ गई।

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट तथा गाइड बोलीन्टियरज की सहायता से स्कीम के अंतर्गत आउट ऑफ स्कूल बच्चों विशेषकर लड़कियों के लिए विशेष नामांकन प्रचार की शुरुआत की गई है। स्कूली बच्चों विशेषकर लड़कियों जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, को पहचानने तथा स्कूल की सहायता से शिक्षक की गाइडेंस के अंतर्गत स्कूलों में उनके नामांकन करवाने के लिए विभिन्न स्कूलों में 'युवा प्रेरक समूह' बनाए गए हैं।

(डी) स्कीम के बहुआयामी कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग

लड़कियों की स्थिति सुधारने, राज्य में घटते लिंग अनुपात के जनसांख्यिकी विपथन को सही करने तथा लड़कियों की सामाजिक तथा स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य के साथ राज्य सरकार सात मुख्य स्कीमों⁷³ का कार्यान्वयन कर रही है। स्कीम के बहुआयामी कार्यान्वयन के समन्वय के लिए, राज्य टास्क फोर्स (एस.टी.एफ.) तथा जिला टास्क फोर्स (डी.टी.एफ.) गठित की गई थी (फरवरी 2015) इस उद्देश्य के लिए एस.टी.एफ. तथा डी.टी.एफ. द्वारा तिमाही बैठकें की जानी थी।

यह अवलोकित किया गया कि बैठकों के आयोजन में कमी थी तथा प्रत्येक डी.टी.एफ. तथा एस.टी.एफ. द्वारा पांच बैठकें करवाने की आवश्यकता के विरुद्ध जनवरी 2015 तथा मार्च 2016 के मध्य पानीपत, महेन्द्रगढ़ तथा सोनीपत जिलों में डी.टी.एफ. की क्रमशः तीन, एक तथा तीन बैठकें तथा एस.टी.एफ. की केवल एक बैठक की गई थी।

(ई) गतिविधियों का प्रलेखन

मार्गनिर्देश प्रावधान करते हैं कि जवाबदेही को सुनिश्चित करने तथा सर्विस सुधारने के लिए स्कीम तथा अभियान से संबंधित जिला, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर की गई सभी गतिविधियों का प्रलेखन करना महत्वपूर्ण थे।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान तीन महिला तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियों⁷⁴ द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न आई.ई.सी. गतिविधियां⁷⁵ की गई थी लेकिन ये प्रलेखित नहीं किए गए थे। सही प्रलेखन की अनुपस्थिति में, स्कीम की विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी।

⁷³ (i) 22 जनवरी 2015 से प्रभावी लाडली स्कीम "आपकी बेटी हमारी बेटी" में मिला दी गई (ii) किशोरी शक्ति योजना (iii) सबला (iv) किशोर लड़की अवाई (v) इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन स्कीम (vi) लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा (vii) लड़कियों के लिए योगा कक्षाएं तथा सैल्फ डिफेंस ट्रेनिंग।

⁷⁴ पानीपत (ग्रामीण), महेन्द्रगढ़ (ग्रामीण) तथा सोनीपत (ग्रामीण - I)।

⁷⁵ नुक्कड़ नाटक, प्रभात फेरी रेली, बेटी जन्मोत्सव का मनाना, कुआं पूजन इत्यादि।

3.20.3 प्रभाव

3.20.3.1 लिंग अनुपात के लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी

मार्गनिर्देशों में जेंडर क्रिटिकल जिलों में जन्म के समय पर लिंग अनुपात (एस.आर.बी.) में वर्ष में 10 बिंदुओं तक सुधार के लिए प्रावधान किया गया है। महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, हरियाणा ने स्रोत के रूप में सिविल पंजीकरण प्रणाली की पहचान की (मई 2015) तथा जन्म के समय पर शिशु लिंग अनुपात/लिंग अनुपात मापने के लिए इसे बेसलाइन डाटा के रूप में दिसंबर 2014 में अनुमोदन दिया। तीन चयनित जिलों के संबंध में जन्म के समय पर लिंग अनुपात के संबंध में लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की स्थिति नीचे तालिका 3.6 के अनुसार थी।

तालिका 3.6: जन्म पर लिंग अनुपात के लक्ष्य तथा उपलब्धियां

क्र.सं.	जिले का नाम	बेसलाइन डाटा (दिसंबर 2014)	लक्ष्य मार्गनिर्देशों के अनुसार वर्ष में 10 बिंदुओं को मिलाकर (दिसंबर 2015)	उपलब्धियां	
				दिसंबर 2015	मार्च 2016
1.	पानीपत	892	902	892	881
2.	महेन्द्रगढ़	745	755	810	787
3.	सोनीपत	847	857	865	923

(स्रोत: मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म तथा मृत्यु, हरियाणा तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपूरित सूचना)


जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, पानीपत जिले में लिंग अनुपात दिसंबर 2015 में 902 के लक्ष्य के विरुद्ध 892 था जो आगे मार्च 2016 में घटकर 881 तक रह गया। महेन्द्रगढ़ जिले में 755 के लक्ष्य के विरुद्ध दिसंबर 2015 में उपलब्धि 810 थी तथा मार्च 2016 में यह घटकर 787 तक रह गई। तथापि, सोनीपत जिले में लिंग अनुपात बढ़ गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बी.बी.बी.पी. स्कीम केवल जनवरी 2015 में प्रारंभ की गई थी तथा राज्य में लिंग अनुपात में सुधार का श्रेय केवल स्कीम को ही नहीं दिया जा सकता। लड़कियों से संबंधित अन्य कई स्कीमों, जो विगत कई वर्षों से राज्य में कार्यान्वित की जा रही थी, के प्रभाव के कारण राज्य के लिए गत चार वर्षों से लिंग अनुपात 2011 में 833 से 2015 में 876 तक लगातार बढ़ रहा है।

3.20.4 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने पाया कि स्कीम के प्रभाव या कुशलता का निर्धारण करना अभी बहुत जल्दी था। नई शुरू की गई स्कीम के विभिन्न तत्वों के लिए उन्नत तथा अधिक संगठित कार्यान्वयन के लिए स्कोप था जैसा कि पानीपत तथा महेन्द्रगढ़ में जन्म के समय पर लिंग अनुपात में सुधार करना, माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने तथा नमूना-जांच किए गए

तीन जिलों अर्थात् पानीपत, महेन्द्रगढ़ तथा सोनीपत में ड्रूप-आऊट लड़कियों के 100 प्रतिशत पुनः नामांकन के लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं किए गए हैं। आगे, प्री-कॉनसेप्शन तथा प्री-नेटल डायगनोस्टिक टैकनीक्स एक्ट के अंतर्गत विचारित एक तरफा लिंग चयन को रोकने के लिए अपेक्षित मूलभूत संरचना अभी पूरी तरह से स्थापित की जानी है।




(महुआ पाल)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

चण्डीगढ़

दिनांक: 07 फरवरी 2017
FEB

प्रतिहस्ताक्षरित



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 09 फरवरी 2017
FEB